भारतीय राजव्यवस्था

POLITY BY ROHIT YADAV SIR

संघ एवं इसका क्षेत्र
भाग -1
अनुच्छेद 1 – 4

अनुच्छेद 1- इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के 'राज्यों का संघ' होगा।

अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को तीन श्रेणियों में बाँटा जा सकता है।

1. राज्यों का क्षेत्र
2. संघ का क्षेत्र
3. ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है।

अनुच्छेद 2- संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद, विधि द्वारा, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी।

अनुच्छेद 3- अनुच्छेद 3 संसद को अधिकृत करता है कि

(a) किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों की या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्यक्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी;

(b) किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना;

(c) किसी राज्य के क्षेत्र को घटाना;

(d) किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना; और

(e) किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना।

अनुच्छेद 3 के अंतर्गत 2 शर्तें दी गई हैं:

1. अनुच्छेद 3 से संबंधित विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्ण मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है।
2. मंजूरी से पूर्व राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है। यह मत निश्चित सीमा के अंदर दिया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 4- अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माने जाएगें अर्थात् इन्हें साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है।

राज्यो का पुर्नगठन

1. राज्यों को भाषा के आधार पर पुर्नगठन की माँग को ध्यान में रखते हुए जून 1948 में भारत सरकार ने एस. के. धर की अध्यक्षता में भाष्य प्रांत आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग को धर आयोग के नाम से जाना जाता है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर 1948 में पेश की और अपनी रिपोर्ट मे माँग को ठुकरा दिया।

2. दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा भाष्य प्रांत समिति का गठन हुआ। इस समिति में कुल 3 सदस्य थे–

   (a) जवाहर लाल नेहरू
   (b) वल्लभाई पटेल
   (c) पट्टाभिसीता रमैया
   } JVP समिति

   इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में पेश की और अपनी रिपोर्ट में भाषा के आधार पर राज्यों के पुर्नगठन की मांग को अस्वीकार किया।

नोट: (i) मद्रास में तेलगू बोलने वाले क्षेत्र के लिए एक अलग राज्य आंध्रा की माँग को लेकर पोट्टी श्रीरामुलु अमरन अंशन पर बैठे थे। 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनका निधन हो गया।

(ii) अक्टूबर 1953 में भारत सरकार ने भाषा के आधार पर सबसे प्रथम राज्य आंध्र की स्थापना की।

3. दिसम्बर 1953 में भारत सरकार ने राज्य पुर्नगठन आयोग का गठन किया और इसके अध्यक्ष फज़ल अली थे। इस आयोग को फज़ल अली आयोग से नाम से जाना जाता है। इस आयोग में 3 सदस्य थे।

   1. फज़ल अली   2. के.एम.पणिक्कर   3 एच.एन.कुंजरू

   इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भाषा के आधार पर राज्यों के पुर्नगठन की माँग को स्वीकार कर लिया भाषा के आधार पर। और अपनी रिपोर्ट में एक भाषा एक राज्य सिद्धांत को ठुकरा दिया। समिति ने किसी राज्य पुर्नगठन योजना के लिए चार बड़े कारकों की पहचान की:

   (a) देश की एकता एवं सुरक्षा की अनुरक्षण एवं संरक्षण।
   (b) भाषायी व संस्कृतिक एकरूपता।
   (c) वित्तीय, आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क।
   (d) प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना और इसका संवर्धन।

नोट: 7 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 और राज्य पुर्नगठन अधिनियम 1956 के द्वारा संविधान के सातवें भाग को समाप्त कर दिया गया और 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों व 6 केंद्रप्रशासित प्रदेशों का गठन हुआ।

राज्य	**संघशसित क्षेत्र**
1. आंध्र प्रदेश	1. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
2. असम	2. दिल्ली
3. बिहार	3. हिमाचल प्रदेश
4. बम्बई	4. लक्ष्यद्वीप, मिनिकाय और अमनद्वीप द्वीप समूह
5. जम्मू कश्मीर	5. मणिपुर
6. केरल	6. त्रिपुरा
7. मध्य प्रदेश	
8. मद्रास	
9. मैसूर	
10. उड़ीसा	
11. पंजाब	
12. राजस्थान	
13. उत्तर प्रदेश	
14. पश्चिम बंगाल	

आपातकालीन प्रावधान
भाग - 18
अनुच्छेद 352 – 360

- संविधान में तीन प्रकार के आपातकाल को निर्दिष्ट किया गया है।

(i) राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352)
(ii) राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356)
(iii) वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)

राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352)

यदि भारत की अथवा इसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो गया हो तो भारत के राष्ट्रपति, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं।

नोटः राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कुल तीन बार लागू की जा चुकी हैः

1. 1962- चीन
2. 1971- पाकिस्तान
3. 1975- आंतरिक अशांति

महत्वपूर्ण संशोधनः

1. 38 वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975
   - राष्ट्रपति द्वारा घोषित की गई आपातकाल को गैर न्यायोचित कर दिया।
   - राष्ट्रपति को सशक्त किया कि विभिन्न आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल को एक साथ घोषित किया जा सकता है।

2. 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976
   - राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पूरे भारत या भारत के किसी क्षेत्र में लागू की जा सकती है।
   - राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव कार्यपालिका और विधायिका पर उस राज्य की जहाँ आपातकाल लागू है तक ही समिति नहीं रहता है। बल्कि उसका प्रभाव अन्य राज्यों तक भी जा सकता है।

3. 44 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978
   - आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया।
   - राष्ट्रपति केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश के बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है।
   - उस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया जिसके द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल को न्यायिक समीक्षा से बचाव या मुक्ति प्रदान की थी।

संसदीय सहमति

- राष्ट्रीय आपातकाल को 1 महीने के अंदर संसद द्वारा विशेष बहुमत से पारित करना होता है। यदि ये पारित हो जाए दोनों सदनों से तो राष्ट्रीय आपातकाल 6 महीने के लिए लागू हो जाती है। और प्रत्येक 6 महीने बाद संसद की अनुमति की आवश्यकता होती है विशेष बहुमत से। राष्ट्रीय आपातकाल को अनिश्चित समय के लिए विस्तार किया जा सकता है।

6+6+6+....

राष्ट्रीय आपातकाल को रोकना

1. राष्ट्रपति किसी भी समय बिना संसद की अनुमति के राष्ट्रीय आपातकाल को रोक सकता है।
2. यदि लोकसभा साधारण बहुमत से राष्ट्रीय आपातकाल को रोकने के प्रस्ताव का पारित कर देती है, तो राष्ट्रपति को आपातकाल रोकनी पड़ेगी।

लागू और रोकने में अंतर

लागू करना	रोकना
1. लोकसभा और राज्यसभा की सहमति	1. केवल लोकसभा की सहमति
2. विशेष बहुमत से पारित करना	2. केवल साधारण बहुमत से पारित करना

राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव

1. केंद्र और राज्य के संबध पर प्रभाव
2. लोकसभा और विधानसभा की आयु पर प्रभाव
3. मौलिक अधिकारों पर प्रभाव

1. केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव

(i) संघ की कार्यपालिका शक्ति किसी भी राज्य को उस दिशा के निर्देश देने तक विस्तारित होगी जिस तरह से कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया जाना है। इस प्रकार, राज्य सरकारों को केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में लाया जाता है।

(ii) केंद्र और राज्यों के बीच विधायिका शक्तियों का वितरण निलंबित हो जाता है और संसद राज्य सूची में दिए गए किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए सशक्त हो जाती है। संसद द्वारा बनाया गया ऐसा कानून आपातकाल की समाप्ति की तारीख से केवल छह महीने के लिए जारी रहता है।

2. मौलिक अधिकारों पर प्रभाव

(i) राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। यह प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है।

(ii) अनुच्छेद 358 और 359 मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव की व्याख्या करते हैं।

(iii) अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित है।

(iv) अनुच्छेद 359 अन्य मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित है।

(v) अनुच्छेद 358 और 359 में 44 वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा पेश किए गए परिवर्तनों के बाद, अनुच्छेद 358 और 359 का दायरा प्रतिबंधित कर दिया गया है। 44 वें संशोधन अधिनियम 1978 के परिणामस्वरूप:

- आंतरिक आपातकाल के दौरान, अनुच्छेद 19, 20 और 21 निलंबित नहीं होते हैं।
- बाहरी आपातकाल के दौरान, अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होते हैं।
- अर्थात आपतकाल (आंतरिक और बाहरी) के दौरान 20 और 21 अनुच्छेद निलंबित नहीं होते हैं।

3. लोकसभा और विधान सभा की आयु पर प्रभाव

राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, लोकसभा और विधानसभा की आयु संसद के कानून के द्वारा एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। इस प्रक्रिया को बार-बार दोहराया जा सकता है। हालांकि राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होने से छह महीने से अधिक लोकसभा और विधानसभा कार्य नहीं कर सकते हैं।

राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356)

- इसे राज्य आपातकाल अथवा संविधानिक आपातकाल के नाम से भी जाना जाता है।

अनुच्छेद 355- ये केंद्र का कर्त्तव्य है कि वह हर राज्य को बाहरी आक्रमण और आतंरिक अशांति से सुरक्षित रखें और ये सुनिचित करना कि हर राज्य की सरकार संविधान के प्रावधान के अनुसार कार्य करें।

- राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत दो आधारों पर लागू किया जा सकता है:
  1. **अनुच्छेद 356**
  2. **अनुच्छेद 365**

अनुच्छेद 356- राष्ट्रपति घोषणा जारी कर सकता है यदि वह संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें राज्य सरकार संविधान के प्रावधान के अनुसार कार्य करने में असफल है।

नोटः राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट पर या बिना रिपोर्ट के भी घोषणा कर सकता है।

अनुच्छेद 365- यदि कोई राज्य केंद्र के दिशा निर्देशों को प्रभाव देने में विफल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के लिए विधि संगत होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसमें राज्य सरकार संविधान के प्रावधान के अनुसार कार्य करने में विफल है।

संसदीय सहमति

राष्ट्रपति शासन को 2 महीने के अंदर संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित करना होता है। यदि ये दोनों सदनों से पारित हो जाए तो राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए लागू हो जाता है और प्रत्येक 6 महीने के बाद संसद की अनुमति की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 वर्ष के लिए लागू किया जा सकता है।

6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6

राष्ट्रपति शासन को रोकना

राष्ट्रपति किसी भी समय बिना संसद की अनुमति के राष्ट्रपति शासन रोक सकता है।

नोटः 44 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा एक नया प्रावधान जोड़ा गया है इस प्रावधान के अनुसार एक वर्ष के पश्चात् राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए केवल तब बढ़ाया जा सकता है, जब निम्नलिखित दो परिस्थितियाँ पूरी होः

1. यदि पूरे भारत में अथवा पूरे राज्य या उसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो।
2. चुनाव आयोग प्रमाणित करें कि सबंधित राज्य में विधान सभा के चुनाव कराने में कठिनाईयाँ है।

राष्ट्रपति शासन का प्रभाव

1. राष्ट्रपति शासन के दौरान, राज्य की कार्यपालिका और विधायिका शक्तियाँ केंद्र के नियंत्रण में आ जाती हैं।
2. राज्य के उच्च न्यायालयों (न्यायपालिका) पर राष्ट्रपति शासन का कोई प्रभाव नहीं होता है।
3. नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
4. राष्ट्रपति शासन के दौरान, राष्ट्रपति राज्य मंत्री परिषद को बर्खास्त कर देता है और राष्ट्रपति की ओर से राज्य का राज्यपाल राज्य का प्रशासन चलाता है।
5. राज्य विधान सभा या तो निलंबित या भंग हो जाती है और संसद संबंधित राज्य के बिल और बजट पारित करती है।
6. संसद राज्य के लिए राष्ट्रपति या किसी अन्य प्राधिकरण को कानून बनाने की शक्ति सौंप सकती है। यदि संसद राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करती है, तो राष्ट्रपति उस राज्य के संसद सदस्यों के परामर्श से कानून बनाता है। राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया ऐसा कानून राष्ट्रपति अधिनियम के रूप में जाना जाता है।
7. संसद या राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति शासन के समाप्त होने के बाद भी जारी रहता है। हालांकि, संबंधित राज्य विधायिका को इस तरह के कानून को निरस्त करने या बदलने के लिए अधिकृत या अधिकार प्राप्त है।

नोटः राष्ट्रीय आपातकाल के विपरीत, जहां किसी राज्य के विषय पर संसद द्वारा बनाया गया कानून आपातकाल की समाप्ति की तारीख से केवल छह महीने तक जारी रहता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के दौरान बनाया गया कानून राष्ट्रपति शासन के समाप्त होने के बाद भी प्रभाव में रहता है।

वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)

यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें भारत अथवा उसके किसी क्षेत्र को वित्तीय स्थिति अथवा प्रत्यय खतरे में हो।

संसदीय सहमति

वित्तीय आपातकाल को 2 महीने के अंदर संसद के द्वारा साधारण बहुमत से पारित करना होता है। यदि यह पारित हो जाए दोनों सदनों से तो ये आपातकाल अनिश्चित समय के लिए लागू हो जाती है। वित्तीय आपातकाल को हर 6 महीने बाद संसदीय सहमति की अवाश्यकता नहीं होती है और इसकी कोई अधिकतम अवधि नहीं होती है।

वित्तीय आपातकाल को रोकना

राष्ट्रपति किसी भी समय बिना संसद की अनुमति के वित्तीय आपातकाल रोक सकता है।

वित्तीय आपातकाल के प्रभाव

संघ का कार्यकारी अधिकार किसी भी राज्य को दिशा-निर्देश देने तक फैलता है। इन निर्देशों के तहत-

- राज्य द्वारा नियोजित व्यक्तियों के सभी या किसी भी वर्ग के वेतन और भत्तों में कटौती।
- राज्य के विधायिका द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के विचार के लिए सभी धन या वित्तीय बिलों को आरक्षित करने की आवश्यकता हो सकती है।
- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों सहित संघ के सभी या किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन और भत्ते में कमी के लिए राष्ट्रपति द्वारा निर्देश जारी किया जा सकता है।

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति
भाग - 5
अनुच्छेद 52-78

- भाग -5, अनुच्छेद 52 से 78 संघ की कार्यपालिका से संबंधित है।
- संघ की कार्यपालिका में:
  - (i) राष्ट्रपति
  - (ii) उपराष्ट्रपति
  - (iii) प्रधानमंत्री
  - (iv) मंत्रिपरिषद्
  - (v) भारत का महान्यायवादी
- भारत का राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है।
- राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है और राष्ट्र की एकता अखंडता एवंम सुदृढ़ता का प्रतीक है।
- राष्ट्रपति नामिक कार्यपालिका होती है।

योग्यताएँ

राष्ट्रपति

1. भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
3. लोकसभा का सदस्य निवार्चित होने के लिए योग्य हो
4. कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए।

उपराष्ट्रपति

1. भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
3. राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो।
4. कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए।

नोट:

- राष्ट्रपति के चुनाव के नामंकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए।
- प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिर्जवबैंक में ` 15,000 जमानत राशि के रूप में जमा करेगा। यदि उम्मीदवार कुलमत का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है, तो राशि जब्त हो जाती है।

- उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामाकंन के लिए उम्मीदर के कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए।
- प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिर्जवबैंक में ` 15,000 जमानत राशि के रूप में जमा करेगा। यदि उम्मीदवार कुलमत का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है, तो राशि जब्त हो जाती है।

चुनाव

राष्ट्रपति

1. लोकसभा के निर्वाचित सदस्य
2. राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य
3. राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य
4. दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य

उपराष्ट्रपति

1. लोकसभा के निर्वाचित और मनोनित सदस्य दोनों
2. राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनित सदस्य दोनों

$$\text{एक विधायक के मत का मूल्य} = \frac{\text{राज्य की कुल जनसंख्या}}{\text{राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य}} \times \frac{1}{1000}$$

$$\text{एक संसद सदस्यों के मतो का मूल्य} = \frac{\text{सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य}}{\text{संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या}}$$

$$\text{निश्चित मतों का भाग} = \frac{\text{कलु वैध मत}}{1+1} + 1$$

नोटः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है।

पद के लिए शर्तें

राष्ट्रपति	उपराष्ट्रपति
1. राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, तो यह समझा जाएगा कि उसे उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है।	1. उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य नही होगा। यदि संसद के किसी सदन या किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, तो यह समझा जाएगा कि उसे उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है।
2. राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा।	2. उप-राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा।
3. उसे संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियों, भत्ते व विशेषाधिकार प्राप्त होंगे।	
4. उसकी उपलब्धियों और भत्ते उसकी पदाविधि के दौरान कम नहीं किए जागऐं।	

चुनावी विवाद

अनुच्छेद 71- राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय

1. राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या संसक्त सभी शंकाओं और विवादों की जाँच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।
2. यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है तो उसके द्वारा, यथास्थिति, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्त्तव्यों के पालन में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चिय की तारीख को या उससे पहले किए गए कार्य उस घोषणा के कारण अधिमान्य नहीं होगें।
3. इस संविधान के उपबधों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त किसी विषय का विनिमयन संसद विधि द्वारा कर सकेगी।
4. राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को उसे निर्वाचित करने वाले निर्वाचकगण के सदस्यों में किसी भी कारण से विद्यमान किसी रिक्त के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

शपथ

राष्ट्रपति	उपराष्ट्रपति
राष्ट्रपति के पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है।	उपराष्ट्रपति के पद की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है।

कार्यकाल

राष्ट्रपति	उपराष्ट्रपति
5 वर्ष	5 वर्ष

वेतन

राष्ट्रपति	उपराष्ट्रपति
5 लाख प्रतिमाह	उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त होता है।

रिक्तता

राष्ट्रपति	उपराष्ट्रपति
1. कार्यकाल समाप्त होना	1. कार्यकाल समाप्त होना
2. त्यागपत्र	2. त्यागपत्र
3. पद से हटाना	3. पद से हटाना
4. मृत्यु	4. मृत्यु
5. अन्यथा	5. अन्यथा

नोट:

1. यदि राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, पद से हटाने पर या उसकी मृत्यु अथवा अन्यथा कारणों से होती है, तो चुनाव पद रिक्त होने की तिथि से 6 महीने के अंदर होना चाहिए।	1. यदि उपराष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, पद से हटाने पर या उसकी मृत्यु अथवा अन्यथा कारणों से होती है, तो चुनाव जल्द से जल्द कराने चाहिए।

2. राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति पद सभांलता है। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए या वो अनुपस्थति हो, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद संभालता है।

त्यागपत्र

राष्ट्रपति	उपराष्ट्रपति
उप-राष्ट्रपति को	राष्ट्रपति को

राष्ट्रपति का महाभियोग (अनुच्छेद 61)

1. संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। हालाँकि, संविधान इसके अर्थ को परिभाषित नहीं करता है।
2. आरोपों को संसद के किसी भी संदन के द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है।
3. आरोपों पर सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए।
4. 14 दिनों का नोटिस राष्ट्रपति को दिया जाना चाहिए।
5. इस तरह के प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से पारित करना होता है।
6. यदि प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तो इसे दूसरे सदन में भेजा जाता है जो आरोप की जाँच पड़ताल करेगा या जाँच पड़ताल कराएगा।
7. राष्ट्रपति को ऐसी जांच में उपस्थित होने और प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा।
8. यदि दूसरे सदन में भी आरोपों को मान को लिया जाता है और कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव पारित कर देता है, तो इसी स्थिति में जिस दिन प्रस्ताव पारित होता है उस दिन से राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है।
9. अर्थात, संसद में महाभियोग प्रक्रिया अर्ध न्यायिक है।

राष्ट्रपति के निर्वाचन और हाटाने में अंतर

चुनाव	हटाना
1. लोकसभा के निर्वाचित सदस्य	1. लोकसभा के निर्वाचित और मनोनित सदस्य दोनों
2. राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य	2. राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनित सदस्य दोनों
3. राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य	
4. दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य	

राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य

1. कार्यपालिका शक्तियाँ
2. विधायिका शक्तियाँ
3. वित्तीय शक्तियाँ
4. न्यायिक शक्तियाँ
5. कूटनीतिक शक्तियाँ
6. सैन्य शक्तियाँ
7. आपातकालीन शक्तियाँ।

राष्ट्रपति की वीटो शक्ति

अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित विकल्प हैं:

1. अपनी सहमति देना, या
2. अपनी सहमति नहीं देना, या
3. विधेयक को वापस करना यदि वह धन विधेयक नहीं है।

भारतीय राष्ट्रपति के तीन वीटो हैं:

(क) **अत्यांतिक वीटो**- विधेयक पर अनुमति देने से मना कर देना।

(ख) **निलंबनकारी वीटो**- जब राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए विधेयक लौटाता है। हालाँकि, यदि विधेयक को संसद में, संशोधनों के साथ या उसके बिना, फिर से पारित किया जाता है, तो राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी सहमति देनी होती है।

(ग) **पॉकेट वीटो**- जब राष्ट्रपति बिल पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। वह अनिश्चित काल के लिए बिल को लंबित कर देता है।

राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति (अनुच्छेद 123)

- अध्यादेश एक अस्थायी कानून है।
- इस अनुच्छेद का उद्देश्य संसद के अवकाश के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने के लिए सक्षम बनाना है।
- राष्ट्रपति अध्यादेश को तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं हों या जब संसद के दोनों में से कोई एक सदन सत्र में न हों।
- दोनों सदन के सत्र में होने के दौरान यदि अध्यादेश बनाया जाता है तो ऐसा अध्यादेश शून्य हो जाता है।
- इस अनुच्छेद के तहत घोषित अध्यादेश में संसद के अधिनियम के समान बल और प्रभाव होगा।
- केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है।
- प्रत्येक अध्यादेश संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा जब वह दोबारा सत्र में आते हैं।
- राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय अध्यादेश वापस लिया जा सकता है।
- राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति एक विवेकाधीन शक्ति नहीं है और वह केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है।
- संविधान में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है।
- एक अध्यादेश की अधिकतम आयु - 6 महीने और 6 सप्ताह:

  6 महीने- संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल।

  6 सप्ताह- वह समय अवधि जिसके भीतर संसद को कार्रवाई करनी होती है, अन्यथा अध्यादेश का संचालन समाप्त हो जाएगा।

नोट:

- 38 वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1975 ने राष्ट्रपति, राज्यपालों और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासकों द्वारा जारी किया गया अध्यादेश को गैर-न्यायोचित बना दिया। 44 वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 ने इस प्रावधान को हटा दिया।

राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति (अनुच्छेद 72)

इस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई है, जो निम्नलिखित मामलों में किसी अपराध के लिए दोषी पाए गए हैं:

क. सभी मामलों में जहां सजा कोर्ट मार्शल द्वारा होती है।
ख. सभी मामलों में जहां सजा मौत की सजा है।
ग. उन सभी मामलों में जहां सजा संघीय कानून के विरूद्ध अपराध के लिए है।

राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. **क्षमा**- दोषी को पूरी तरह से मुक्त कर देना।
2. **लघुकरण** - सजा में परिवर्तन करना। जैसे मृत्युदण्ड को कठोर कारावास में बदलना।
3. **परिहार** - बिना सजा में परिवर्तन किए हुए सजा को कम कर देना। जैसे 5 वर्ष के कठोर कारावास को 3 वर्ष में कर देना।
4. **विराम** - किन्हीं विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सजा कम करना।
5. **प्रविलंबन** - सजा पर अस्थायी रूप से रोक लगाना।

राष्ट्रपति की अन्य महत्वपूर्ण शक्तियाँ

- राष्ट्रपति SC, ST और OBC की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकता है।
- राष्ट्रपति केंद्र-राज्य और अंतरराज्यीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर-राज्य परिषद नियुक्त कर सकता है।
- राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूची क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकता है और अनुसूची क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में शक्तियां हैं।
- राष्ट्रपति की सिफारिश के अलावा अनुदान की कोई माँग नहीं की जा सकती है।
- राष्ट्रपति भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च सेनापति हैं।

नागरिकता
भाग-2
अनुच्छेद 5-11

अनुच्छेद 5– व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है।

अनुच्छेद 6– व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत स्थानांतरित हुआ हो।

अनुच्छेद 7– व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो किंतु बाद में लौट आया हो।

अनुच्छेद 8– भारतीय मूल का व्यक्ति जो बाहर रह रहा हो।

अनुच्छेद 9– वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत नगारिक नहीं माना जाएगा, जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा।

अनुच्छेद 10– प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत का नागरिक है या समझा जाता है यदि संसद इस प्रकार के किसी विधान का निर्माण करे।

अनुच्छेद 11– संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बना सकती है।

नागरिकता अधिनियम 1955

यह अधिनियम नागरिकता के अर्जन एवं नागरिकता की समाप्ति से संबंधित है।

नागरिकता का अर्जन

5 प्रकार

1. जन्म के आधार पर
2. वंश के आधार पर
3. पंजीकरण द्वारा
4. प्राकृतिक रूप से
5. क्षेत्र समावाष्टि द्वारा

नागरिकता की समाप्ति

3 प्रकार

1. स्वैच्छिक त्याग
2. बर्खास्ती के द्वारा
3. वंचित करने के द्वारा

नागरिकता का अर्जन

1. जन्म के आधार पर

- भारत में 26 जनवरी, 1950 को या उसके बाद परंतु 1 जुलाई 1987 से पूर्व जन्मा व्यक्ति अपने माता-पिता के जम्न की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा।
- भारत में 1जुलाई 1987, को या उससे बाद जन्मा व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा, यदि उसके जन्म के समय उसके माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो।
- इसके अलावा, यदि किसी व्यक्ति का जन्म 3 दिसम्बर, 2004 के बाद भारत में हुआ हो तो वह उसी दशा में भारत का नागरिक माना जाएगा, यदि उसके माता-पिता दोनों उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हों या माता-पिता में से एक उस समय भारत का नगारिक हो तथा दूसरा अवैध प्रवासी न हो।

2. वंश के आधार पर

- कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी, 1950 को या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर, 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ हो वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है, यदि उसके जन्म के समय उसके पिता भारत के नागरिक हो।
- यदि 10 दिसंबर, 1992 को या उसके बाद यदि किसी व्यक्ति का जन्म देश से बाहर हुआ हो तो वह तभी भारत का नागरिक बन सकता है, यदि उसके जन्म के समय उसके माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो।

- 3 दिसंबर, 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत के नागरिक नहीं हो सकता,यदि उसके जन्म के एक वर्ष भारतीय कांसुलेट में उसके जन्म का पंजीकरण न करा दिया गया हो या केंद्र सरकार की सहमति से उक्त अवधि के बाद पंजीकरण न हुआ हो। इस प्रकार के बच्चे का भारतीय कांसुलेट में पंजीकरण कराते समय आवेदन पत्र में माता-पिता को इस आशाय का शपथ -पत्र देना होगा कि उसके बच्चे के पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है।

3. **पंजीकरण द्वारा**- केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति (अवैध प्रवासी न हो) को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है, यदि वह निम्नांकित श्रेणियों में से किसी से संबंद्ध हो, नामत:

(क) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो नागरिकता प्राप्ति का आवेदन देने से ठीक पूर्व 7 वर्ष भारत में रह चुका हो।

(ख) वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और वह पंजीकरण के लिए प्रार्थनापत्र देने से पूर्व 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो।

(ग) भारत के नगारिक के नाबालिग बच्चे।

(घ) कोई व्यक्ति, जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा उसके माता-पिता भारत के नगारिक के रूप में पंजीकृत हों।

(ड़) कोई व्यक्ति, जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा वह या उसके माता-पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हों या वह पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने से 12 महीने से साधारणत निवास कर रहा हो।

(च) कोई व्यक्ति, जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा वह विदेशी भारतीय नागरिक के रूप में 5 वर्ष से पंजीकृत हो या तथा वह पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने से 12 महीने से साधारण निवास कर रहा हो।

नोट: एक व्यक्ति जन्म से भारतीय मूल का माना जाएगा, यदि वह या उसके माता-पिता में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुए हों या 15 अगस्त, 1947 के बाद भारत का अंग बनने वाले किस भू-क्षेत्र के निवासी हों।

4. **प्राकृतिक रूप से**- केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति (अवैध प्रवासी न हो) को प्राकृतिक रूप से नागरिक प्रमाण-पत्र प्रदान कर सकती है। यदि वह व्यक्ति निम्नलिखित योग्यताएं रखता है:

(क) ऐसे देश से संबंधित नहीं हो, जहाँ भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते।

(ख) कि यदि वह किसी अन्य देश का नगारिक हो तो वह भारतीय नागरिकता के लिए अपने आवेदन की स्वीकृति पर उस देश की नागरिकता को त्याग देगा।

(ग) यदि वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो या इनमें से थोड़ा कोई एक और थोड़ा कोई अन्य हो तो उसे नागरिकता संबंधी आवेदन देने के कम से कम 12 महीने पूर्व से भारत में रह रहा होना चाहिए।

(घ) यदि 12 महीने की इस अवधि से 14 वर्ष पूर्व से वह भारत में रहा रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो या इनमें से थोड़ा एक में और थोड़ा अन्य में हो, इनकी कुल अवधि 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

(ड़) उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए।

(च) कि वह संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित किसी भाषा का अच्छा ज्ञाता हो।

(छ) कि उसके प्राकृतिक रूप से नागरिकता का प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने की स्थिति में, वह भारत में रहने का इच्छुक हो या भारत सरकार सेवा या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जिसका भारत सदस्य हो या भारत में स्थापित किसी सोसायटी, कंपनी या व्यक्तियों का निकाय हो में प्रवेश या उसे जारी रखे।

हालांकि, भारत सरकार उपरोक्त प्राकृतिक शर्तो के मामलों पर एक या सभी पर दवा हटा सकती है यदि व्यक्ति की विशेष सेवा विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव उन्नति से संबंद्ध हो। इस प्रकार से नागरिक बने हर व्यक्ति को भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी।

5. **क्षेत्र समाविष्टि द्वारा**- किसी विदेशी क्षेत्र द्वारा भारत का हिस्सा बनने पर भारत सरकार उस क्षेत्र से संबंधित विशेष व्यक्तियों को नागरिक घोषित करती है। ऐसे व्यक्ति उल्लिखित तारीख से भारत के नागरिक होते हैं।

नागरिकता की समाप्ति

नागरिकता अधिनियम, 1955 में अधिनियम या संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार प्राप्त नागरिकता खोने के तीन कारण बताए गए हैं- त्यागना, बर्खास्तगी या वंचित करना होना।

1. **स्वैच्छिक त्याग**- एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु और क्षमता का हो, ऐसी घोषणा के उपरांत वह भारत का नागरिक नहीं रहता, अपनी नागरिकता को त्याग सकता है। यदि इस तरह की घोषणा तब हो जब भारत युद्ध में व्यस्त हो तो केंद्र सरकार इसके पंजीकरण को एकतरफ रख सकती है।

2. **बर्खास्तगी के द्वारा**- यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारतीय नारिकता स्वयं बर्खास्त हो जाएगी। हालांकि, यह व्यवस्था तब लागू नहीं होगी जब भारत युद्ध में व्यस्त हो।

3. **वंचित करने द्वारा**- केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा यदि:

   (i) यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गयी हो।

   (ii) यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो।

   (iii) यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शुत्र के साथ गैर-कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो या उसे कोई राष्ट्रविरोधी सूचना दी हो।

   (iv) पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में दो वर्ष की कैद हुई हो।

   (v) नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो।

मौलिक अधिकार

भाग - 3

अनुच्छेद 12 – 35

1. संविधान के भाग-3 को 'भारत का मैग्नाकार्टा' की संज्ञा दी गई है।
2. यह अमेरिकी संविधान से प्रभावित है।
3. भारत के संविधान के अंतर्गत कुछ मौलिक अधिकार विदेश के नागरिकों को भी प्राप्त हैं।
4. यह असीमित नहीं है। इन पर उचित प्रतिबंध लगाएं जा सकते हैं। हालांकि, कोई प्रतिबंध उचित है या नहीं वह न्यायलय के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
5. यह न्यायोचित है अर्थात् इनका उलंघन होने पर व्यक्ति न्यायालय में अपील कर सकता है।
6. यह स्थाई नहीं है। इन्हें संशोधित किया जा सकता है।
7. इन्हें राष्ट्रीय आपतकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकते हैं।

सात मूल अधिकार

1. समता का अधिकार (अनुच्छेद 14 – 18)
2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 – 22)
3. शोषण के विरूद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 – 24)
4. धर्म की स्वतत्रंता का अधिकार (अनुच्छेद 25 – 28)
5. संस्कृति और शिक्षा संबधी अधिकार (अनुच्छेद 29 – 30)
6. संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31)
7. सांविधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

नोट: 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार (अनुच्छेद-31) को समाप्त कर दिया। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार भाग-12, अनुच्छेद 300क में है और यह कानूनी व संवैधानिक अधिकार है न कि मौलिक अधिकार।

अनुच्छेद 12- राज्य की परिभाषा

1. भारत सरकार और संसद अर्थात् संघीय सरकार की कार्यकारी और विधायी अंग।
2. राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल अर्थात् राज्य सरकार की कार्यकारी और विधायी अंग।
3. समस्त स्थानीय निकाय अर्थात् पंचायत, नगर निगम, इत्यादि।
4. अन्य निकाय उदाहरण LIC, ONGC, इत्यादि।

अनुच्छेद 13- मूल अधिकारों से असंगत या उनका अलपीकरण करने वाली विधियाँ

1. कोई कानून जो मौलिक अधिकारों से असंगत पाया जाता है, तो ऐसा कानून शून्य होगा। दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 13 न्यायिक समीक्षा से संबंधित है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति उच्चतम न्यायालय में (अनुच्छेद 32) और उच्च न्यायालय में (अनुच्छेद 226) में निहित है।
2. इस अनुच्छेद में प्रयुक्त "कानून/विधि" शब्द के अंतर्गत भारत के राज्यक्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, अपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा शामिल हैं;
3. इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के आधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। (इस बिंदु की व्याख्या नीचे दी गई है)

व्याख्या:

- इसे 24वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 के द्वारा जोड़ा गया है।
- अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है इसलिए उसे चुनौती नहीं दी जा सकती।

- उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले (1973) में कहा कि मूल अधिकारों के हनन के आधार पर संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है यदि वह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है।

अनुच्छेद 14- विधि के समक्ष समता

राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

नोटः

1. अनुच्छेद 14 देश के नागरिक या विदेश के नागरिक दोनों को प्राप्त है।
2. विधि के समक्ष समता - ब्रिटिश मूल का है।
   विधियों का समान संरक्षण - अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
3. अनुच्छेद 14 श्रेणी विधान को अस्वीकृति करता है। यह विधि द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं और लेन-देनों के तर्कसंगत वर्गीकरण को स्वीकृत करता है। लेकिन वर्गीकरण विवेक शून्य, बनावटी नहीं होना चाहिए।

विधि का शासन

- विधि के शासन की संकलपना ए.वी. डायसी ने दी थी। इस संकल्पना में 3 अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं:
  1. इच्छाधीन शक्तियों की अनुपस्थिति।
  2. विधि के समक्ष समता।
  3. व्यक्तिगत अधिकारियों की प्रमुखता।

  पहली दो अवधारणाएं भारतीय व्यवस्था में लागू होती हैं, तीसरी नहीं। भारतीय व्यवस्था में संविधान ही भारत में व्यक्तिगत अधिकार का स्रोत है।
- उच्चतम न्यायालय ने विधि के शासन को संविधान का मूलभूत तत्व माना है। इसलिए इसे किसी भी संशोधन के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है।

अपवादः

1. **अनुच्छेद 361- राष्ट्रपति और राज्यपालों और राजप्रमुखों का संरक्षण**

(i) राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल मे किए गए किसी कार्य या लिए गए किसी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायलय में जवाबदेह नहीं होंगे।

(ii) राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरूद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दांडिक कार्यवाही प्रारंभ या चालू नहीं रखी जाएगी।

(iii) राष्ट्रपति या राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती है।

(iv) राष्ट्रपति या राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत सामर्थ्य से किए गए किसी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में दीवानी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। हां यदि इस प्रकार का कोई मुकदमा चलाया जाता है तो उन्हें इसकी सूचना देने के दो माह बाद ही ऐसा किया जा सकता है।

2. **इत्यादि**

अनुच्छेद 15- धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध

1. राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध के केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।
2. कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर-

   (क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, या

   (ख) पूर्णतः या भागतः राज्य-निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग, के संबंध में किसी भी निर्योषयता, दायित्व, निर्बन्धन या शर्त के अधीन नहीं होगा।
3. इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।

4. राज्य को इसकी अनुमति होती है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास के लिए कोई विशेष उपबंध करे। **(पहले संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 द्वारा जोड़ा गया)**

5. राज्य को यह अधिकार है कि वह सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों या अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए छूट संबंधी कोई नियम बना सकता है। ये शैक्षणिक संस्थान राज्य से अनुदान प्राप्त, निजी या अल्पसंख्यक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। **(93वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2005 के द्वारा जोड़ा गया।)**

अनुच्छेद 16- लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता

1. राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी।
2. राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्‌भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा।

नोट: अनुच्छेद 15 के अंतर्गत कुल 5 आधार है, किंतु अनुच्छेद 16 के अंतर्गत 7 आधार है।

आपवाद

1. संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती है।
2. राज्य नियुक्तियों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है या किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है जिनका कि राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं है।
3. विधि के तहत किसी संस्था या इसके कार्यकारी परिषद के सदस्य या किसी की धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है।

मंडल आयोग

सरकार ने वर्ष 1979 में, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन बी.पी. मंडल की अध्यक्षता में किया। यह आयोग पिछड़े वर्गों के लोगों की शैक्षण्कि एवं सामाजिक स्थिति की जांच और उनकी उन्नति के लिए सुझाव प्रस्तुत करता है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश की। दस साल बाद, वी.पी. सिंह सरकार ने ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों में 27% अरक्षण की घोषणा की।

नोट:

- 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया।
- अनुच्छेद 340- पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति।

अनुच्छेद 17- अस्पृश्यता का अंत

"अस्पृश्यता" का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। "अस्पृश्यता" से उपजी किसी निर्योषयता/निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।

नोट:

- 1955 में, संसद ने अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 को अधिनियमित किया। यह अधिनियम अस्पृश्यता की प्रथा के लिए और किसी भी निर्योग्यता/निर्योषयता के प्रवर्तन के लिए दंड निर्धारित करता है।
- 1976 में, अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 में मूलभूत संशोधन किया गया और इसको नया नाम 'नगारिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955' दिया गया तथा इसमें विस्तार कर दंडिक उपबंध और सख्त बनाए गए।
- 'अस्पृश्यता' शब्द को न तो संविधान में और न ही अधिनियम में परिभाषित किया गया।

अनुच्छेद 18- उपाधियों का अंत

1. राज्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा।
2. भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।
3. कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा।
4. राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा।

आपवाद:

1. सैन्य उपाधि/सेना सम्मान
2. शैक्षिक उपाधि / विद्या सम्मान
3. राष्ट्रीय पुरस्कार -भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्म श्री।

अनुच्छेद 19- वाक्-स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण

- अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को छ: अधिकारों की गारंटी देता है।
- मूलत: अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार थे, लेकिन संपम्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने या बेच देने के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया।
- छ: अधिकार:

1. वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

- राज्य वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। यह प्रतिबंध लगाने के आधार इस प्रकार हैं:
  1. भारत की एकता एवं संप्रभुत्ता (16वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1963 द्वारा जोड़ा गया।)
  2. राज्य की सुरक्षा
  3. विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों
  4. लोक व्यवस्था
  5. शिष्टाचार या सदाचार के हितों में
  6. न्यायालय की अवमानना
  7. मानहानि
  8. अपराध उद्दीपन
- पहले संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 द्वारा वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों के 3 और आधार जोडे गए: लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों , अपराध उद्दीपन।
- वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है।

2. शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार

- राज्य संगठित होने के अधिकार पर दो आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है- भारत की संप्रभुता और अखंडता एवं लोक व्यवस्था।

3. संगम या संघ बनाने का अधिकार

- इस अधिकार पर भी राज्य द्वारा युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके आधार हैं- भारत की एकता एवं संप्रभुता, लोक व्यवस्था और सदाचार।

4. भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संरचरण का अधिकार

- इस स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने के दो कारण हैं- साधारण जनता के हितों में या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण।

5. भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने अधिकार

- राज्य इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध दो आधारों पर लगा सकता है- साधारण जनता के हितों में या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण।

6. कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार

- राज्य सर्वाजनिक हित में इसके प्रयोग पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है।

अनुच्छेद 20- अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण

इसमें 3 प्रावधान है-

(अ) **कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं**- कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्धदोष नहीं ठहराया जाएगा, जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय, जो अपराध के रूप में आरोपित है, किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी।

(ब) दोहरी क्षति नहीं- किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा।

(स) स्व-अभिशंसन नहीं- किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरूद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 21- प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण

किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

नोटः

- ए. के गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950), में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या की और यह माना कि अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण केवल कार्यकारी के विरूद्ध उपलब्ध है, विधायिका के विरूद्ध नहीं।
- मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत ए.के. गोपालन मामले में अपने फैसले को पलट दिया और अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या की और कहा कि अनुच्छेद 21 के अर्थ के भीतर कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया "सही, उचित और निष्पक्ष" होनी चाहिए न कि "मनमानी, काल्पनिक या दमनकारी"। दूसरे शब्दों में, किसी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को कानून द्वारा वंचित किया जा सकता है बशर्ते उस कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया उचित, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण हो।
- न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की है:
  (i) मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार।
  (ii) निजता का अधिकार
  (iii) विदेश यात्रा का अधिकार
  (iv) प्रतिष्ठा का अधिकार, इत्यादि।

अनुच्छेद 21क- शिक्षा का अधिकार

राज्य, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसका निर्धारण राज्य करेगा।

नोटः यह प्रावधान 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के द्वारा जोड़ा गया है।

अनुच्छेद 22- कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण

हिरासत दो तरह की होती है:

1. दंड विषयक
2. दंड निवारक

दंड विषयक- उस व्यक्ति को दंड देना जिसे अदालत ने दोषी ठहराया हो। दंड विषयक के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार उपलब्ध है:

1. गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार।
2. विधि व्यवसायी से परामर्श और प्रतिरक्षा कराने का अधिकार।
3. दंडाधिकारी (मजिस्ट्रेट) के सम्मुख 24 घंटे में, यात्रा के समय को छोड़कर, पेश होने का अधिकार।
4. दंडाधिकार द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध दिए 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार।

दंड निवारक- जब किसी व्यक्ति को अदालत में बिना सुनवाई के दोषी ठहराया जाए। अर्थात् यह शक के आधार पर दी जाती है। दंड निवारक के अतंर्गत किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। यदि सलाहाकारी निकाय मंजूरी दे दे तो 3 माह से अधिक हिरासत में रखा जा सकता है। इस निकाय में उच्च न्यायालय के न्यायधीश होते हैं।

नोटः 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के द्वारा 3 महीने के समय को घटा कर 2 महीने कर दिया। हालांकि, यह व्यवस्था अब भी प्रयोग में नहीं आई है। अर्थात्, 3 महीने वाला प्रावधान अब भी जारी है।

अनुच्छेद 23- मानव के दुर्व्यापार और बालत्श्रम का प्रतिषेध

अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार, बेगार (बलात्श्रम) और इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम के प्रकारों पर भी प्रतिबंध लगाता है। यह अधिकार नागरिक एवं गैर-नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध होगा। यह किसी व्यक्ति को न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि व्यक्तियों के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है।

1. **मानव दुर्व्यापार**- महिलाएं, पुरुष और बच्चों की वस्तु के समान खरीद व बिक्री करना, इत्यदि।
2. **बेगार**- बिना परिश्रमिक के कार्य करवाना।
3. **बलात्श्रम**-किसी व्यक्ति की इच्छा के विरूद्ध उससे कार्य लेना।

आपवादः

यह राज्य को अनुमति प्रदान करता है कि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा, उदाहरण के लिए सैन्य सेवा एवं सामाजिक सेवा, आरोपित कर सकता है, जिनके लिए वह धन देने को बाध्य नहीं है। लेकिन इस तरह की सेवा में लगाने में राज्य को धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं है।

अनुच्छेद 24- कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध

14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य जोखिम व्यवसाय जैसे निर्माण कार्य अथवा रेलवे जैसे में नियोजन का प्रतिषेध करता है। लेकिन यह प्रतिषेध किसी नुकसान न पहुँचाने वाले अथवा निर्दोष कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता है।

नोटः बाल श्रम (निषेध एवं विनिमयन) संशोधन अधिनियम, 2016 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में रोजगार निषिद्ध करता है। और 14 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों को कतिपय खतरनाक व्यवसायों व प्रक्रियाओं में रोजगार निषिध करता है।

अनुच्छेद 25- अंतः करण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता।

सभी व्यक्तियों कोः

1. अतः करण की स्वतंत्रता
2. मानने की अधिकार
3. आचरण का अधिकार
4. प्रसार का अधिकार

नोटः

(i) यह अधिकार नागरिक और गैर-नागरिक दोनों का प्राप्त है।
(ii) ये अधिकार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्नय एवं मूल अधिकारों के संबंधित अन्य प्रावधानों के अनुसार है।
(iii) अनुच्छेद 25 में दो व्याख्याएं भी की गई है- पहला कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा, और, दूसरा इस संदर्भ में हिन्दुओं में सिख, जैन और बौद्ध सम्मिलित है।

अनुच्छेद 26- धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 26 के अनुसार, प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय या उसके किसी अनुभाग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होगें:

1. धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार;
2. अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार;
3. जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार, और;
4. ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार।

नोटः अनुच्छेद 25 जहाँ व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है, वहीं अनुच्छेद 26 धार्मिक सम्प्रदाय या इसके अनुभागों को अधिकार प्रदान करता है।

अनुच्छेद 27- किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता

अनुच्छेद 27 में उल्लिखित है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धर्मिक सम्प्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए करों के संदाय हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान एवं रख-रखाव के लिए व्यय नहीं कर सकता है। यह व्यवस्था राज्य को किसी धर्म का दूसरे के मुकाबले पक्ष लेने से रोकता है।

अनुच्छेद 28- कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता

- अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा न दी जाए।

- अनुच्छेद 28 चार प्रकार की शैक्षणिक संस्थाओं में विभेद करता है:

(i) ऐसे संस्थान, जिनका पूरी तरह रख-रखाव राज्य करता है।

(ii) ऐसे संस्थान, जिनका प्रशासन राज्य करता है लेकिन उनकी स्थापना किसी विन्यास या न्याय के तहत हो।

(iii) राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान।

(iv) ऐसे संस्थान, जो राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त कर रहे हों।

प्रावधान

(i) में धार्मिक निवेश पूरी तरह प्रतिबंधित है, जबकि, (ii) में धार्मिक शिक्षा की अनुमति है।, (iii) और (iv) में स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति है।

अनुच्छेद 29- अल्पसंख्यक-वर्गों के हितों का संरक्षण

- अनुच्छेद 29 यह उपबंध करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने अधिकार होगा। इसके अतिक्ति, किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता।

- अनुच्छेद 29 धार्मिक अल्पसंख्यकों एंव भाषायी अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है।

अनुच्छेद 30- शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार

अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों, चाहे धार्मिक या भाषायी, को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है:
(i) सभी अल्पसंख्यकों वर्गों को अपनी रूचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।
(ii) राज्य आर्थिक साहायता में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित संस्थानों में विभेद नहीं करेगा।

नोट: 'अल्पसंख्यक' शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है।

अनुच्छेद 32- संवैधानिक उपचारों का अधिकार

(i) अनुच्छेद 32 संविधान के मूल ढाँचा का हिस्सा है।

(ii) डॉ. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और रूह बताया है।

(iii) कुल 5 रिट:
(क) बंदी प्रत्यक्षीकरण - 'को प्रस्तुत किया जाए'
(ख) परमादेश - 'हम आदेश देते हैं'
(ग) प्रतिषेद - 'रोकना'
(घ) उत्प्रेषण - 'प्रमाणित होना'
(ड़) अधिकर प्रच्छा - 'किस प्राधिकृत या वारंट के द्वारा'

अनुच्छेद 33-
- अनुच्छेद 33 संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों एवं अन्य के मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सके।
- अनुच्छेद 33 के अंतर्गत विधि निर्माण का अधिकार सिर्फ संसद को है न कि राज्य विधान मंडल को।

अनुच्छेद 34- अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो।

अनुच्छेद 35- अनुच्छेद 35 केवल संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है।

राज्य के नीति निर्देशक तत्व

भाग - 4

अनुच्छेद 36 – 51

1. यह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। (आयरलैंड ने स्पेन के लिए)
2. डॉ. अम्बेडकर ने इन तत्वों को विशेषता वाला बताया है।
3. मूल अधिकारों के साथ निर्देशक तत्व, संविधान की आत्मा एवं दर्शन है।
4. यह कार्यपालिका और विधायिका को दिए गए अनुदेश हैं।
5. उद्देश्य भारत में कल्याणकारी राज्य एवं सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है।
6. यह गैर-न्यायोचित है।
7. इन तत्व का वर्गीकरण 3 श्रेणी में किया गया है:
   (i) समाजवादी
   (ii) गांधीवादी
   (iii) उदार बौद्धिक

अनुच्छेद 36– राज्य की परिभाषा (अनुच्छेद 12 के समान)

अनुच्छेद 37– यह तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और राज्य का कर्त्तव्य है कि वह विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करे किंतु इन्हें न्यायपालिका के द्वारा प्रभावशाली नहीं बनाया जा सकता है यदि इनका उल्लंघन हो। अर्थात् यह गैर न्यायोचित है।

अनुच्छेद 38– लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना, और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करना।

अनुच्छेद 39– (क) सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार

(ख) सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधानों का सम वितरण

(ग) धन और उत्पादन के साधनों का सकेंद्रण रोकना

(ङ) पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन

(च) कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था के दुरूपयोग से सरंक्षण

(छ) बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर

अनुच्छेद 40– ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियाँ प्रदान कर स्व-सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना।

अनुच्छेद 41– काम पाने के, शिक्षा पाने के, और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और नि:शक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को सरंक्षित करना।

अनुच्छेद 42– काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना।

अनुच्छेद 43– सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृति अवसर।

अनुच्छेद 44– भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता।

अनुच्छेद 45– सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक, प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करना।

अनुच्छेद 46– अनुसूचित जाति एवं जनजाति और समाज के दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एंव शोषण से सुरक्षा।

अनुच्छेद 47– पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करना और लोक स्वास्थ्य का सुधार करना और स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग पर प्रतिबंध करना।

अनुच्छेद 48– गाय, बछड़ा व अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक और उनकी नस्लों मे सुधार को प्रोत्साहन। कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना।

अनुच्छेद 49– राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरूचि वाले संस्मारक या स्थान या वस्तु का संरक्षण करना।

अनुच्छेद 50– राज्य की लोक सेवाओं में, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् करना।

अनुच्छेद 51– अंतराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, अंतराष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना।

नए निर्देशक तत्वः

अनुच्छेद 39A– समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए।

अनुच्छेद 43A– उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना।

अनुच्छेद 48A– पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा।

नोटः अनुच्छेद 39A, 43A, 48A को 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं।

अनुच्छेद 43B– सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक निमंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़वा देना।

नोटः अनुच्छेद 43B, 97 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जोड़ा गया है।

उच्चतम और उच्च न्यायालय

उच्चतम न्यायालय	उच्च न्यायालय
भाग-5	भाग-6
अनुच्छेद 124 - 147	अनुच्छेद 214 - 232

न्यायाधीशों की संख्या

उच्चतम न्यायालय

1950 – 8 [CJI+ 7]
1956 – 11
1960 – 14
1978 – 18
1986 – 26
2009 – 31
2019 – 34 [CJI+33]

उच्च न्यायालय

संविधान में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित नहीं है। और यह संख्या राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है।

*CJI- **भारत का मुख्य न्यायाधीश**

योग्यताएँ

उच्चतम न्यायालय

1. भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. (क) उसे किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश होना चाहिए, या
   (ख) उसे उच्च न्यायालय में 10 वर्ष के लिए वकील होना चाहिए, या
   (ग) राष्ट्रपति के मत में उसे सम्मानित न्यायावादी होना चाहिए।

उच्च न्यायालय

1. भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. (क) उसे भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव हो, या
   (ख) उसे उच्च न्यायालय में 10 वर्ष के लिए वकील होना चाहिए।

नियुक्ति

उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशें से परामर्श करने के पश्चात्, जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा।

मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक है।

उच्च न्यायालय

भारत के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात्, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा।

मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवयश्क है।

परामर्श पर विवाद

(i) प्रथम न्यायाधीश मामला (एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ) 1982

- अदालत ने माना की परामर्श शब्द का अर्थ सहमति नहीं है।

(ii) दूसरा न्यायाधीश मामला, 1993

- इस मामले में, उच्चतम न्यायालय ने प्रथम न्यायाधीश मामले में दिए गए फैसलें को परिवर्तित किया। अदालत ने माना कि परामर्श का अर्थ है सहमति। इसलिए भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है।

- दूसरे न्यायाधीश मामले में कॉलिजियम प्रणाली पेश की।
- अदालत ने CJI के विचारों को प्रधानता दी और CJI राष्ट्रपति को सलाह देने से पहले उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करेगें।
- अदालत ने यह भी कहा कि CJI को उच्चतम न्यायालय का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होना चाहिए।
- अदालत ने फैसला दिया कि उच्च न्यायालय के किसी न्यायधीश की नियुक्ति तब तक नहीं की जा सकती, जब तक कि वह CJI की राय के अनुरूप न हो।

(iii) तीसरा न्यायाधीश मामला, 1998

- उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) में नियुक्तियों के मामले में कॉलिजियम में CJI और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होंगे।
- उच्च न्यायालय में नियुक्तियों के मामले में कॉलिजियम में CJI और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होंगे।
- सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियों के ममाले में, CJI को राष्ट्रपति को सिफारिश नहीं भेजनी चाहिए, यदि 4 न्यायाधीशों में से दो न्यायाधीश प्रतिकूल राय देते हैं। इसलिए, CJI को 4 में से 3 न्यायाधीशों की जरूरत है।

(iv) चौथा न्यायाधीश मामला, 2015

- सुप्रीम कोर्ट ने कॉलिजियम की प्रधानता को बरकरार रखा।
- सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, NJAC न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा, जो संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है।

नोटः 99वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2014 और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम, 2014 को मौजूदा कॉलिजियम प्रणाली को NJAC के साथ बदलने के लिए सरकार द्वारा पेश किया गया था। हालांकि, चौथे न्यायाधीश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 99वें और NJAC दोनों को असंवैधानिक और शून्य घोषित किया।

शपथ

उच्चतम न्यायालय	**उच्च न्यायालय**
राष्ट्रपति द्वारा या इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाती है।	राज्यपाल द्वारा या इस उद्देश्य के लिए राज्यपाल द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाती है।

कार्यकाल

उच्चतम न्यायालय	**उच्च न्यायालय**
65 वर्षकी आयु तक अपने पद पर बना रहता है।	62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहता है।

नोटः

• संविधान ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल तय नहीं किया है। • सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की आयु से संबंधित किसी प्रश्न के उठने पर संसद द्वारा स्थापित संस्था इसका निर्धारण करेगी। यह प्रावधान 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा जोड़ा गया था।	• संविधान ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल तय नहीं किया है। • उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु से संबंधित किसी प्रश्न के उठने पर, भारत का राष्ट्रपति CJI के साथ विचार विमर्श करने के बाद ऐसे प्रश्न पर निर्णय लेगा और राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। यह प्रावधान 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा जोड़ा गया था।

वेतन

उच्चतम न्यायालय	**उच्च न्यायालय**
• सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, अवकाश एवं पेंशन का निर्धारण समय-समय पर संसद द्वारा किया जाता है।	• उच्च न्यायालय के न्यायधीशों का वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, अवकाश एवं पेंशन का निर्धारण समय-समय पर संसद द्वारा किया जाता है।

- CJI का वेतन- 2,80,000
- न्यायाधीश का वेतन- 2,50,000
- HC के मुख्य न्यायाधीश का वेतन- 2,50,000
- HC के न्यायाधीश का वेतन- 2,25,000

नोट:

(i) सुप्रीम कोर्ट न्यायधीशों का वेतन, भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि पर आरोपित किए जाते हैं और संसद के मतदान के अधीन नहीं होती है।

(i) उच्च न्यायलय के न्यायधीशों का वेतन, भत्ते राज्य की संचित निधि पर आरोपित किए जाते हैं। इसलिए ये गैर मतदान योग्य है। उच्च न्यायालय के न्यायधीशों की पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है।

(ii) सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायलय के न्यायधीशों के वेतन को संसद द्वारा, वित्तीय आपतकाल के अलावा, कम नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति आदेश द्वारा सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायलय के न्यायधीशों के वेतन को काम कर सकता है।

त्यागपत्र

उच्चतम न्यायालय	**उच्च न्यायालय**
भारत के राष्ट्रपति को	भारत के राष्ट्रपति को

न्यायाधीश को पद से हटाना

- **अनुच्छेद 124(4) –** सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन, राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दे दिया है।
- **अनुच्छेद 124(5) –** संसद अनुच्छेद 124(4) के अधीन किसी समावेदन के रखे जाने की तथा न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता के अन्वेषण और साबित करने की प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन कर सकेगी।

  नोट: इस तरह की प्रक्रिया न्यायाधीशों (जाँच) अधिनियम, 1968 में रखी गई है।
- **अनुच्छेद 217(1)(ख)**- किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 124 के खंड (4) में उपबंधित रीति से उसके पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा।
- **अनुच्छेद 218**- अनुच्छेद 124 के खंड (4) और खंड (5) के उपबंध, जहाँ-जहाँ सुप्रीम कोर्ट के प्रति निर्देश है, वहाँ-वहाँ उच्च न्यायालय के प्रति निर्देश प्रतिस्थापित करके, उच्च न्यायालय के संबंध के वैसे ही लागू होगे, जेसे वे उच्चतम न्यायालय के संबंध में लागू होते हैं।

  व्याख्या:
- ऊपर वर्णित अनुच्छेदों से, जो एक न्यायाधीशों को हटाने से संबंधित है, निम्नलिखित बिंदुओं का अनुमान लगाया जा सकता है:

  (a) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायधीशों को हटाने की प्रक्रिया समान है।

  (b) न्यायाधीश को हटाने के लिए संविधान में केवल दो आधार दिए गए हैं, जैसे:

  (i) कदाचार

  (ii) असमर्थता

  (c) भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायलय के न्यायाधीशों को हटा सकता है।

  (d) न्यायाधीश को हटाने का समावेदन उसी सत्र में प्रस्तुत किया जाना चाहिए अन्यथा प्रक्रिया समाप्त हो जाती है।

न्यायधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया

(i) किसी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन मे प्रस्तुत किया जा सकता है।
(ii) लोकसभा के मामले में, प्रस्ताव पर 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। और राज्य सभा के मामले में, प्रस्ताव पर 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए।
(iii) प्रस्ताव को अध्यक्ष या सभापति के समाने पेश किया जाता है।
(iv) अध्यक्ष या सभापति प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है या तो ठुकरा सकता है।
(v) यदि अध्यक्ष या सभापति प्रस्ताव को ठुकरा देता है तो प्रक्रिया समाप्त हो जाती है।
(vi) यदि प्रस्ताव को अध्यक्ष या सभापति के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो फिर अध्यक्ष या सभापति एक समिति का गठन करता है, जो आरोपो की जाँच करेगी।

(vii) इस समिति में तीन सदस्य होंगे:
  (क) CJI या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश
  (ख) किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
  (ग) अध्यक्ष या सभापति के मत में उसे सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए।
(viii) अगर ये समिति मना कर दे तो प्रक्रिया समाप्त हो जाती है।
(ix) यदि समिति स्वीकार कर लेती है तो सदन प्रस्ताव पर विचार करेगा।
(x) इस प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित करना होता है।
(xi) जिस सदन में प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाता है यदि वह सदन इस प्रस्ताव को पारित कर दे, तो फिर इस प्रस्ताव को दूसरे सदन में भेजा जाता है, जिसे विशेष बहुमत से पारित करना होता है।
(xii) विशेष बहुमत से संसद के प्रत्येक सदन द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद, हटाने के समावेदन को उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जााता है।

नोट:
- हटाने का प्रस्ताव लोकसभा भंग होने के कारण समाप्त नहीं होता है।
- अब तक किसी भी न्यायाधीश को पद से नहीं हटाया गया है।

उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार

1 मूल क्षेत्राधिकार

- अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय के विशेष और मूल क्षेत्राधिकार को परिभाषित करता है।
- मूल क्षेत्राधिकार - जब किसी अदालत के पास पहली बारी में किसी मामले को सुनने और निर्धारित करने का अधिकार हो।
- विशेष क्षेत्राधिकार - जब किसी अदालत के पास ऐसे मामले को सुनने और निर्धारित करने का अधिकार हो, जिसे कोई अन्य अदालत सुन या निर्धारित नहीं कर सकती है।
- उच्चतम न्यायालय के पास विशेष मूल क्षेत्राधिकार उन विवादो पर है जो-

  (a) केद्रं व एक या अधिक राज्यों के बीच हो, या

  (b) केंद्र और कोई राज्य या राज्यों का एक तरफ होना एवं एक या अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना, या

  (c) दो या अधिक राज्यों के बीच।

परंतु उक्त का अधिकारिता विस्तार उस विवाद पर नहीं होगा जो किसी ऐसी संधि, करार, प्रसंविदा, वचनबंध, सनद या वैसी ही अन्य लिखत से उत्पन्न हुआ है जो इस संविधान के प्रांरभ से पहले की गई थी या निष्पादित की गई थी और ऐसे प्रारंभ के पश्चात् प्रवर्तन में है या जो यह उपबंध करती है कि उक्त का विस्तार ऐसे विवाद पर नहीं होगा।

नोट: संविधान कें लागू होने से पहले दर्ज की गई संधियों पर उत्पन्न विवादों पर अनुच्छेद 143 के तहत चर्चा की जाएगी जो की सलाहकार क्षेत्राधिकार है।

- अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 ने उच्चतम न्यायालय के न्यायक्षेत्र को अंतरराज्जीय पानी, नदी एवं नदी घाटी पर नियंत्रण व बंटावारे के मामले पर मूल क्षेत्राधिकार से बहार किया।

- उच्चतम न्यायालर्य के विशेष मूल क्षेत्राधिकार के संबंध में दो बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए:
  1. विवाद ऐसा होना चाहिए जिस पर विधिक अधिकार निहित हो।
  2. किसी नागरिक द्वारा केंद्र के विरूद्ध लाए गए मामले को इसके अंतर्गत स्वीकार नहीं किया जाता है।

नोट:
- जहाँ एक निजी व्यक्ति का भारत सरकार के खिलाफ दावा हो तो ऐसे मामले को पहले स्थानीय अदालत में जाना चाहिए और वहाँ से वह अपील के द्वारा उच्चतम न्यायालय में जा सकता है बशर्ते कि अपील कानून की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करे।
- 1961 में मूल क्षेत्राधिकार के पहले मामले में पश्चिम बंगाल द्वारा केंद्र के खिलाफ लाया गया था।

2 रिट क्षेत्राधिकार

- उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार है।
- रिट क्षेत्राधिकार मामले में, उच्चतम न्यायालय के पास मूल क्षेत्राधिकार हैं, लेकिन विशेष मूल क्षेत्राधिकार नहीं है। उच्च न्यायालय को भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार है।
- यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि, उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है और अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं। लेकिन, अनुच्छेद 139 के तहत संसद, उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए रिट जारी करने के लिए अधिकृत कर सकती है।

3 सलाहकार क्षेत्राधिकार

- राष्ट्रपति, अनुच्छेद 143 के तहत, मामलों की दो श्रेणियों में उच्चतम न्यायालय की राय या सलाह लेने के लिए अधिकृत है:

  (क) सार्वजनिक महत्व के किसी मसले पर विधिक प्रश्न उठने पर।

  नोट: इस मामले में, उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को अपनी राय दे भी सकता है और देने से मना भी कर सकता है।

  (ख) किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते, प्रसंविदा आदि मामलों पर किसी विवाद के उत्पन्न होने पर।

  नोट: इस मामले में, उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति को अपनी राय देना अनिवार्य है।

- इस अनुच्छेद के तहत दोनों मामलों में, उच्चतम न्यायालय की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्य नहीं होती है।
- इसके अलावा, कानून का ऐसा सवाल जो पहले से ही उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी न्यायिक शक्तियों के अभ्यास में तय किया जा चुका है, उसे अनुच्छेद 143 के तहत अदालत में नहीं भेजा जा सकता है। न्यायालय अपने सलाहकार क्षेत्राधिकार के तहत अपने पहले के फैसलों के खिलाफ अपील में नहीं बैठा सकता है।

4. अपीलीय क्षेत्राधिकर

इसे चार प्रमुखों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

(क) संवैधानिक मामलों में अपील (अनुच्छेद 132)

किसी उच्च न्यायालय की सिविल, दांडिक या अन्य कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय या आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी कि उस मामले में इस संविधान कें निर्वचन के बारे में विधि को कोई सारवान् प्रश्न अंतर्वलित है।

उपरोक्त अनुच्छेद की व्याख्या:

- अनुच्छेद 132 उच्च न्यायालय में किसी भी कार्यवाही से उत्पन्न संविधान की व्यख्या से संबंधित प्रश्नों से संबंधित है।
- यह अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को संविधान का अंतिम व्याख्याकार बनाता है।
- अब अनुच्छेद में प्रयुक्त 'विधि का कोई सारवान् प्रश्न' को समझते हैं-

  यहाँ "सारवान्" शब्द का अर्थ है कि ऐसा प्रश्न जिसके बारे में भिन्नता है अर्थात् जब संविधान की व्याख्या को लेकर दो उच्च न्यायालयों के बीच मतभेद है। इसके पीछे तर्क यह है कि संविधान की व्याख्या से जुड़ सवालों पर उच्चतम न्यायालय का अंतिम निर्णय होना चाहिए।

(ख) दीवानी मामलों में अपील (अनुच्छेद 133)

किसी उच्च न्यायालय की सिविल कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय या आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि-

(क) उस मामले में विधि का व्यापक महत्व का कोई सारवान् प्रश्न अंतर्वलित है; और

(ख) उच्च न्यायालय की राय में उस प्रश्न का उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चय आवश्यक है।

इस अनुच्छेद की व्याख्या:

- अनुच्छेद 133 सिविल कार्यवाही में उच्च न्यायालयों के निर्णयों से उच्चतम न्यायालय में अपील से संबंधित है।
- इस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था। संशोधन से पहले, केवल उन सिविल मामलों में, जिनमें ` 20,000 की राशि शमिल है, उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील की जा सकती थी। लेकिन इस मौद्रिक सीमा को 30वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 द्वारा हटा दिया गया था। इसका नतीजा यह है कि अब सभी अपील, उनके मौद्रिक मूल्य की परवाह किए बिना, उच्चतम न्यायालय में ले जाया सकता है, बशर्ते वे कानून का एक सारवान् प्रश्न शामिल करें।

(ग) आपराधिक मामलों में अपील (अनुच्छेद 134)

खंड (1)- किस उच्च न्यायालय की दांडिक कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय या आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी यदि-

उप खंड(क)- उस उच्च न्यायालय ने अपील में किसी अभियुक्त व्यक्ति की दोषमुक्ति के आदेश को उलट दिया है और उसको मृत्यु दांडदेश दिया है; या

उप खंड(ख)- उस उच्च न्यायालय ने अपने प्राधिकार के अधीनस्थ किसी न्यायालय से किसी मामले को विचारण के लिए अपने पास मँगा लिया है और ऐसे विचारण में अभियुक्त व्यक्ति को सिद्धदोष ठहराया है और उसको मृत्यु दंडादेश दिया है; या

उप खंड(ग)- उच्च न्यायालय प्रमाणित कर देता है कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने योग्य है।

खंड (2)- संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को भारत के राज्यक्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की दंडिक कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय या आदेश की अपील ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट की जाए, ग्रहण करने और सुनने की अतिरिक्त शक्ति दे सकेगी।

व्यख्या:

दो तरीके हैं जिनके द्वारा उच्च न्यायालय के किसी भी निर्णय से उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील लाई जा सकती है:

(i) बिना उच्च न्यायालय के प्रमाणपत्र के

(ii) उच्च न्यायालय के प्रमाणपत्र के साथ

1. बिना प्रमाण प्रत्र:

- जहाँ उच्च न्यायालय ने मृत्युदंड दिया है।

  नोट: इस अनुच्छेद के उप खंड(क) और उप खंड(ख) उन मामलों से संबंधित हैं जहाँ उच्च न्यायालय ने मृत्युदंड सुनाया हो।
- ससंद को इस अनुच्छेद के खंड(2) के तहत सशक्त किया गया है कि आपराधिक मामलों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को बढ़ा सके।
- 1970 में संसद ने उच्चतम न्यायालय के आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार में विस्तार किया। इस कारण से, कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में बिना प्रमाणपत्र के जा सकता है उन मामलों में जहाँ:

  (i) उम्र कैद की सजा सुनवाई गई हो।

  (ii) जहाँ कारावास 10 वर्ष से कम नहीं है।

(ड़) विशेष अनुमति द्वारा अपील (अनुच्छेद 136)

उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी मामले में दिए गए किसी निर्णय की अपील के लिए विशेष इजाज़त दे सकेगा। (सिवाय सैन्य अधिकरण (ट्रिब्यूनल) और कोर्ट मार्शल के)

नोट:

- इस अनुच्छेद में प्रयुक्त "किसी न्यायालय" शब्द में उच्च न्यायालय और निचली अदालतें शामिल हैं। इसलिए, विशेष अनुमति देने की शक्ति उच्च न्यायालय के निर्णयों तक ही सीमित नहीं है। मजिस्ट्रेट जैसी निचली अदालतों के फैसलें के खिलाफ भी मंज़ूरी दी जा सकती है।
- यह एक विवेकाधीन शक्ति है।
- इसे किसी भी निर्णय में दिया जा सकता है चाहे वह अंतिम हो या मध्यवर्ती हो।

(च) न्यायिक समीक्षा की शक्ति

केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जाँच करना। जाँच करने पर, यदि वे संविधान का उल्लंघन करते पाए जाते हैं, तो ऐसे कानून या आदेश को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है।

उच्चतम न्यायालय की अन्य शक्तियाँ

(1) अनुच्छेद 129- उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना

उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी।

व्याख्या:

- अभिलेख न्यायालय ऐसा न्यायालय है जिसके अभिलेखों को प्रमाणित मूल्य की तरह स्वीकार किया जाएगा और किसी भी अदालत के समक्ष पेश किए जाने पर इन अभिलेखों पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। यह अनुच्छेद यह भी कहता है कि न्यायालय के पास स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति होगी।

अदालतों की अवमानना अधिनियम, 1971-

इस अधिनियम की धारा 2 (a) अवमानना को आपराधिक अवमानना या नागरिक/सिविल अवमानना के रूप में परिभाषित करती है।

(1) नागरिक या सविल अवमानना

इस अधिनियम की धारा 2 (b) के तहत 'सिविल अवमान' से किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, निदेश, आदेश, रिट या अन्य आदेशिक की जानबूझकर अवज्ञा करना अथवा न्यायालय से किए गए किसी वचनबंध को जानबूझकर भंग करना, अभिप्रेत है।

(2) आपराधिक अवमानना

इस अधिनियम की धारा 2 (c) के तहत, "आपराधिक अवमान" से किसी भी ऐसी बात का प्रकाशन अथवा किसी भी अन्य ऐसे कार्य का करना अभिप्रेत है-

(i) जो किसी न्यायलय को कलंकित करता है, या जिसकी प्रवृत्ति उसे कलंकित करने की है इत्यादि; अथवा

(ii) जो किसी न्यायिक कार्यवाही के सम्यक् अनुक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है इत्यादि; अथवा

(iii) जो न्याय प्रशासन में किसी अन्य रीति से हस्तक्षेप करता है इत्यादि।

नोट:

- अवमानना क्षेत्राधिकार का उद्देश्य कानून अदालतों की महिमा और गरिमा को बनाए रखना है।
- संविधान के अनुच्छेद 129 और 215 उच्चतम और उच्च न्यायालय को अधिकार देते हैं कि वे उन लोगों को दंडित कर सके जो उनकी अवमानना करते हैं।

- अनुच्छेद 19(2) राज्यों को अधिकार देता है कि वह अदालत की अवमानना के आधार पर वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है।

इस अधिनियम के अंतर्गत:

(i) किसी बात के निर्दोष प्रकाशन और वितरण;

(ii) न्यायिक कार्यवाही की उचित और सही रिपोर्ट;

(iii) न्यायिक कार्य की उचित आलोचना

इन सभी को न्यायालय की अवमानना नहीं माना जाएगा।

2. अनुच्छेद 137- निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनविलोकन

संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी।

व्याख्या:

- अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों की समीक्षा या पुनर्विलोकन करने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 145 के तहत न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों या संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अधीन इस शक्ति का प्रयोग ऐसे नियमों या कानून के अनुसार होगा।
- निम्नलिखित तीन आधारों पर उच्चतम न्यायालय में समीक्षा होगी:

    (i) नए और महत्वपूर्ण मामलों या सबूतों की खोज;

    (ii) भूल या गलती जो अभिलेख के देखने से ही प्रकट हो;

    (iii) कोई अन्य पर्याप्त कारण।

3. अनुच्छेद 141- उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालायों पर आबद्धकर होना।

उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी।

व्याख्या:

- 'घोषित विधि' का तात्पर्य है अदालत की कानून बनाने वाली भूमिका।
- इसका अर्थ यह भी है कि संविधान न्यायपालिका को कानून बनाने से नहीं रोकता है।
- 'सभी न्यायालयों' का मतलब उच्चतम न्यायालय के अलावा अन्य अदालते हैं।
- उच्चतम न्यायालय अपने स्वयं के निर्णयों से बाध्य नहीं है और अपने पिछले निर्णयों को रद्ध कर सकती है।

उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता:

- स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए संविधान में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

    (i) न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली।

    (ii) हटाने की प्रणाली।

    (iii) न्यायाधीशों का वेतन और पेंशन संसद द्वारा गैर-मतदान योग्य है। अर्थात संसद द्वारा इन पर मतदान नहीं किया जा सकता।

    (iv) निष्कासन या हटाने या महाभियोग के समय को छोड़कर न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा या बहस पर प्रतिबंध लगाया गया है।

उच्चतम न्यायालय से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद-

(i) अनुच्छेद 126- कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति

राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायधीश को उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायधीश नियुक्त कर सकता है जब-

(क) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त हो, या

(ख) मुख्य न्यायमूर्ति की अनुपस्थिति के कारण, या

(ग) मुख्य न्यायमूर्ति अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो,

(ii) अनुच्छेद 127- तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति

यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायधीशों की गणपूर्ति या कोरम प्राप्त न हो तो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात्, किसी उच्च न्यायालय के किसी ऐसे न्यायाधीश से, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक् रूप से योग्य है और जिसे भारत का मुख्य न्यायमूर्ति नामोदिष्ट करें, न्यायालय की बैठकों में उतनी अवधि के लिए, जितनी आवश्यक हो, तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उपस्थित रहने के लिए लिखित रूप में अनुरोध कर सकेगा।

(iii) अनुच्छेद 128- उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति

भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी व्यक्ति से, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है या जो उच्च न्यायलय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकेगा।

उच्च न्यायालय की शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार

1. मूल क्षेत्राधिकार

(a) वसीयत, विवाद, तलाक, कंपनी के कानून, न्यायालय की अवमानना से संबंधित मामले।

(b) MP, MLA और MLC के चुनावों से संबंधित विवाद।

(c) नागरिकों के मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन, इत्यादि।

2. रिट क्षेत्राधिकार

नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लागू करने और किसी अन्य उद्देश्य के लिए अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है।

उच्च न्यायलय किसी भी व्यक्ति, प्राधिकरण और सरकार को अपने राज्यक्षेत्र क्षेत्राधिकार के भीतर ही नहीं बल्कि अपने राज्यक्षेत्र क्षेत्राधिकार के बाहर भी रिट जारी कर सकता है अगर कार्यवाही का कारण उसके राज्यक्षेत्र में आता है।

3. न्यायिक समीक्षा की शक्ति

केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जाँच करना। जाँच करने पर, यदि वे संविधान का उल्लंघन करते पाए जाते हैं, तो ऐसे कानून या आदेश की असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है।

उच्च न्यायालय से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

1. अनुच्छेद 222- किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतारण

राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद, एक न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है।

व्याख्या:

- भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बिना कोई स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है।
- न्यायाधीश का स्थानांतरण केवल जनहित में किया जा सकता है।
- जो भी स्थानांतरण जनहित में नहीं है, उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।
- न्यायाधीशों को सज़ा के रूप में स्थानांतरण का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

तीसरा न्यायाधीश मामला, 1998

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के मामले में, भारत के मुख्य न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलिजियम और दोनों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श लेना होगा।

साझा उच्च न्यायालय

संसद एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है दो या दो से अधिक राज्यों के लिए या दो या दो से अधिक राज्यों और केंद्र प्रशासित क्षेत्रों के लिए। यह प्रावधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा जोड़ा गया है।

प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद्

- प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी है।
- प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है।

अनुच्छेद 74- राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद्

खंड (1)- राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगी जिसका प्रधान, प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा।

व्याख्या:

- अनुच्छेद 74 के खंड (1) [अनुच्छेद 74(1)] को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संशोधित किया गया था। 42वें संशोधन से पूर्व, अनुच्छेद 74 में कहा गया था कि, "राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद् होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा।"
- 42वें संशोधन से पहले, अनुच्छेद 74(1) के शब्दों से ऐसा मामूल पड़ता है कि मंत्रिपरिषद् का कर्तव्य केवल सलाह देना है और ये राष्ट्रपति के उपर है कि दि गई सलाह स्वीकार करनी है या नहीं। संदेह से परे मामलों को स्पष्ट करने के लिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 74(1) को 1976 में संशोधित किया गया और यह स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा।

अनुच्छेद 74 (1) में दी गई शर्त- परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् से ऐसी सलाह पर पुर्नविचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुर्नविचार के पश्चात् दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा।

व्याख्या:

- अनुच्छेद 74(1) में दी गई शर्त 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के द्वारा जोड़ी गई थी। संशोधन से पूर्व, मंत्रियों द्वारा पुर्नविचार का कोई प्रावधान नहीं था।

खंड (2) - इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जाँच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, और यदि दी, तो क्या दी।

व्याख्या:

- अनुच्छेद 74(2) ने न्यायालयों को मंत्रिपरिषद् द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह के बारे में पूछताछ या जाँच करने से रोक दिया। उच्चतम न्यायालय ने एस.आर. बोम्मई मामले में माना कि अनुच्छेद 74(2) न्यायालय को मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह पर न्यायिक पुनर्विलोकन करने से रोकता है, परंतु किस समाग्री के आधार पर सलाह दी गई थी उसकी जाँच करने से नहीं रोकता।

अनुच्छेद 75- मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध

खंड (1)- प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा।

व्याख्या:

- प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है अर्थात प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं होता है।
- संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रपति अपने विवेक से इस शक्ति का उपयोग कर सकता है। इस शक्ति का उपयोग सरकार की संसदीय व्यवस्था के अनुसार होगा। इस प्रकार राष्ट्रपति को लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को नियुक्त करना होता है।
- हालांकि, ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं जिनमें राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के चयन में अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, जहाँ प्रधानमंत्री अपने कार्याकाल में मर जाते हैं या व्यक्तिगत आधार पर इस्तीफा दे देते हैं। ऐसी परिस्थितियों में, राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो दो या अधिक दलों की सहायता से गठबंधन बना कर लोकसभा में समर्थन हासिल का सकता है।
- संविधान में यह आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पहले लोकसभा में बहुमत सिद्ध करनी होती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति पहले भी कर सकता है और उसके बाद एक निश्चित समय में उससे लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है।
- राष्ट्रपति केवल उन व्यक्तियों को मंत्री के लिए नियुक्त कर सकता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री ने कि हो।

खंड (1-क)- प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद् के सदस्यों की कुल संख्या, लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी।

नोटः खंड (1-क) को 91 वे संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़ा गया था।

खंड (1-ख)- किसी राजनीतिक दल का संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य, जो 10वीं अनुसूची के अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए आयोग्य घोषित कर दिया गया है, तो ऐसा सदस्य मंत्री पद के लिए अयोग्य होगा।

नोटः खंड (1-ख) 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के द्वारा जोड़ा गया है।

खंड (2)- मंत्री, राष्ट्रपति के प्रयादपर्यंत अपने पद धारण करेंगे।

व्याख्याः

- प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है और वह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपने पद पर बना रहता है।
- हालांकि, प्रधानमंत्री अपने पद पर तब तक बने रहता है जब तक उसके पास लोकसभा में बहुमत है।
- इस और बाद के खंडो में "मंत्रियों" या "मंत्री" शब्द में प्रधानमंत्री शामिल है।

नोटः राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत का अर्थ प्रधानमंत्री के प्रसादपर्यंत होता है।

- खंड (2) केवल मंत्रियों की बर्खास्तगी पर लागू होता है। यह मंत्रीपरिषद की बर्खास्तगी पर लागू नहीं होता है।
- मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायि होते हैं।

खंड (3)- मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।

व्याख्याः

- यह संसदीय सरकार का मूल सिद्धांत है।
- सभी मंत्री लोकसभा के प्रति संयुक्त रूप से जिम्मेदार होगें।
- जब लोकसभा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है, तो सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता है।
- सामूहिक जिम्मेदारी का मतलब यह भी है कि कैबिनेट के फैसले सभी कैबिनेट मंत्रियों को बाँधते हैं, भले ही वे कैबिनेट में विपरीत दिशाओं में तर्क देते हों।
- यदि कोई मंत्री सरकार की नीति का बचाव करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसे इस्तीफा देना चाहिए।

खंड (4)- किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले, राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा।

व्याख्याः

- राष्ट्रपति एक मंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा।
- शपथ को तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है।

खंड (5)- कोई मंत्री, जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा।

व्याख्याः

- प्रधानमंत्री सहित मंत्री, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है।
- किसी व्यक्ति, जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, को मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। हालांकि, ऐसे व्यक्ति को 6 माह के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बनना होता हैं अन्यथा वह मंत्री पद पर नहीं बना रहेगा।

खंड (6)- मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो संसद, विधि द्वारा, समय-समय पर अवधारित करे और जब तब संसद इस प्रकार अवधारित नहीं करती है तब तक ऐसे होंगे जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।

व्याख्याः

- खंड (6) संसद द्वारा मंत्रियों के वेतन को मतदान योग्य बनाता है।
- एक मंत्री एक संसद सदस्य को दिए जाने वाले वेतन व भत्ते प्राप्त करता है।

अनुच्छेद 77- भारत सरकार के कार्य का संचालन

खंड (1)- भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी।

व्याख्या:

- खंड (1) की व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा:

  अुनच्छेद 77 (1) की आवश्यकता के अनुसार, भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्यों को राष्ट्रपति के नाम से व्यक्त करना होगा, लेकिन ऐसे आदेश को राष्ट्रपति द्वारा व्यक्तिगत रूप से पारित नहीं माना जाएगा। ऐसा होने पर, यह आदेश कोई प्रतिरक्षा नहीं रखता है। संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति के लिए उपलब्ध प्रतिरक्षा को राष्ट्रपति के नाम पर, अनुच्छेद 77(1) या अनुच्छेद 77(2) के तहत, जारी किए गए आदेशों तक नहीं बढ़ाया जा सकता है।

  नोट: अनुच्छेद 361 पर चर्चा मौलिक अधिकार पढ़ते समय होगी।

खंड (2)- राष्ट्रपति के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखतों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए जोने वाले नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखत की विधिमान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह राष्ट्रपति द्वारा किया गया या निष्पादित आदेश या लिखित नहीं है।

खंड (3)- राष्ट्रपति, भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आबंटन के लिए नियम बनाएगा।

अनुच्छेद 78- राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्त्तव्य

प्रधानमंत्री का यह कर्त्तव्य होगा कि वह-
(क) संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद् के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करें;
(ख) संघ के कार्याकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति माँगे, वह दे; और
(ग) किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे।

मंत्रीपरिषद् की सरंचना

मंत्रीपरिषद् में मंत्रियों की 3 श्रेणियाँ होती हैं-

1. कैबिनेट मंत्री
2. राज्य मंत्री
3. उपमंत्री

मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद्

अनुच्छेद 163-राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद्

खंड (1)- जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगी जिसका प्रधान, मुख्यमंत्री होगा।

व्याख्या:

- राज्यों में सरकार का रूप संसदीय है।
- अनुच्छेद 74, संशोधन के बाद, स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति पर मंत्रिपरिषद् द्वारा दी गयी सलाह को बाध्य कर देता है। हालांकि, अनुच्छेद 163 अपने मूल रूप में बना हुआ है।
- राज्यपाल द्वारा विवेक की कवायद करना न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
- राज्यपाल अपने विवेक से जिन स्थितियों में कवायद या अभ्यास कर सकता है-
  - (i) मुख्यमंत्री की नियुक्ति
  - (ii) एक ऐसे मंत्रालय को बर्खास्त करना, जो विधानसभा का विश्वास खो चुका हो, लेकिन इस्तीफा देने से इंकार करता है।
  - (iii) विधानसभा का विघटन
  - (iv) राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित करना।
  - (v) राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करना, इत्यादि।

खंड(2)- यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं जिसके संबंध में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे तो राजपाल का अपने विवेकानुसार किया गया विनिश्चय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की विधिमान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि उसे अपने विवेकानुसार कार्य करना चाहिए था या नहीं।

खंड (3)- इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जाँच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्या दी।

अनुच्छेद 164- मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध

खंड (1)- मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री, राज्यपाल के प्रसादपर्यंत अपने पद धारण करेंगे:

परंतु छत्तीसगढ़ झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में जनजातियों के कल्याण का भारसाधक एक मंत्री होगा जो साथ ही अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण का या किसी अन्य कार्य का भी भारसाधक हो सकेगा।

खंड (1क)-किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी:

परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या बारह से कम नहीं होगी

खंड (1ख)-किसी राजनीतिक दल का किसी राज्य की विधानसभा का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का जिसमें विधान परिषद है, कोई सदस्य जो दसवीं अनुसूची के अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित है वह खंड (1) के अधीन मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए भी निरर्हित होगा।

खंड (2)- मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।

खंड (3)- किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले, राज्यपाल तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा।

खंड (4)- कोई मंत्री, जो निरंतर छह मास की किसी अवधि तक राज्य के विधान-मंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा।

खंड (5)- मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो उस राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, समय-समय पर अवधारित करे और जब तक उस राज्य का विधान-मंडल इस प्रकार अवधारित नहीं करता है तब तक ऐसे होंगे जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।

अनुच्छेद 166- राज्य की सरकार के कार्य का संचालन

खंड (1)- किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राज्यपाल के नाम से की हुई कही जाएगी।

खंड (2)- राज्यपाल के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखतों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो राज्यपाल द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखत की विधिमान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह राज्यपाल द्वारा किया गया या निष्पादित आदेश या लिखत नहीं है।

खंड (3)- राज्यपाल, राज्य की सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और जहाँ तक वह कार्य ऐसा कार्य नहीं है जिसके विषय में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे वहाँ तक मंत्रियों में उक्त कार्य के आबंटन के लिए नियम बनाएगा।

अनुच्छेद 167- राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य

प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्त्तव्य होगा कि वह-

खंड (क)- राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करे;

खंड (ख)- राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल माँगे, वह दे; और

खंड (ग)- किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे।

संसद

भाग-5

अनुच्छेद 79 – 121

अनुच्छेद 79 - संसद का गठन

संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होगें।

व्याख्या:

- संसद के 3 अंग हैं-
  (i) राष्ट्रपति (ii) लोकसभा (iii) राज्यसभा
- 1954 में राज्य परिषद और जनता का सदन के स्थान पर राज्यसभा और लोकसभा शब्द को अपनाया गया।
- राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं।
- लोकसभा को निचला सदन कहते हैं।
- लोकसभा भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है और राज्यसभा भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है।

अनुच्छेद 80- राज्यसभा का संघटन

- राज्यसभा में सदस्यों के दो वर्ग होते हैं-
  (i) राज्यों के प्रतिनिधि, और
  (ii) राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य।
- राज्यों के प्रतिनिधियों की अधिकतम सीमा 238 निर्धारित है।
- राष्ट्रपति, राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को नामित करता है, जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो।

  नोट: वर्तमान में, राज्यसभा में 245 सीटें हैं।

- संविधान की चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशो को राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है।
- राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं।

  नोट: राज्य विधान परिषद् के सदस्य (MLC) राज्यसभा के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं।

- चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है।
- राज्यसभा में राज्यों को सीटें जनसंख्या के आधार पर दी जाती हैं।
- राज्यसभा में संघ राज्यक्षेत्रों के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जाएँगे जो संसद विधि द्वारा विहित करे।

  नोट: संविधान केवल आनुपातिक प्रतिनिधित्व राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए निर्धारित करता है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में, यह इसे संसद पर छोड़ देता है। संसद ने विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए एक चुनावी कॉलेज या निर्वाचक मंडल निर्धारित किया है और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। केवल दिल्ली और पुडुचेरी के प्रतिनिधि राज्यसभा में है।

अनुच्छेद 81- लोकसभा का संघटन

- लोकसभा में-
  (i) राज्यों के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 530 सदस्यों से अधिक नहीं होंगे।

(ii) संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति से, जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करें, चुने हुए 20 से अधिक सदस्यों नहीं होगे, और

(iii) अनुच्छेद 331 के तहत, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए आंग्ल-भारतीय सदस्यों की संख्या दो से अधिक नही होगी।

व्याख्या:

- लोकसभा के सदस्यों को लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिंद्धांत पर आधारित होते है।
- संसद ने संघ राज्यक्षेत्र अधिनियम, 1965 बनाया, जिसके तहत संघ राज्य क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं।
- राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों के नामंकन के प्रावधान को 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया।
- लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 है और वर्तमान में 545 है।
- अनुच्छेद 330 के तहत, संविधान ने लोकसभा में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के सदस्यों के लिए सीटो में आरक्षण का प्रावधान रखा है।

  नोट: कुल 131 सीटें लोकसभा में SC (84) और ST (47) के लिए आरक्षित है।
- अनुच्छेद 332 के तहत, संविधान ने विधानसभा में SC और ST के सदस्यों के लिए सीटों में आरक्षण का प्रावधान रखा है।
- अनुच्छेद 334 के तहत, लोकसभा और विधानसभा में SC और ST के लिए सीटों में आरक्षण का प्रावधान, संविधान के प्रारंभ से 80 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

  नोट: 104 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 से पहले, अनुच्छेद 334 के तहत आरक्षण का प्रावधान लोकसभा और विधान सभा में संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। लेकिन संशोधन के बाद समय सीमा 10 वर्ष और बढ़ा दी। अब आरक्षण का प्रावधान 70 वर्ष से बढ़कर 80 हो गया है।

अनुच्छेद 82- प्रत्येक जनगणना के पश्चात् पुन: समायोजन

प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों को लोकसभा में स्थानों के आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से पुन: समायोजन किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे

व्याख्या:

- संविधान जनगणना के बाद राज्यो के बीच सीटों के आवधिक पुन: आवंटन का वर्णन करता है।
- संसद को प्राधिकरण निर्धारित करने का अधिकार है।
- संसद ने 1952, 1962, 1972 व 2002 में परिसीमन आयोग अधिनियम लागू किए।

  नोट: परिसीमन आयोग को सीमा आयोग भी कहा जाता है।
- 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 ने लोकसभा में सीटों का आवंटन 25 वर्षों के लिए स्थिर कर दिया है जो कि वर्ष 2000 तक है (1971 की जनगणना के आधार पर)

- 84 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2001 ने लोकसभा में सीटों के आवंटन को अगले 25 वर्षों के लिए स्थिर कर दिया जो कि वर्ष 2026 तक है।

परिसीमन आयोग की संरचना: इसकी संरचना तय नहीं है, और इसे संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है।

- अध्यक्ष – उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश
- मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्तों को पदेन सदस्य के रूप में।
- राज्य चुनाव आयुक्त

अनुच्छेद 83- संसद के सदनों की अवधि

- राज्यसभा एक स्थायी निकाय है और यह विघटन के अधीन नहीं है।
- राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं।
- राज्यसभा के सदस्य के पद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।
- लोकसभा एक अस्थायी निकाय है और यह विघटन के अधीन है।
- लोकसभा की सामान्य आयु 5 वर्ष होती है जो कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष से पहले भी विघटित की जा सकती है। हालंकि, लोकसभा की आयु राष्ट्रीय आपतकाल के दौरान संसद के कानून के द्वारा एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकती है।

अनुच्छेद 84- संसद की सदस्यता के लिए अर्हताएं

(i) उसे भारत का नागरिक होना चाहिए।

(ii) निर्वाचन अयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है।

(iii) उसे राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का और लोकसभा में स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए।

(iv) उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं हैं जो संसद द्वारा बनाई गई हो।

संसद ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निम्नलिखित अतिरिक्त योग्यताएं रखी हैं:

(i) किसी भी संसदीय क्षेत्र में निर्वाचक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। यह लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निवार्चन के लिए अनिवार्य है।

(ii) यदि कोई व्यक्ति SC या ST के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे उस समुदाय का सदस्य होना चाहिए।

अनुच्छेद 85- संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन

1. संसद के सत्र

आमतौर पर एक वर्ष में तीन सत्र होते हैं:

(i) बजट सत्र – फरवरी से मई

(ii) मानसून सत्र – जुलाई से सितम्बर

(iii) शीतकालीन सत्र – नवम्बर से दिसम्बर

नोट:

- संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह के अधिक नहीं हो सकता।
- राष्ट्रपति समय-समय पर, संसद के प्रत्येक सदन को अधिवेशन के लिए आहूत करेगा।

2. सत्रावसान

- सत्रावसान संसदीय सत्र को समाप्त करने का कार्य है या दूसरे शब्दों में, संसद के सत्र को समाप्त करने के लिए सत्रावसान जारी किया जाता है।
- सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है।

3. विघटन

- राष्ट्रपति के पास लोकसभा को विघटित करने की शक्ति है।
- विघटन से लोकसभा का जीवन समाप्त हो जाता है और एक नई लोकसभा के चुनाव के लिए आम चुनाव होते हैं।

अनुच्छेद 86- सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार

अनुच्छेद 87- राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण

राष्ट्रपति निम्नलिखित अवसरों पर संसद के दोनों सदनों में एक साथ अभिभाषण करेगा:

(i) लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन या आम चुनाव के पश्चात् प्रथम सत्र।

(ii) प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में।

अनुच्छेद 88- सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार

प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में, जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, बोले और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा।

नोट:

- किसी मंत्री या महान्यायवादी को दिया गया अधिकार भागीदारी का है लेकिन मतदान का नहीं।
- एक मंत्री केवल उसी सदन में मतदान कर सकता है जिसके वह सदस्य हैं, हालांकि वह दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग लेने का हकदार है।

अनुच्छेद 89-98 (संसद के पदाधिकारी गण)

(i) सभापति और उप सभापति

- भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा।
- सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है।
- उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों में से चुना जाता है।
- उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है।
- उपसभापति सीधे राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और वह सभापति के अधीनस्थ नहीं होता है।
- राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, और भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं।
- किसी भी अवधि के दौरान जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो सभापति के कार्यालय के कर्त्तव्यों का पालन उपसभापति द्वारा किया जाएगा।
- यदि सभापति का पद रिक्त है, तो उपसभापति सभापति के कर्त्तव्यों का पालन करता है। यदि उपसभपति का पद भी रिक्त है, तो राज्यसभा का ऐसा सदस्य जिसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उस पद के कर्त्तव्यों का पालन करेगा।
- सभापति की अनुपस्थिति में, उपसभापति कर्त्तव्यों का पालन करता है। यदि सभापति और उपसभापति दोनों अनुपस्थित हैं, तो उपसभापतियों की तालिका का कोई भी सदस्य सभापति के कर्त्तव्यों का पालन कर सकता है।

जब तालिका में से भी कोई उपस्थित नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति जो राज्यसभा द्वारा अवधारित किया जाए, सभापति के रूप में कार्य करेगा।

नोट: राज्यसभा के नियमों के तहत, सभापति राज्यसभा के सदस्यों में से 10 से अधिक सदस्यों को उपसभापतियों की तालिका में शामिल नहीं करता है।

- सभापति पहली बार में मत नही दे सकता है। मत बराबर होने की स्थिति में ही वह मत दे सकता है। ऐसे मत को निर्णायक मत कहते हैं।

सभापति को हटाना

- भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।
- भारत के उपराष्ट्रपति को हटाए जाने पर ही राज्यसभा के सभापति को उनके पद से हटाया जा सकता है।
- सभापति को पद से हटाने के लिए, राज्यसभा में हटाने के प्रस्ताव को प्रभावी बहुमत से पारित करना होता है और लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित करना होता है। इस तरह का कोई भी प्रस्ताव 14 दिन के पूर्व नोटिस के बाद ही दिया जा सकता है।

उपसभापति को हटाना

- उपसभापति को पद से हटाने के लिए, राज्यसभा में हटाने के प्रस्ताव को प्रभावी बहुमत से पारित करना होता है। इस तरह का कोई भी प्रस्ताव 14 दिन के पूर्व नोटिस के बाद ही दिया जा सकता है।

  नोट: उपसभापति को पद से हटाने के लिए लोकसभा की कोई भूमिका नहीं होती है।

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

- अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है।
- अध्यक्ष लोकसभा का प्रमुख होता है।
- 11वीं लोकसभा से, अध्यक्ष सत्ताधारी दल का होता है और उपाध्यक्ष मुख्य विपक्षी दल से होता है।
- अध्यक्ष के पद की शपथ का कोई उल्लेख नहीं है, और अध्यक्ष संसद के सदस्य के रूप में शपथ लेता है।
- अध्यक्ष सदन में नियम और शिष्टाचार बनाए रखता है।
- अध्यक्ष सदन में संविधान का अंतिम व्यख्याकार है।
- अध्यक्ष विशेषाधिकार के उल्लंघन या सदन की अवमानना को निर्धारित करता है।
- अध्यक्ष कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति की अध्यक्षता करता है।
- अध्यक्ष पहली बार में मत नहीं दे सकता है। मत बराबर होने की स्थिति में वह मत दे सकता है। ऐसे मत को निर्णायक मत कहते हैं।
- अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों में से चुना जाता है।
- उपाध्यक्ष भी लोकसभा के सदस्यों में से चुना जाता है।
- अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है।
- उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है।
- अध्यक्ष के चुनाव की तारीख राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है।
- उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है।
- उपाध्यक्ष सीधे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और वह अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता है।
- लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन ओर भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, और भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं।
- यदि अध्यक्ष का पद रिक्त है, तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कर्त्तव्यों का पालन करता है, यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है, तो लोकसभा का ऐसा सदस्य जिसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उस पद के कर्त्तव्यों का पालन करेगा।
- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष कर्त्तव्यों का पालन करता है। यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित है, तो सभापतियों की तालिका का कोई भी सदस्य अध्यक्ष के कर्त्तव्यों का पालन कर सकता है। जब तालिका

में से भी कोई भी उपस्थित नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा द्वारा अवधारित किया जाए, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

नोट: लोकसभा के नियमों के तहत, अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों में से 10 से अधिक सदस्यों को सभापतियों की तालिका में शामिल नहीं करता है।

अध्यक्ष को हटाना

- अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए, लोकसभा में हटाने के प्रस्ताव को प्रभावी बहुमत से पारित करना होता है। इस तरह का कोई भी प्रस्ताव 14 दिन के पूर्व नोटिस के बाद ही दिया जा सकता है।

उपाध्यक्ष को हटाना

- उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिए, लोकसभा में हटाने के प्रस्ताव को प्रभावी बहुमत से पारित करना होता है। इस तरह को कोई भी प्रस्ताव 14 के दिन के पूर्व नोटिस के बाद ही दिया जा सकता है।

प्रोटेम अध्यक्ष

- राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में से प्रोटेम अध्यक्ष को नियुक्त करता है। (आमतौर पर एक वरिष्ठ सदस्य)
- राष्ट्रपति प्रोटेम अध्यक्ष को शपथ दिलाता है।
- नई लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता प्रोटेम अध्यक्ष करता है।
- प्रोटेम अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलवाता है।

अनुच्छेद 99- सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तीसरी अनुसूची के इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा।

अनुच्छेद 100- सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति

- प्रत्येक सदन की बैठक में या सदनों की संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा, जिसे साधारण बहुमत कहते हैं।

  नोट: हमारे संविधान में कुछ अपवाद हैं जहाँ विशेष या प्रभावी बहुमत की आवश्यकता होती है।

- **निर्णायक मत**- सभापति या अध्यक्ष, अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमत: मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा।

- **गणपूर्ति (कारेम)**- सदन के सदस्यों की कुल संख्या का दसवां भाग होगी।

  नोट: यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं है तो सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब गणपूर्ति नहीं हो जाती है।

अनुच्छेद 101- स्थानों का रिक्त होना

1. कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत बहुस्थानिक निर्वाचन से संबंधित निम्नलिखित प्रावधान दिए हैं। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का अध्याय 6)

(क) जो कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सदस्य चुन लिय जाता है और जिसने दोनों सदनों में से किसी में अपना स्थान ग्रहण नहीं किया है वह 10 दिनों के भीतर सूचित करे कि वह दोनों सदनों में से किस में सेवा

करना चाहता है। सूचना न देने पर, राज्यसभा में उसकी सीट रिक्त हो जाएगी।

(ख) जो व्यक्ति लोकसभा का पहले से ही सदस्य है, और ऐसे सदन में अपना स्थान ग्रहण का चुका है यदि वह राज्यसभा का सदस्य चुन लिया जाता है, तो लोकसभा में उसका स्थान रिक्त हो जाएगा।

(ग) जो व्यक्ति राज्यसभा का पहले से ही सदस्य है और ऐसी सभा में अपना स्थान ग्रहण कर चुका है यदि वह लोकसभा का सदस्य चुन लिया जाता है, तो राज्यसभा में उसका स्थान रिक्त हो जाएगा।

(घ) यदि कोई व्यक्ति किसी सदन में एक से अधिक स्थान के लिए निर्वाचित हो गया है तो जब तक कि वह उन स्थानों में से केवल एक के अतिरिक्त सब के त्यागपत्र विहित समय के अंदर नहीं दे देता वे सब स्थान रिक्त हो जाएगें।

दूसरे शब्दों में, ऐसे व्यक्ति को एक सीट चुननी है और अन्य सभी सीटों से इस्तीफा देना है अन्यथा सभी सीट खाली हो जाएंगी। (इसका स्पष्टीकरण नीचे प्रदान किया गया है।)

स्पष्टीकरण:

- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 70 के तहत, यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक सीट के लिए चुन लिया जाता है, तो उसे एक सीट चुननी होगी।
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33(7) के तहत, एक व्यक्ति दो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है।
- निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 91 में उल्लेख है कि वह समय, जिसके अंदर व्यक्ति एक को छोड़कर सब स्थानों से त्यागपत्र दे सकेगा, उसके अपने निर्वाचन की तारीख से 14 दिन का होगा। ऐसा त्यागपत्र सम्पृक्त सदन के अध्यक्ष या सभापति को संबोधित किया जाएगा।
- इसलिए, एक व्यक्ति दो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है लेकिन, यदि वह दोनों से चुन लिया जाए, तो उसे 14 दिनों के भतीर एक सीट से इस्तीफा देना होगा अन्यथा दोनों सीट खाली हो जाएंगी।

2. **अनुच्छेद 101(2)**- कोई व्यक्ति संसद और किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन, दोनों का सदस्य नहीं होगा और यदि कोई व्यक्ति संसद और राज्य के विधान मंडल के किसी सदन, दोनों का सदस्य चुन लिया जाता है, तो ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात् जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए संसद में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जाएगा यदि उसने राज्य के विधानमंडल में अपना स्थान को पहले ही नहीं त्याग दिया है।

अनुच्छेद 101(2) की व्यख्या:

कोई व्यक्ति एक ही समय संसद और राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति निर्वाचित होता है, तो उसे 14 दिनों के भीतर राज्य के विधानमंडल की सीट को खाली करना होता है, अन्यथा संसद में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है।

नोट: राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 101(2) के तहत बनाए गए समानांतर सदस्यता प्रतिषेध नियम, 1950 के नियम 2 के तहत, समय अवधि 14 दिन है।

3. यदि संसद के किसी सदन का सदस्य, यथास्थिति, सभापति या अध्यक्ष को संबोधित अपने लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर देता है और उसका त्यागपत्र, यथास्थिति, सभापति या अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो ऐसा होने पर उसका स्थान रिक्त हो जाएगा।

नोट: 33वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974, के द्वारा अनुच्छेद 101(3) में एक परंतुक या शर्त जोड़ी गयी है जिसमें कहा गया है कि- बशर्ते कि किसी भी इस्तीफे के मामले में, सभापति या अध्यक्ष को ऐसा लगे कि त्यागपत्र स्वैच्छिक या असली नहीं है, तो वह ऐसे त्यागपत्र को स्वीकार नहीं करेगा।

4. यदि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों

से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा:
परंतु 60 दिन की उक्त अवधि की संगणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन सत्रावसित या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थागित रहता है।

अनुच्छेद 102- सदस्यता के लिए निरर्हताएं

खंड (1)- कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा:

(क) यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़कर, जिसको धारण करने वाले का निरर्हित न होना संसद के विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है;
(ख) यदि वह विकृतचित्त है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है;
(ग) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है;
(घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से आर्जित कर ली है या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषक्ति को अभिस्वीकार किए हुए है;
(ड) यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है।

नोट: कोई व्यक्ति केवल उस कारण भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझाा जाएगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का मंत्री है।

खंड (2)- कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा यदि वह 10वीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निरर्हित हो जाता है।

अनुच्छेद 103- सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय

यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 के खंड (1) में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने के पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।

व्याख्या: अनुच्छेद 102 के खंड (1) में उल्लिखित संसद के सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर चुनाव आयोग राष्ट्रपति को सलाह देता है। राष्ट्रपति का निर्णय इस संबंध में अंतिम है, हालांकि, राष्ट्रपति को चुनाव आयोग की राय के अनुसार कार्य करना आवयश्क है।

अनुच्छेद 107- विधेयको के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध

- धन विधेयक और वित्तीय विधेयक को छोड़कर, सभी विधेयक संसद के किसी भी सदन में आरंभ हो सकते हैं।
- संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होगा।
- राज्यसभा में लंबित विधेयक, जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा।
- लोकसभा में लंबित विधेयक, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाएगा।
- लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राज्यसभा में लंबित है, तो लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाएगा।

अनुच्छेद 108- कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक

- यदि किसी विधेयक के एक सदन द्वारा पारित किए जाने और दूसरे सदन को पारेषित किए जाने के पश्चात्,
  (क) दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया है, या
  (ख) विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हैं, या
  (ग) दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारिख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 महीने से अधिक बीत गए हैं।

नोट: उपर्युक्त तीन शर्ते हैं जिनमें लोकसभा और राज्यसभा के बीच संयुक्त बैठक हो सकती है।

- राष्ट्रपति विधेयक पर विचार-विमर्श करने और मत देने के प्रयोजन के लिए सदनों को संयुक्त बैठक के लिए अहूत कर सकता है।
- धन विधेयक और संवैधानिक संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।
- 6 महीने की अवधि में उस समय को नहीं गिना जाता जब अन्य सदन निरंतर चार से अधिक दिनों के लिए स्थगित या सत्रावसित कर दिया जाता है।
- यदि राष्ट्रपति ने सदनों को संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की सूचना दे दी है तो कोई भी सदन विधेयक पर आगे कार्यवाही नहीं करेगा।
- यदि सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक को साधारण बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है तो वह दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया समझा जाएगा।
- लोकसभा का अध्यक्ष संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष अध्यक्षता करता है, और उसकी अनुपस्थिति में राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करता है। यदि उपसभापति भी अनुपस्थित है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्धारित किया जाता है वह संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है।

  नोटः यह बात स्पष्ट है कि राज्यसभा का सभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है।

- संयुक्त बैठक की कोरम (गणपूर्ति) दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है।
- अब तक, जो विधेयक संयुक्त बैठक में पारित किए गए हैं:

  (1) दहेज प्रतिषेध विधेयक, 1960

  (2) बैंक सेवा आयोग विधेयक, 1977

  (3) आतंकवाद निवारण विधेयक, 2002

अनुच्छेद 109- धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया

- धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।
- धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
- धन विधेयक को केवल राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अर्थात् ऐसा विधेयक केवल मंत्री के द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है और निजी सदस्य के द्वारा नहीं।
- धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात् राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारेषित किया जाएगा।
- राज्यसभा के पास केवल 14 दिनों का समय होता है धन विधेयक पर। इन 14 दिनों के भीतर राज्यसभा को अपनी सिफारिशों साहित लोकसभा को विधेयक लौटा ना होता है।
- लोकसभा, राज्यसभा की सभी या किन्हीं सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।
- यदि लोकसभा, राज्यसभा की किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो धन विधयेक राज्यसभा द्वारा सिफारिश किए गए और लोकसभा द्वारा स्वीकार किए गए संशोधनों सहित दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया समझा जाएगा।
- यदि लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारेषित धन विधेयक 14 दिन की अवधि के भीतर लोकसभा को नहीं लौटाया जाता है तो वह दोनों सदनों द्वारा, उस रूप में पारित किया गया समझा जाएगा जिसमें वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।
- जब धन विधयेक को राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति या तो इस विधेयक पर अनुमति दे देता है या फिर अनुमति देने से मना कर देता है लेकिन राष्ट्रपति धन विधेयक लौटा नहीं सकता है।

अनुच्छेद 110- धन विधेयक की परिभाषा

- यह अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है।

- कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित उपबंध हैं, अर्थात्:
  - (क) किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन;
  - (ख) भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन अथवा भारत सरकार द्वारा अपने पर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन;
  - (ग) भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी विधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना;
  - (घ) भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग;
  - (ङ) किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन अथवा संघ या राज्य के लेखाओं की संपरीक्षा; या
  - (च) भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखे मुद्दे धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन अथवा संघ या राज्य के लेखाओं की संपरीक्षा; या
  - (छ) उपखंड (क) से उपखंड (च) में विनिर्दिष्ट किसी विषय का आनुषंगिक कोई विषय।

- कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझाा जाएगा कि वह-
  - (i) जुर्मानों या अन्य धनीय शास्तियों का अधिरोपण करता है, या
  - (ii) अनुज्ञप्तियों के लिए फिसों या की गई सेवाओं के लिए फिसों की मांग करता है, या
  - (iii) किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजन के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है।

- यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा।

- प्रत्येक धन विधेयक पर लोकसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण पृष्ठांकित किया जाएगा कि वह धन विधेयक है-
  - (i) जब धन विधेयक राज्यसभा को पारेषित किया जाता है, और
  - (ii) जब धन विधेयक अनुमति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

अनुच्छेद 111- विधेयकों पर अनुमति

नोट:- इस अनुच्छेद को 'राष्ट्रपति की वीटो शक्ति' करते समय समझा जाएगा।

अनुच्छेद 117- वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध

- धन विधेयक और वित्तीय विधयेक के बीच अंतर-
  - (i) धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसमें केवल अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट मामलों से संबंधित प्रावधान हो।
  - (ii) वित्तीय विधेयक एक ऐसा धन विधेयक है जिसमें सामान्य कानून के प्रावधान भी जोड़े गए हैं। अर्थात, यह अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट मामलों के अलावा, यह अन्य मामलों से भी संबंधित है।

- **वित्त विधेयक निम्न तीन प्रकार के होते हैं:**
  - (i) धन विधेयक (अुच्छेद 110)
  - (ii) वित्तीय विधेयक (I) [अनुच्छेद 117 (1)]
  - (iii) वित्तीय विधेयक (II) [अनुच्छेद 117 (3)]

- सभी धन विधेयक, वित्त विधेयक होते हैं किंतु सभी वित्त विधेयक, धन विधेयक नहीं होते हैं।

वित्तीय विधेयक (I)

- वित्तीय विधेयक (I) और धन विधेयक में निम्नलिखित दो सामान्य विशेषताएं हैं-
  (i) दोनों केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं, और
  (ii) दोनों को केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश किया जा सकता है।
- परंतु किसी कर के घटाने या उत्सादन के लिए उपबंध करने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिए इस खंड के अधीन सिफारिश की अपेक्षा नहीं होगी।
- वित्तीय विधेयक (I) उसी तरीके से पारित किया जाएगा जिस तरीके से एक साधारण विधेयक पारित किया जाता है। इसलिए, एक वित्तीय विधेयक (I) पर संयुक्त बैठक हो सकती है और राष्ट्रपति इस विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन को वापस कर सकता है।

वित्तीय विधेयक (II)

- वित्तीय विधेयक (II) में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय संबंधी उपबंध होते हैं लेकिन इसमें वह कोई मामला नहीं होता, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 110 में होता है।
- इस विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।
- इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय, राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है।
- राष्ट्रपति की सिफारिश केवल विधेयक को पारित करते समय आवश्यक होती है।
- इस विधेयक पर संयुक्त बैठक हो सकती है और राष्ट्रपति इस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है।

नोटः वित्तीय विधेयक (I) और (II) पर, राष्ट्रपति या तो अपनी अनुमति दे सकता है या अनुमति देने से मना कर सकता है या फिर पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है।

अनुच्छेद 122- न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जाँच न किया जाना है।

संसद की किसी कार्यवाही की विधिमान्यता को प्रक्रिया की किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

संसदीय समितियाँ

1. लोक लेखा समिति

- लोक लेखा समिति का गठन पहली बार 1921 में मॉन्टग्यू-चेम्सफोर्ड् रिफार्म्स के परिणामस्वरूप हुआ था।
- अंतरिम सरकार के दिनों में वित्त मंत्री इस समिति के सभापति के रूप में काम करते थे और बाद में स्वतंत्रता के पश्चात्, वित्त मंत्री सभपति बन गए। इससे विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति और कार्यपालिका की आलोचना पर स्वाभिविक रूप से रोक लग गई।
- भारत का संविधान लागू होने के साथ ही लोक लेखा संबंधी समिति में उस समय आमूल-चूल परिवर्तन हुए जब यह समिति अध्यक्ष के नियंत्रण में काम करने वाली एक संसदीय समिति बन गई और उसमें निर्वाचित लोकसभा सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष द्वारा गैर-सरकारी सभापति नियुक्त किया गया।
- लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 309(एक) के द्वारा वित्त मंत्री इस समिति के सदस्य नहीं रहे।
- लोक लेखा समिति अब प्रति वर्ष लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 308 के तहत गठित की जाती है।
- लोक लेखा समिति में 22 से अधिक सदस्य नहीं होते है जिनमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं।
- संसद प्रतिवर्ष अपने सदस्यों में से एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार लोक लेखा समिति के सदस्यों को निवार्चित करती है।

- 1954-55 से पहले, इस समिति में 15 सदस्य होते थे जो लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित किए जाते थे। परंतु, 1954-55 से 7 सदस्य, राज्यसभा से भी इस समिति में सम्बद्ध किया जा रहे हैं।
- 1967 से, लोक लेखा समिति के सभापति को विपक्ष से चुना जाता है।
- सदस्यों के कार्यालय की अवधि एक वर्ष है।
- एक मंत्री को समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित नहीं किया जा सकता है।
- समिति के सभापति की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा समिति में लोकसभा के सदस्यों में से की जाती है।
- वर्तमान में लोक लेखा समिति के सभापति अधीर रंजन चौधरी है।
- लोक लेखा समिति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक के वार्षिक प्रतिवेदनों की जाँच करती है।
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को तीन प्रतिवेदन सौंपता है-

  (i) विनियोग लेखा पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन

  (ii) वित्त लेखा पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन

  (iii) सार्वजनिक उद्यमों पर लोखा परीक्षा प्रतिवेदन

2. प्राक्कलन समिति

- 1950 में पहली बार गठित अनुमानों पर समिति एक संसदीय समिति है जिसमें 30 सदस्य शामिल हैं, जो अपने सदस्यों के बीच लोकसभा द्वारा हर वर्ष चुने जाते हैं।
- समिति के अध्यक्ष की नियक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने सदस्यों के बीच से की जाती है।
- एक मंत्री को समिति का सदस्य नहीं चुना जा सकता है और यदि समिति में चयन के बाद किसी सदस्य को मंत्री नियुक्त किया जाता है, तो सदस्य ऐसी नियुक्ति की तारीख से समिति का सदस्य नहीं रहता है।
- समिति के पद का कार्यकाल एक वर्ष होता है।
- इस समिति के सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं।
- समिति के सदस्यों को एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार चुना जाता है।
- प्राक्कलन समिति के कार्य यह है, कि:

  (i) अनुमानों को अंतर्निहित नीति के अनुरूप क्या किफायतें, संगठन में सुधार, दक्षता या प्रशसनिक सुधार प्रभावी बनाए जा सकते हैं, इस बारे में रिपोर्ट करना;

  (ii) प्रशासन में दक्षता और किफायत लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना;

  (iii) यह जाँचने के लिए कि क्या अनुमानों में निहित नीति की सीमाओं के भीतर धन अच्छी तरह से निर्धारित किया गया है;

  (iv) और उस रूप का सुझाव देना जिसमें अनुमान संसद में प्रस्तुत किए जाएँगे।

  यह समिति ऐसे सार्वजनिक उपक्रमों के संबंध में अपने कार्यों का प्रयोग नहीं करती है जैसा कि लोकसभा के कार्य प्रक्रिया और संचालन के नियमों या अध्यक्ष द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों की समिति को आवंटित किया जाता है।

- इसके गठित होने के तुंरत बाद, समिति केंद्र सरकार के मंत्रालय/विभाग या केंद्र सरकार के सांविधिक और अन्य निकायों से संबंधित ऐसे अनुमानों का चयन करती है जैसा कि समिति के लिए उपयुक्त प्रतीत हो सकता है। समिति विशेष हित के मामलों की भी जाँच करती है जो कार्य के दौरान उत्पन्न हो सकते हैं या जिन्हें सदन या अध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से उल्लेख किया जाए।

- समिति की सिफारिशें लोकसभा में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्टों में सन्निहित है।
- लोकसभा में रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद संबंधित मंत्रालय या विभाग को 6 महीने की अवधि के भीतर या समिति के निर्देशानुसार रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के निष्कर्षों पर कार्रवाई करनी होती है। समिति द्वारा सरकार के उत्तरों की जाँच की जाती है और कार्यवाई की गई रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है।

3. सरकारी उपक्रमों संबधी समिति

- इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं।
- समिति के सभापति की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा इसके सदस्यों में से की जाती है।
- कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं बन सकता।
- समिति का कार्यकाल एक वर्ष से अधिक के समय के लिए नहीं होता है।
- समिति के सदस्यों को एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार चुना जाता है।
- इस समिति के कार्य इस प्रकार हैं-

  (i) सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखों की जाँच करना;

  (ii) सरकारी उपक्रमों के विषय में नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक (CAG) के प्रतिवेदनों की जाँच करना;

  (iii) सरकारी उपक्रमों की स्वयत्ता और कार्यकुशलता के संदर्भ में यह जाँच करना कि क्या सरकारी उपक्रमों के कार्य समुचित व्यापार सिद्धांतों और विवेकपूर्ण वाणिज्यिक प्रथाओं के अनुरूप चल रहे हैं; और

  (iv) सरकारी उपक्रमों से संबंधित ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति के जिम्मे भी होता है जो कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर समिति को सौंपे जाएं।

- समिति की सिफारिशें संसद मे प्रस्तुत की गई प्रतिवेदन में सन्निहित है। सदन में प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के पश्चात्, मंत्रालय/उपक्रम द्वारा प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट विभिन्न सिफारिशों और निष्कर्षों पर कार्यवाई करना अपेक्षित होता है। की गई कार्रवाई संबंधी उप-समिति या समिति द्वारा सरकार के उत्तरों की जाँच की जाती है और सभा में की गई कार्रवाई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है।

प्रश्नकाल

(i) संसद के प्रत्येक बैठक का पहला घंटा प्रश्नों के लिए समर्पित होता है और उस घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है।

(ii) प्रश्नकाल के दौरान सदस्य प्रशासन और सरकारी गतिविधि के हर पहलू पर प्रश्न पूछ सकते हैं।

प्रश्नों के प्रकार

- प्रश्न चार तरह के होते हैं:

(i) तारांकित प्रश्नों

- तारांकित प्रश्न वह है जिसमें एक सदस्य सदन में मौखिक उत्तर की इच्छा रखता है।
- जब किसी प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, तो पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

(ii) अतारांकित प्रश्नों

- इस तरह के प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से नहीं, बल्कि लिखित रूप में दिया जाता है।
- फलस्वरूप, कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है।

(iii) अल्प सूचना के प्रश्न

- एक अल्प सूचना प्रश्न वह है जो तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले से संबंधित है और 10 दिनों से कम समय के नोटिस के साथ पूछा जा सकता है।
- इसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है और पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

(iv) निजी सदस्य से सवाल

- यदि प्रश्न की विषयवस्तु किसी विधेयक, संकल्प अथवा सदन की कार्यवाही से संबंधित अन्य मामले से जुड़ी हो जिसके लिए सदस्य उत्तरदायी है।
- ऐसे प्रश्न से संबंधित प्रक्रिया वैसी ही होगी जैसी कि किसी मंत्री के प्रश्न पूछने के लिए होती है।

नोट:

- तारांकित प्रश्न- हरा रंग
- अतारांकित प्रश्न- सफेद रंग
- अल्प सूचना प्रश्न- हल्का गुलाबी रंग
- निजी सदस्य से प्रश्न- पीला रंग

शून्यकाल

- शून्यकाल के उद्भव को 60 के दशक की शुरूआत में पता लगाया जा सकता है जब किसी भी पूर्व सूचना के बिना प्रश्नकाल के तुरंत बाद सदस्यों द्वारा सर्वाजनिक महत्व और तात्कालिकता के कई मुद्दे उठाए जाने लगे।
- शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है और इसे प्रश्नकाल के अंत और नियमित व्यवसाय की शुरूआत के बीच के समय के अंतराल के रूप में जाना जाता है।
- शून्यकाल संसदीय प्रक्रियाओं के क्षेत्र में एक भारतीय नवाचार है।
- प्रक्रिया के नियमों में शून्यकाल का उल्लेख नहीं किया गया है।
- मामलों को सदस्यों द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के उठाया जाता है।

भारत के महान्यायवादी
और
राज्य के महाधिवक्ता

महान्यायवादी
भाग-5
अनुच्छेद-76

1. वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी है।
2. महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है।
3. उसमें उन योग्यताओं का होना आवश्यक है, जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होती है।
4. महान्यायवादी को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक मिलता है।
5. महान्यायवादी के कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है।
6. महान्यायवादी, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा।
7. महान्यायवादी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है।
8. महान्यायवादी को अपने कर्त्तव्यों के पालन में भारत के राज्यक्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा।

महाधिवक्ता
भाग-6
अनुच्छेद-165

1. वह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी है।
2. महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है।
3. उसमें उन योग्यताओं का होना आवश्यक है, जो उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होती है।
4. महाधिवक्ता को राज्यपाल द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक मिलता है।
5. महाधिवक्ता के कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है।
6. महाधिवक्ता, राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा।
7. महाधिवक्ता अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपता है।
8. महाधिवक्ता को अपने कार्य संबंधी कर्त्तव्यों के तहत उसे राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है।

संविधान का संशोधन
भाग-20
अनुच्छेद-368

- संविधान के संशोधन करने की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है।

संशोधन प्रक्रिया

अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का निम्नलिखित तरीकों से उल्लेख किय गया है:

1. संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन मे प्रस्तुत किया जा सकता है।
2. इस विधेयक को राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।
3. इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है।
4 इस विधयेक को मंत्री या निजी सदस्य किसी के द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है।
5. इस विधेयक को प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित करना होता है।
6. प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग-अलग पारित करना अनिवार्य है।
7. दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कराने का कोई प्रावधान नहीं है।
8. दोनों सदनों से विशेष बहुमत द्वारा पारित होने के बाद, इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है।

नोट: 24वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी अनुमति देना अनिवार्य है।

संशोधन के प्रकार

संविधान के संशोधन के तीन प्रकार-

1. साधरण बहुमत द्वारा
2. विशेष बहुमत द्वारा
3. विशेष बहुमत द्वारा और आधे राज्य विधानमंडलों की सहमति के उपरांत संशोधन

निम्नलिखित प्रावधानों में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्य विधानमंडलो के अनुसमर्थन की आवश्यकता है-

1. राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया। [अनुच्छेद- 54, 55]
2. केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार [अनुच्छेद- 73, 162]
3. उच्चतम और उच्च न्यायालय सें सबंधित प्रावधान [भाग 5 के अध्याय 4, भाग 6 के अध्याय 5]
4. संघ राज्यक्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय [अनुच्छेद- 241]
5. केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन। [भाग 11 के अध्याय 1]
6. संविधान की सातवीं अनुसूची। [सूची-I, II, III]
7. संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व [IV अनुसूचि]
8. अनुच्छेद 368 स्वयं

राज्यपाल
भाग-6
अनुच्छेद 153-167

- संविधान के छठवें भाग के अनुच्छेद 153-167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है।
- राज्य कार्यपालिका में शामिल होते हैं:

  (क) राज्यपाल
  (ख) मुख्यमंत्री
  (ग) मंत्रिपरिषद्
  (घ) राज्य का महाधिवक्ता

अनुच्छेद 153- राज्यों के राज्यपाल

प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा:
परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी।

नोट: किसी एक व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। इस प्रावधान को सातवें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 के द्वारा जोड़ा गया है।

अनुच्छेद 155- राज्यपाल की नियुक्ति

राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा।

अनुच्छेद 156- राज्यपाल की पदावधि

(1) राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा।

नोट: राज्यपाल के पास कार्यकाल की कोई सुरक्षा नहीं है और उसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। राज्यपाल को हटाने के लिए संविधान में कोई विशिष्ट प्रक्रिया प्रदान नहीं की गई है।

(2) राज्यपाल, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।

(3) राज्यपाल अपने पदग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा:
परंतु राज्यपाल, अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी, तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है।

अनुच्छेद 157- राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएँ

कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक है और 35 वर्ष की आयु कर चुका है।

अनुच्छेद 158- राज्यपाल के पद के लिए शर्तें

1. राज्यपाल संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि संसद के किसी सदन का या ऐसे किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाता है, तो यह समझा जाएगा की उसने उस सदन में अपना स्थान राज्यपाल के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है।
2. राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा।

3. राज्यपाल, बिना किराया दिए, अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा अब ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का भी, जो संसद, विधि द्वारा, अवधारित करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है जब एक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, हकदार होगा।

नोट:

- राज्यपाल को उपलब्ध परिलब्धियाँ, भत्ते और विशेषाधिकार, राज्यपाल (परिलब्धियाँ, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 के द्वारा निधािर्रित किए जाते हैं।
- वर्तमान में, राज्यपाल का वेतन रुपए 3,50,000 है।

4. एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है वहाँ उस राज्यपाल को संदेय उपलब्धियाँ और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आबंटित किए जाएगें जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे।

5. राज्यपाल की उपलब्धियाँ और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएगें।

अनुच्छेद 159- राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

राज्यपाल को पद की शपथ संबंधित राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है।

अनुच्छेद 161- क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति

किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी, जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरूद्ध किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश में निलबंन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी।

नोट:

- राज्यपाल मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता लेकिन राज्यपाल इसे निलंबित, परिहार या लघुकरण कर सकता है।
- केवल राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा को माफ कर सकता है।

अनुच्छेद 200- विधेयकों पर अनुमति

अनुच्छेद 200 के तहत, राज्यपाल के पास राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर निम्नलिखित विकल्प हैं:

1. वह विधेयक पर अनुमति दे सकता है, या
2. विधेयक पर अनुमति रोक सकता है, या
3. विधेयक को विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, या
4. विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है।

नोट:

- राज्यपाल धन विधेयक लौटा नहीं सकता।
- राज्यपाल केवल एक बार विधेयक को लौटा सकता है। यदि विधेयक को राज्य विधानमंडल द्वारा, संशोधन सहित या उसके बिना, फिर से पारित कर दिया जाता है तो राज्यपाल को विधेयक पर अपनी अनुमति देनी होगी।
- इस अनुच्छेद के तहत, राज्यपाल को ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना अनिर्वाय है, जो उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है।
- राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए राज्यपाल में निहित शक्ति विवेकाधीन है।

अनुच्छेद 201- विचार के लिए आरक्षित विधेयक

जब विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्यपाल द्वारा आरक्षित किया जाता है, तो राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं:

1. वह विधेयक पर अनुमति दे सकता है, या
2. विधेयक पर अनुमति रोक सकता है, या
3. विधेयक को लौटा सकता है।

नोट:

- जब कोई विधेयक लौटा दिया जाता है, तब 6 महीने की अवधि के भीतर सदन या सदनों द्वारा उस पर तदनुसार पुनर्विचार किया जाएगा और यदि वह सदन या सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष उसके विचार के लिए फिर से प्रस्तुत किया जाएगा।
- राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के पुनर्विचार के लिए एक धन विधेयक को लौटा नहीं सकता है।

अनुच्छेद 213- विधानमंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति

राज्यपाल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रावधन

- राज्यपाल राज्य में विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है।
- राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत या सत्रावसान कर सकता है।
- राज्यपाल विधानसभा को विघटित कर सकता है।
- धन विधेयक को केवल राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्तुत किया जा सकता है।
- राज्यपाल राज्य उच्च न्यायालय के साथ विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है।
- राज्यपाल राज्य उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग के साथ विचार कर वह राज्य न्यायिक सेवाओं से जुड़े लोगों की नियुक्ति करता है।

राज्य विधानमंडल
भाग-6
अनुच्छेद 168-212

अनुच्छेद 168- राज्यों के विधानों मंडलों का गठन

1. प्रत्येक राज्य के लिए एक विधान-मंडल होगा जो राज्यपाल और-
   (क) आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश राज्यों में दो सदनों से;
   (ख) अन्य राज्यों में एक सदन से,
   मिलकर बनेगा।
2. किसी राज्य के विधान मंडल के दो सदन हैं वहाँ एक का नाम विधान परिषद् और दूसरे का नाम विधानसभा होगा और केवल एक सदन है वहाँ उसका नाम विधानसभा होगा।

व्याख्या:

- राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा और विधानपरिषद् शामिल हैं।
- वर्तमान में, केवल 6 राज्य हैं जहाँ विधानसभा और विधानपरिषद् दोनों मौजूद हैं। वो हैं:
  1. आंध्र प्रदेश विधान परिषद्
  2. बिहार विधान परिषद्
  3. कर्नाटका विधान परिषद्
  4. महाराष्ट्र विधान परिषद्
  5. तेलंगाना विधान परिषद्
  6. उत्तर प्रदेश विधान परिषद्

- 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 में मध्य प्रदेश के लिए विधानपरिषद की स्थापना का उपबंध किया गया है तथा इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा एक अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई है, इसलिए अभी तक मध्य प्रदेश में एकसदनीय विधानमंडल ही है।
- पहले जम्मू और कश्मीर में एक विधान परिषद थी, लेकिन इसे जम्मू और कश्मीर के संविधान के तहत स्थापित किया गया था, जो भारत के संविधान से अलग है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 ने विधान परिषद को समाप्त कर दिया है।
- हाल ही में, आंध्र प्रदेश विधानसभा ने विधान परिषद को खत्म करने का प्रस्ताव पारित किया है। लेकिन, संविधान के तहत संसद को विधान परिषद् को खत्म करने का अधिकार है।
- तमिलनाडु विधान परिषद् (उन्मूलन) अधिनियम, 1968 द्वारा तमिलनाडु में विधान परिषद् को समाप्त कर दिया गया था। तमिलनाडु विधान परिषद् अधिनियम, 2010 द्वारा, तमिलनाडु राज्य का नाम अनुच्छेद 168(1)(क) में शामिल किया गया था। हालांकि, राष्ट्रपति ने अभी तक तमिलनाडु को संविधान में शामिल करने की तारीख की नियुक्ति के लिए आदेश जारी नहीं किया है। तमिलनाडु विधान परिषद् (निरस्त) विधेयक, 2012 को 4 मई, 2012 को राज्य सभा में तमिलनाडु विधान परिषद् अधिनियम, 2010 को निरस्त करने के लिए पेश किया गया था।

अनुच्छेद 169- राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन

1. अनुच्छेद 168 में किसी बात से होते हुए भी, संसद विधि द्वारा किसी विधान परिषद् वाले राज्य में विधान परिषद् के उत्सादन के लिए या ऐसे राज्य में, जिसमें विधान परिषद् नहीं है, विधान परिषद् के सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी, यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित कर दिया।

2. खंड (1) में विनिर्दिष्ट किसी विधि में इस संविधान के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधो को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों तथा ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक उपबंध भी अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिन्हें संसद आवश्यक समझे।

3. पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी।

व्याख्या:

अनुच्छेद 169 के तहत, संसद विधेयक पारित करके एक राज्य में एक विधान परिषद् को समाप्त या स्थापित कर सकती है। इस तरह के विधेयक को साधारण बहुमत से पारित करना होता है। लेकिन संसद तब ही ऐसा कर सकती है जब राज्य की विधान सभा विधान परिषद् के उन्नमूलन या निर्माण के लिए एक संकल्प पारित करती है, जैसा भी मामला हो। इस तरह के संकल्प को विशेष बहुमत से पारित किया जाना है।

अनुच्छेद 170- विधानसभाओं की संरचना

- विधान सभा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए सदस्यों से बनी होती है।
- प्रत्येक राज्य की विधान सभा में 500 से अधिक नहीं, और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे।
- हालांकि, कुछ राज्यों में अपवाद हैं, जहाँ सीटों की संख्या 60 से नीचे है और राज्य हैं:

1. अरूणाचल प्रदेश - न्यूनतम 30
2. सिक्किम - न्यूनतम 30
3. गोवा - न्यूनतम 30
4. मिजोरम - न्यूनतम 40
5. नागालैंड - न्यूनतम 46

नोट: अनुच्छेद 332 के तहत, विधान सभाओं में SC और ST के लिए सीटें आरक्षित हैं।

अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना

1. विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक-तिहाई से अधिक नहीं होगी:
   परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी देशों में चालीस से कम नहीं होगी।
2. जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक किसी राज्य की विधान परिषद की संरचना खंड (3) में उपबंधि रीति से होगी।
3. किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या का-
   (क) यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई भाग उस राज्य की नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों और अन्य ऐसे स्थानीय प्राधिकारियों के, जो संसद विधि द्वारा विनिर्दिष्ट करे, सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक-मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा;
   (ख) यथाशक्य निकटतम बारहवाँ भाग उस राज्य में निवास करने वाले ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक-मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा, जो भारत के राज्यक्षेत्र में किसी विश्वविद्यालय के कम से कम तीन वर्ष से स्नातक हैं या जिनके पास कम से कम तीन वर्ष से ऐसी अर्हताएँ हैं जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि या उसके अधीन ऐसे किसी विश्वविद्यालय के स्नातक की अर्हताओं के समतुल्य विहित की गई हों;
   (ग) यथाशक्य निकटतम बारहवाँ भाग ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक-मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा जो राज्य के भीतर माध्यमिक पाठशालाओं से निम्न स्तर की ऐसी शिक्षा संस्थाओं में, जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाएँ, पढ़ाने के काम में कम से कम तीन वर्ष से लगे हुए हैं;
   (घ) यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई भाग राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से निर्वाचित होगा जो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं;
   (ङ) शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा खंड (5) के उपबंधों के अनुसार नामनिर्देशित किए जाएँगे।

4. खंड (3) के उपखंड (क), उपखंड (ख) और उपखंड (ग) के अधीन निर्वाचित होने वाले सदस्य ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में चुने जाएँगे, जो संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन विहित किए जाएं तथा उक्त उपखंडों के और उक्त खंड के उपखंड (घ) के अधीन निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होंगे।
5. राज्यपाल द्वारा खंड (3) के उपखंड (ङ) के अधीन नामनिर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्नलिखित विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है, अर्थात् :--
साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा

व्याख्या:

- विधान परिषद् के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं।
- विधान परिषद् की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल संख्या का 1/3 भाग और न्यूनतम संख्या 40 पर तय की गई है।
- किसी राज्य की विधान परिषद् के कुल सदस्यों की संख्या का-

  1. 1/3 राज्य के विधायक (MLA) द्वारा चुने जाते हैं;
  2. 1/3 राज्य में स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं;
  3. 1/12 स्नातक द्वारा चुने जाते हैं;
  4. 1/12 शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं;
  5. 1/6 राज्यपाल द्वारा नामांकित किए जाते हैं।

नोट: राज्यपाल उन व्यक्तियों को नामित करता है जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है।

अनुच्छेद 172- राज्यों के विधान मडलों की अवधि

1. प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पाँच वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं और पाँच वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम विधानसभा का विघटन होगा:
परंतु उक्त अवधि को, जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, तब संसद विधि द्वारा, ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात् किसी भी दशा में उसका विस्तार छह मास की अवधि से अधिक नहीं होगा।
2. राज्य की विधान परिषद का विघटन नहीं होगा, किंतु उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम एक-तिहाई सदस्य संसद द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त बनाए गए उपबंधों के अनुसार, प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशक्य शीघ्र निवृत्त हो जाएँगे।

व्याख्या:

- विधानसभा की सामान्य अवधि 5 वर्ष है लेकिन इसे राज्यपाल द्वारा पहले भी भंग किया जा सकता है। हालांकि, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, विधान सभा की अवधि को संसद के कानून द्वारा प्रत्येक बार एक वर्ष के लिए (कितने भी समय तक) बढ़ाया जा सकता है।

- विधान परिषद् एक स्थायी निकाय है, जो विघटन के अधीन नहीं है, लेकिन इसके एक-तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होते हैं।

अनुच्छेद 177- सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार

प्रत्येक मंत्री और राज्य के महाधिवक्ता को यह अधिकार होगा कि वह उस राज्य की विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में दोनों सदनों में बोले और उनकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले और विधान-मंडल की किसी समिति में, जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, बोले और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले, किन्तु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा।

राज्य विधानमंडल में विधायी प्रक्रिया

1. **धन विधेयक**

धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया वैसी ही है जैसी संसद में धन विधेयक पारित करने के मामले में है।

2. **साधारण विधेयक**

- साधारण विधेयक को विधानमंडन के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।
- इस विधेयक को मंत्री या निजी सदस्य किसी के द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है।
- इस विधयेक को साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है।
- एक बार विधेयक को पहले सदन द्वारा पारित कर दिए जाने के बाद फिर इसे दूसरे सदन में विचार और पारित होने के लिए प्रेषित किया जाता है।
- विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने के बाद, विधेयक को राज्यपाल के पास उसकी अनुमति के लिए भेजा जाता है।
- एक सदनीय विधानमंडल की स्थिति में, विधान सभा द्वारा पारित होने के बाद विधेयक सीधे राज्यपाल को भेजा जाता है।

केस 1- जब साधारण विधेयक विधान सभा द्वारा पारित किया जाता है और विधान परिषद् को प्रेषित किया जाता है, तो विधान परिषद् के पास 4 विकल्प होते हैं:

1. संशोधन के बिना विधेयक पारित कर देना;
2. संशोधन के साथ विधयेक को पारित कर ना और इसे पुर्नविचार के लिए विधानसभा को वापस कर ना;
3. विधेयक को अस्वीकार कर देना; तथा
4. विधेयक पर कोई कार्रवाई नहीं करना।

नोट:

- विधानसभा विधान परिषद् की सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है।
- यदि विधान परिषद् विधेयक को अस्वीकार कर देती है, तो विधानसभा विधेयक को फिर से पारित कर सकती है और परिषद् में उसी को प्रेषित कर सकती है। यदि परिषद् फिर से विधेयक को अस्वीकार कर देती है, तो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित माना जाएगा जिस रूप मे ंयह दूसरी बार विधानसभा द्वारा पारित किया गया था।
- विधान परिषद् अधिकतम चार महीने के लिए विधेयक को रोक सकती है (पहली बार में तीन महीने के लिए और दूसरी बार में एक महीने के लिए)।

केस 2- जब एक साधारण विधेयक, जिसे विधान परिषद् द्वारा पारित किया जाता है और विधान सभा को प्रेषित किया जाता है, विधान सभा द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, तो विधेयक समाप्त हो जाता है।

नोट: सदनों के बीच किसी गतिरोध के मामले में, राज्य विधानमंडल में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि संविधान ने एक साधारण विधेयक के मामले में भी विधानसभा को अधिक अधिकार दिए हैं।

निर्वाचन आयोग
भाग-15
अनुच्छेद 324

- निर्वाचन आयोग एक स्थायी व स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है।
- संसद और प्रत्येक राज्य के विधान मंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, निर्वाचन आयोग में निहित होगा।
- निर्वाचन आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों के लिए समान है।
- अनुच्छेद 324 ने निर्वाचन आयोग की संरचना के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किए हैं:

1. निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से, यदि कोई हो, जितने राष्ट्रपति समय-समय पर नियत करे, मिलकर बनेगा।
2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
3. जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तब मुख्य निवार्चन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
4. राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात् आयोग की सहायता के लिए उतने प्रादेशिक आयुक्तों की भी नियुक्ति कर सकेगा जितने वह आवश्यक समझे।
5. निर्वाचन आयुक्तों और प्रदेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें और पदविधि ऐसी होगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधरित करे।

नोट:

- 1950 से 15 अक्टूबर 1989 - एक सदस्य (CEC)
- 16 अक्टूबर 1989 से जनवरी 1990 - तीन सदस्य (CEC और 2 EC)
- जनवरी 1990 से अक्टूबर 1993 - एक सदस्य (CEC)
- अक्टूबर 1993 से - तीन सदस्य (CEC और 2 EC)

CEC – मुख्य निर्वाचन आयुक्त
EC – निर्वाचन आयुक्त

- मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियाँ है। उन्हें समान वेतन, भत्ते मिलते हैं, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के सामन हैं।
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच विचार में मतभेद के मामले में, आयोग द्वारा बहुमत से मामला तय किया जाता है।
- इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो, होता है।
- वे राष्ट्रपति को अपने इस्तीफे को संबोधित करके किसी भी समय इस्तीफा दे सकते हैं।
- उन्हें उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी हटाया जा सकता है।
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा, जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।

- मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
- किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही पद से हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं।
- संविधान ने निर्वाचन आयोग के सदस्यों की योग्यता निर्धारित नहीं की है।

शक्ति और कार्य

- संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर पूरे देश के निर्वाचन क्षेत्रों के भू-भाग का निर्धारण करना।
- समय-समय पर निर्वाचन-नामावली तैयार करना और सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना।
- राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदार करना और उन्हें चुनाव चिन्ह् आवांटित करना और इनसे संबंधित विवाद के मामलें में समाधान के लिए न्यायालय की तरह काम करना।
- निर्वाचन के समय दलों व उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता निर्मित करना।
- संसद के सदस्यों और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति और राज्यपाल को सलाह देना।
- निर्वाचन के मद्देनज़र राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना तथा निर्वाचन में प्रदर्शनों के आधार पर उसे राष्ट्रीय या राज्यस्तरीय दल का दर्जा देना।

संरचना

- आयोग की नई दिल्ली में एक पृथक सचिवालय है जिसमें लगभग 300 अधिकारी/कर्मचारी पदानुक्रम रूप से कार्य करते हैं। आयोग के कार्यों में सहयोग देने के लिए सचिवालय के वरिष्ठतम अधिकारी के रूप में दो या तीन उप-निर्वाचन आयुक्त और महानिदेशक होते हैं। वे सामान्यत: देश की राष्ट्रीय सिविल सेवा से नियुक्त किए जाते हैं और उनका चयन व कार्यकाल सहित उनकी नियुक्ति आयोग द्वारा की जाती है।
- राज्य स्तर पर निर्वाचन कार्य का अधीक्षण राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा आयोग के समग्र अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अध्यधीन किया जात है, और आयोग द्वारा इन मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित वरिष्ठ सिविल सेवकों में से की जाती है।
- जिला एंव निर्वाचन क्षेत्र स्तरों पर जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी होते हैं जिन्हें बड़ी संख्या में कनिष्ठ पदाधिकारियों का सहयोग मिलता है और वे निर्वाचन कार्य निष्पादित करते हैं

अनुच्छेद 325- धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक

नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना---

संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचन के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक-नामावली होगी और केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर कोई व्यक्ति ऐसी किसी नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र नहीं होगा या ऐसे किसी निर्वाचन-क्षेत्र के लिए किसी विशेष निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा नहीं करेगा।

अनुच्छेद 326- लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना

लोक सभा और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे अर्थात प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत का नागरिक है और ऐसी तारीख को, जो समुचित विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त नियत की जाए, कम से कम अठारह वर्ष की आयु का है और इस संविधान या समुचित विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्तविकृति, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा निरर्हित नहीं कर दिया जाता है, ऐसे किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार होगा।

भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक (कैग)

भाग-5

अनुच्छेद 148-151

- कैग भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है।
- कैग लोक वित्त का संरक्षक है।
- कैग केंद्र और राज्य दोनों के लिए साझा होता है।
- कैग लोक लेखा समिति का मित्र, दर्शनिक व प्रथप्रदर्शक है।
- डॉ. बी. आर. अंबेडकर के अनुसार कैग भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है।
- कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- कैग को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है।
- कैग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, होता है।
- कैग अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है।
- कैग को उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। दूससे शब्दों में कैग को पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है और कैग राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर नहीं बने रहता है।
- कैग का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी जो संसद, विधि द्वारा, अवधारित करे। कैग का वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है।

  परंतु कैग के वेतन में और अनुपस्थिति छूट्टी, पेंशन या निवृत्ति की आयु के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
- कैग अपने पद पर न रह जाने के पश्चात्, भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा।
- भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों की सेवा की शर्तें और कैग की प्रशासनिक शक्तियाँ ऐसी होंगी जो कैग से परामर्श करने के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए।
- कैग के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय, जिनके अंतर्गत उास कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों को या उनके संबंध मे संदेय सभी वेतन, भत्ते और पेंशन है, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे।
- कैग का यह कर्त्तव्य होगा कि वह-
  - भारत की और प्रत्येक राज्य की और प्रत्येक ऐसे संघ राज्यक्षेत्र की जिसमें विधान सभा है, संचित निधि में से किए गए व्यय की लेखापरीक्षा करे और यह अभिनिश्चित करे कि क्या वे धनराशियाँ जो लेखाओं में संवितरित की गई दिखाई गई है, उस सेवा या प्रयोजन के लिए जिसके लिए वे लागू की गई या प्रभावित की गई है वैध से उपलब्ध या लागू थीं;
  - आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं के संबंध में संघ और राज्यों के सभी सव्यवहारों की लेखापरीक्षा करे;
  - संघ के या किसी राज्य के किसी विभाग में रखे गए सभी व्यवसाय, विनिर्माण, लाभ और हानि लेखाओं तथा तुलनपत्रों और अन्य सहायक लेखाओं की लेखापरीक्षा करे। और हर एक दशा में अपने द्वारा इस प्रकार लेखापरीक्षित व्यय, संव्यवहारों या लेखाओं की बाबत रिपोर्ट दे।
- कैग किसी भी निकाय एंव प्राधिकरण की सभी प्राप्तियों और व्यय का लेखा परीक्षण जिन्हें संघ या राज्य के राजस्व से अनुदान मिलता है और इस प्रकार अपने द्वारा लेखा परीक्षित प्राप्तियों और व्यय की बाबत रिपोर्ट देगा।

अनुच्छेद 150-संघ के और राज्यों के लेखाओं को ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जो राष्ट्रपति, कैग की सलाह पर विहित करे।

अनुच्छेद 151-

1. कैग के संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको संसद के प्रत्येक सदन

के समक्ष रखवाएगा।

2. कैग के किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखवाएगा।

अनुच्छेद 279- शुद्ध आगम आदि की गणना

- यह अनुच्छेद एक कर की "शुद्ध आगम" को परिभाषित करता है। इसका अर्थ है- कर या शुल्क की प्राप्तियाँ, जिसमें संग्रहण की लागत सम्मिलित न हो।
- कैग किसी कर या शुल्क की शुद्ध आगमों का निर्धारण और प्रमाणन करता है।

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)
और
राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC)
भाग -14
अनुच्छेद 315 से 323

UPSC	SPSC
योग्यता आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव हो।	**योग्यता** आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव हो।
नियुक्ति आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।	**नियुक्ति** आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
संख्या संविधान में आयोग की संख्या का उल्लेख नहीं है और यह राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है, जो आयोग की संरचना का निर्धारण करता है।	**संख्या** संविधान में आयोग की संख्या का उल्लेख नहीं है और यह राज्यपाल के ऊपर छोड़ दिया गया है, जो आयोग की संरचना का निर्धारण करता है।
कार्यकाल आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपना पद धारण करते हैं।	**कार्यकाल** आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपना पद धारण करते हैं। **नोटः** 41वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ा कर 62 वर्ष कर दी।
त्यागपत्र राष्ट्रपति को	**त्यागपत्र** राज्यपाल को
सेवा की शर्तें संविधान ने राष्ट्रपति को अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया है।	**सेवा की शर्तें** संविधान ने राज्यपाल को अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया है।

नोटः अध्यक्ष या सदस्य की सेवा की शर्तें नियुक्ति के बाद इनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

7. पद से हटाना [UPSC और SPSC के लिए समान]

- राष्ट्रपति आदेश के द्वारा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य को कार्यलय से हटा सकता है यदि अध्यक्ष

या कोई अन्य सदस्य-

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है, या

(ख) अपनी पदावधि में अपने पद के कर्त्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगता है, या

(ग) राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के लिए आयोग्य है।

- राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को उनके कदाचार के कारण भी हटा सकता है। ऐसे मामलों में राष्ट्रपति को यह मामला जांच के लिए उच्चतम न्यायालय में भेजना होता है। अगर उच्चतम न्यायालय जांच के बाद बर्खास्त करने के परामर्श का समर्थन करता है, तो राष्ट्रपति, अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को पद से हटा सकता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले में दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य है।
- आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को संघ आयोग की दशा में राष्ट्रपति और राज्य आयोग की दशा में राज्यपाल उसके पद से तब तक के लिए निलंबित कर सकेगा जब तक राष्ट्रपति ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय का प्रतिवेदन मिलने पर अपना आदेश पारित नहीं कर देता है।
- यदि लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य, निगमित कंपनी के सदस्य के रूप में और कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से अन्यथा, उस संविदा या करार से, जो भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा या निमित्त की गई या किया गया है, किसी प्रकार से संयुक्त या हितबद्ध है या हो जाता है या उसके लाभ या उससे उद्‌भूत किसी फायदे या उपलब्धि में भाग लेता है, तो वह कदाचार का दोषी समझा जाएगा।

अनुच्छेद 319- आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध

पद पर न रह जाने पर--

(क) संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा;

(ख) किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में अथवा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किन्तु भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा;

(ग) संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से भिन्न कोई अन्य सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किन्तु भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा;

(घ) किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से भिन्न कोई अन्य सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के रूप में अथवा उसी या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किन्तु भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा।

अनुच्छेद 320- लोक सेवा आयोगों के कृत्

(1) संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों का यह कर्तव्य होगा कि वे क्रमशः संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करें।

(2) यदि संघ लोक सेवा आयोग से कोई दो या अधिक राज्य ऐसा करने का अनुरोध करते हैं तो उसका यह भी कर्तव्य होगा कि वह ऐसी किन्हीं सेवाओं के लिए, जिनके लिए विशेष अर्हताओं वाले अभ्यर्थी अपेक्षित हैं, संयुक्त भर्ती की स्कीमें बनाने और उनका प्रवर्तन करने में उन राज्यों की सहायता करे।

(3) यथास्थिति, संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग से--

(क) सिविल सेवाओं में और सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषयों पर,

(ख) सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में प्रोन्नति और अंतरण करने में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर और ऐसी नियुक्ति, प्रोन्नति या अंतरण के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर,

(ग) ऐसे व्यक्ति पर, जो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार की सिविल हैसियत में सेवा कर रहा है, प्रभाव डालने वाले, सभी अनुशासनिक विषयों पर, जिनके अंतर्गत ऐसे विषयों से संबंधित अभ्यावेदन या याचिकाएँ हैं,

(घ) ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके संबंध में, जो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन या भारत में क्राउन के अधीन या किसी देशी राज्य की सरकार के अधीन सिविल हैसियत में सेवा कर रहा है या कर चुका है, इस दावे पर कि अपने कर्तव्य के निष्पादन में किए गए या किए जाने के लिए तात्पर्यित कार्यों के संबंध में उसके विरुद्ध संस्थित विधिक कार्यवाहियों की प्रतिरक्षा में उसके द्वारा उपगत खर्च का, यथास्थिति, भारत की संचित निधि में से या राज्य की संचित निधि में से संदाय किया जाना चाहिए,

(ड़) और इस प्रकार उसे निर्देशित किए गए किसी विषय पर तथा ऐसे किसी अन्य विषय पर, जिसे, यथास्थिति, राष्ट्रपति या उस राज्य का राज्यपाल उसे निर्देशित करे, परामर्श देने का लोक सेवा आयोग का कर्तव्य होगा।

अनुच्छेद 321- लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति

यथास्थिति, संसद द्वारा या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाया गया कोई अधिनियम संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा संघ की या राज्य की सेवाओं के संबंध में और किसी स्थानीय प्राधिकारी या विधि द्वारा गठित अन्य निगमित निकाय या किसी लोक संस्था की सेवाओं के संबंध में भी अतिरिक्त कृत्यों के प्रयोग के लिए उपबंध कर सकेगा।

अनुच्छेद 322- लोक सेवा आयोगों के व्यय

संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय, जिनके अंतर्गत आयोग के सदस्यों या कर्मचारिवृंद को या उनके संबंध में संदेय कोई वेतन, भत्ते और पेंशन हैं, यथास्थिति, भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे।

अनुच्छेद 323- लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन

(1) संघ आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उन मामलों के संबंध में, यदि कोई हों, जिनमें आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई थी, ऐसी अस्वीकृति के कारणों को सपष्ट करने वाले ज्ञापन सहित उस प्रतिवेदन की प्रति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा।

(2) राज्य आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के राज्यपाल' को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे और ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, राज्यपाल उन मामलों के संबंध में, यदि कोई हों, जिनमें आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई थी, ऐसी अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित उस प्रतिवेदन की प्रति राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा।

दल-परिवर्तन कानून

- भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल-परिवर्तन कानून से संबंधित है।
- 10वीं अनुसूची को संविधान में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 के द्वारा जोड़ा गया।

52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 की विशेषताएं

- इस अधिनियम द्वारा सांसदों तथा विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में प्रावधान किया गया है।
- सदन के किसी अन्य सदस्य द्वारा याचिका पर आधारित विधायिका के पीठासीन अधिकारी द्वारा दल परिवर्तन के आधार पर विधायकों को आयोग्य ठहराये जाने की प्रक्रिया इस अधिनियम के द्वारा प्रदान की गई है।
- दल परिवर्तन से उत्पन्न निरर्हता संबंधी प्रश्नों का निर्णय सदन का अध्यक्ष करता है और उसका निर्णय अंतिम होता है।
- इस अधिनियम द्वारा संविधान के चार अनुच्छदों (101, 102, 190 और 191) में परिवर्तन किया गया है।

अधिनियम के उपबंध

1. आयोग्यता के लिए आधार:

केस 1- राजनीतिक दलों के सदस्य

(i) यदि वह स्वेच्छा से राजनैतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है।

नोट:- वाक्यांश '<u>स्वेच्छा से अपनी सदस्यता छोड़ देता है</u>' का एक व्यापाक अर्थ है। यदि वह स्वेच्छा से अपनी सदस्यता छोड़ देता है तो कानून सदस्य को आयोग्य घोषित करने का प्रावधान करता है। हालाँकि उच्चतम न्यायालय ने व्याख्या की है कि सदस्य द्वारा औपचारिक इस्तीफा नहीं देने की स्थिति में सदस्यता का त्याग उसके आचरण से अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, ऐसा आवश्यक नहीं है कि स्वेच्छा से त्यागपत्र को औपचारिक इस्तीफे के रूप में ही होना चाहिए। इसकी व्याख्या एक व्यापक अर्थ में की जाएगी जिसका अर्थ है कि उसके कार्य ऐसे हैं कि उसने स्वेच्छा से अपनी सदस्यता छोड़ दी है। **(रवि नाइक बनाम भारत संघ, 1994)**

(ii) यदि वह उस सदन में अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत मत देता है या मतदान में अनुपस्थित रहता है, तथा राजनीतिक दल से अपने 15 दिनों के भीतर क्षमादान न पाया हो।

केस 2- निर्दलीय सदस्य

यदि कोई निर्दलीय सदस्य चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता धारण कर लेता है।

केस 3- नामनिर्देशित सदस्य

यदि कोई नामनिर्देशित सदस्य विधानमंडल का सदस्य बनने के 6 महीने बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है। दूसरे शब्दों में, वह 6 महीने के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है।

2. अपवाद

- कानून एक दल को किसी अन्य दल में विलय करने की अनुमति देता है बशर्ते कि उसके कम से कम 2/3 विधायक विलय के पक्ष में हो।

नोट:

- एक विलय तक होता है जब दल के 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो जाते है।
- 10वीं अनुसूची के पैरा 3 में मूल रूप से एक 'टूट' को मान्यता दी गई थी, यदि विधायक दल के कम से कम 1/3 सदस्यों ने किसी अन्य राजनीतिक दल के गठन या इसमें शामलि होने का निर्णय लिया था। हालांकि यह

प्रावधान 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा हटा दिया गया है। यह संशोधन, जो जनवरी 2004 में लागू हुआ, एक विधायक दल में टूट को मान्यता नहीं देता है।

- यदि कोई सदस्य पीठासीन अधिकारी चुने जाने पर अपने दल की सदस्यता से स्वैच्छिक रूप से बाहर चला जाता है अथवा अपने कार्यकाल के बाद अपने दल की सदस्यता फिर से ग्रहण कर लेता है।

91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003

- इस संशोधन ने निम्नलिखित प्रावधान किए हैं:
  1. प्रधानमंत्री सहित सम्पूर्ण मंत्रिपरिषद् का आकार, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
  2. संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का ऐसा सदस्य, जो दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हक ठहराया गया है, वह किसी मंत्री पद को धारण करने के भी निरर्हक होगा।
  3. मुंख्यमंत्री सहित सम्पूर्ण मंत्रिपरिषद् का आकार, राज्य विधानमंडल की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। लेकिन मुख्यमंत्री सहित सम्पूर्ण मंत्रिपरिषद् की कुल संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए।
  4. राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का ऐसा सदस्य, जो दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हक ठहराया गया है, वह किसी मंत्री पद को धारण करने के भी निरर्हक होगा।
  5. संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का ऐसा सदस्य, जो दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हक ठहराया गया है वह किसी भी लाभ के राजनीतिक पद को धारण करने के भी निरर्हक होगा।

किहोतो-होलोहन बनाम जाचिलहू मामला

- 10वीं अनुसूची के पैरा 6 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के सवालों पर अध्यक्ष या सभापति का निर्णय अंतिम होगा क्योंकि ऐसी सभी कार्यवाहियों के बारे में यह समझाा जाएगा कि वे, यथास्थिति, अनुच्छेद 122 के अर्थ में संसद की कार्यवाहियाँ है या अनुच्छेद 212 के अर्थ में राज्य के विधानमंडल की कार्यवाहियाँ है।
- पैरा 7 में कहा गया है, "इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, किसी न्यायालय को इस अनुसूची के अधीन सदन के किसी सदस्य की निरर्हता से संबंधित किसी विषय के बारे में कोई अधिकारिता नहीं होगी।"
- 10वीं अनुसूची की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए, किहोतो होलोहन बनाम जाचिल्हू और अन्य (1991) में उच्चतम न्यायालय की एक संविधान पीठ ने पैरा 7 को असंवैधानिक घोषित किया। यह भी कहा कि अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है क्योंकि उन्होंने दल परिवर्तन कानून के तहत ममालों का फैसला करते हुए न्यायाधिकरण के रूप में कार्य किया था।

नियम बनाने की शक्ति

किसी सदन के अध्यक्ष को 10वीं अनुसूची के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है।
इन नियमों के अनुसार अध्यक्ष दल-परिवर्तन को संज्ञान में तभी लेता है जब सदन के किसी सदस्य द्वारा उसे शिकायत प्राप्त हो। अंतिम निर्णय लेने से पूर्व उसे उस सदस्य को (जिसके विरूद्ध शिकाय की गई हो) अपना पक्ष रखने का मौका देना अनिवार्य है। वह इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास जाँच के लिए भेज सकता है। अत: दल-परिवर्तन का कोई तत्काल और स्वयंमेव प्रभाव नही होता।

समय-सीमा

यह कानून एक अयोग्यता याचिका पर कोई समय-अवधि निर्दिष्ट नहीं करता है जिसके भीतर पीठासीन अधिकारी को फैसला करना हो। यह देखते हुए कि पीठासीन अधिकारी द्वारा मामले पर फैसला दिए जाने के बाद ही अदालतें हस्तक्षेप कर सकती हैं, अयोग्यता की मांग करने वाले याचिकाकर्ता के पास इस निर्णय के लिए इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

जी. विश्वनाथन बनाम अध्यक्ष, तमिलनाडु विधानसभा, 1996

इस मामले में यह सवाल था कि क्या किसी सदस्य को अपनी पार्टी की सदस्यता को स्वेच्छा से देने के लिए समझा जा सकता है यदि वह अपने पुराने राजनीतिक दल द्वारा निष्कासित किए जाने के बाद अन्य दल में शामिल हो जाता है। इस मामले में उच्चतम न्यायलय ने माना कि किसी सदस्य को निष्कासित किए जाने के बाद, उसे सदन में 'अनासक्त' सदस्य माना जाता है। हालांकि, वह 10वीं अनुसूची के अनुसार पुरानी पार्टी का सदस्य बना हुआ है। इसलिए यदि वह निष्कासित होने के बाद किसी नई पार्टी में शामिल हो जाता है, तो उसे स्वेच्छा से अपनी पुरानी पार्टी की सदस्यता देने के लिए समझा जा सकता है।

पंचायती राज

पंचायती राज का क्रमिक विकास

बलवंत राय मेहता समिति

- भारत सरकार ने, जनवरी 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा द्वारा किए कार्यों की जांच और उनके बेहतर ढ्ग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट नवम्बर 1957 में पेश की।
- इस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे।
- समिति ने अपनी रिपोर्ट में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की, जो कि पंचायती राज के रूप में जानी जाती है।
- समिति द्वारा महत्वपूर्ण सिफारिशें-

1. तीन स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना:

   (क) ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत

   (ख) ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति

   (ग) जिला स्तर पर जिला परिषद्
2. ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा होनी चाहिए।
3. पंचायत समिति और जिला परिषद् का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों द्वारा होनी चाहिए।
4. पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय तथा जिला परिषद् को सलाहकारी और पर्यवेक्षण निकाय होना चाहिए।
5. जिला परिषद् का अध्यक्ष, जिलाधिकारी/ जिला कलेक्टर होना चाहिए।

- जनवरी 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद् ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया। परिषद् ने किसी विशिष्ट प्रणाली पर जोर नहीं दिया।
- राजस्थान (नागौर जिला) देश का पहला राज्य बना जहाँ पंचायती राज की स्थापना हुई। इसके बाद आंध्र प्रदेश बना।

अशोक मेहता समिति

- जनता पार्टी की सरकार ने दिसंबर 1977 में अशोक महेता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1978 में पेश की और 132 सिफारिशें कीं।
- समिति द्वारा महत्वपूर्ण सिफारिशें-

1. त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति को द्विस्तरीय पद्धति में बदलना चाहिए:

   (क) जिला स्तर पर जिला परिषद्

   (ख) गांवों के समूह के लिए मंडल पंचायत (जनसंख्या -15,000 से 20,000)
2. जिला परिषद् कार्यकारी निकाय होना चाहिए और उसे जिला स्तर पर योजना के लिए जिम्मेदार बनाया जाए।
3. पंचायती चुनावों में सभी स्तर पर राजनीतिक दलों की अधिकारिक भागीदारी हो।
4. अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति हो।

5. पंचायती राज संस्थाओं के मामलों की देख-रेख के लिए राज्य मंत्रिपरिषद में एक पंचायती राज मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए।

6. पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए।

जी.वी.के. राव समिति

- योजना आयोग ने 1985 में इस समिति का गठन किया।
- समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची कि विकास प्रक्रिया दफ्तरशाही युक्त होकर पंचायत राज से विच्छेदित हो गई है और इसे बिना जड़ की घास कहा।
- समिति द्वारा महत्वपूर्ण सिफारिशें-

   1. जिला परिषद् को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। समिति के अनुसार नियोजन एवं विकास की उचित इकाई जिला है तथा जिला परिषद् को उन सभी विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए मुख्य निकाय बनाया जाना चाहिए जो उस स्तर पर संचालित किए जा सकते हैं।
   2. जिला विकास आयुक्त जिला परिषद् का मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना चाहिए।
   3. पंचायती राज संस्थानों में नियमित निर्वाचन होने चाहिए।

एल.एम. सिंधवी समिति

- राजीव गांधी सरकार ने 1986 में इस समिति का गठन किया।
- इस समिति के अध्यक्ष एल. एम. सिंधवी थे।
- समिति द्वारा महत्वपूर्ण सिफारिशें-

   1. पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए।
   2. पंचायती राज निकायों के नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक प्रावधान।
   3. गांवों के समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की जाए।
   4. पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, उनके विघटन एवं उनके कार्यों से संबंधित जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं, उनके निस्तारण के लिए न्यायिक अधिकरणों की स्थापना की जानी चाहिए।

73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992

- इस अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया।
- इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग IX जोड़ा जो कि पंचायत से संबंधित है।
- संविधान के भाग IX में अनुच्छेद 243 से 243 'ण' शामिल हैं।
- इस अधिनियम ने संविधान में एक नई 11वीं अनुसूची जोड़ी। इस अनुसूची में 29 कार्यकारी विषय-वस्तु है।
- इस अधिनियम के दो भाग हैं:
   1. अनिवार्य प्रावधान, और
   2. स्वैच्छिक प्रावधान

इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताएं:

1. **ग्राम सभा (अनुच्छेद 243 क)**
   (i) 'ग्राम सभा' से ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय अभिप्रेत है। दूसरे शब्दों में या आसान शब्दों में, यह पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की एक ग्राम स्तरीय सभा है।
   (ii) ग्राम सभा, ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी, जो किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा उपबंधित किए जाएँ।

2. पंचायतों का गठन (अनुच्छेद 243 ख)

(i) प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा।

(ii) मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या बीस लाख से अनधिक है।(अर्थात् ऐसा राज्य जिसकी जनसंख्या 20 लाख से ऊपर न हो)

3. पंचायतों की संरचना (अनुच्छेद 243 ग)

(i) किसी पंचायत के सभी स्थान, पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों से भरे जाएँगे और इस प्रयोजन के लिए, प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आबंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्र में यथासाध्य एक ही हो। दूसरे शब्दों में, गांव, माध्यमिक तथा जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्य लोगों द्वारा सीधे चुने जाएंगे।

(ii) किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा,--

(क) ग्राम स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों में या ऐसे राज्य की दशा में, जहाँ मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें नहीं हैं, जिला स्तर पर पंचायतों में;

(ख) मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का जिला स्तर पर पंचायतों में;

(ग) लोकसभा के ऐसे सदस्यों का और राज्य की विधान सभा के ऐसे सदस्यों का, जो उन निर्वाचन-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें ग्राम स्तर से भिन्न स्तर पर कोई पंचायत क्षेत्र पूर्णत: या भागत: समाविष्ट है, ऐसी पंचायत में;

(घ) राज्य सभा के सदस्यों का और राज्य की विधान परिषद् के सदस्यों का, जहाँ वे,--

i. मध्यवर्ती स्तर पर किसी पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में;

ii. जिला स्तर पर किसी पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं, जिला स्तर पर पंचायत में, प्रतिनिधित्व करने के लिए उपबंध कर सकेगा।

(iii) किसी पंचायत के अध्यक्ष और किसी पंचायत के ऐसे अन्य सदस्यों को, चाहे वे पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए हों या नहीं, पंचायतों के अधिवेशनों में मत देने का अधिकार होगा।

(iv) (क) ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन ऐसी रीति से, जो राज्य के विधान-मंडल द्वारा, विधि द्वारा, उपबंधित की जाए, किया जाएगा; और

(ख) मध्यवर्ती स्तर या जिला स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन, उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाएगा।

4. स्थानों का आरक्षण (अनुच्छेद 243 घ)

(i) प्रत्येक पंचायत में (सभी तीन स्तरों पर) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उनकी संख्या के कुल जनसंख्या के अनुपात में सीटों पर आरक्षण उपलब्ध है और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आंबटित किए जा सकेगें।

(ii) प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे।

(iii) ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेंगे, जो राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उपबंधित करे:

परंतु यह और कि प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई पद स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे।

(iv) इस भाग की कोई बात किसी राज्य के विधान-मंडल को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में किसी स्तर पर किसी पंचायत में स्थानों के या पंचायतों में अध्यक्षों के पदों के आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।

5. पंचायतों की अवधि (अनुच्छेद 243 ङ)

(i) प्रत्येक पंचायत, यदि किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पाँच वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं।

(ii) किसी पंचायत का गठन करने के लिए निर्वाचन,-

(क) 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले;

(ख) उसके विघटन की तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व,

पूरा किया जाएगा:

परंतु जहाँ वह शेष अवधि, जिसके लिए कोई विघटित पंचायत बनी रहती, छह मास से कम है वहां ऐसी अवधि के लिए उस पंचायत का गठन करने के लिए कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा।

(iii) किसी पंचायत की अवधि की समाप्ति के पूर्व उस पंचायत के विघटन पर गठित की गई कोई पंचायत, उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए बनी रहेगी जिसके लिए विघटित पंचायत बनी रहती, यदि वह इस प्रकार विघटित नहीं की जाती।

6. सदस्यता के लिए निरर्हताएं (अनुच्छेद 243 च)

(i) कोई व्यक्ति किसी पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा, --

(क) यदि वह संबंधित राज्य के विधान-मंडल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है:

परंतु कोई व्यक्ति इस आधार पर निरर्हित नहीं होगा कि उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम है, यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है;

(ख) यदि वह राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है।

(ii) यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी पंचायत का कोई सदस्य किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न ऐसे प्राधिकारी को, और ऐसी रीति से, जो राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उपबंधित करे, विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा।

7. पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व (अनुच्छेद 243 छ)

(i) किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों और ऐसी विधि में पंचायतों को उपयुक्त स्तर पर निम्नलिखित के संबंध में शक्तियाँ और उत्तरदायित्व न्यागत करने के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात् :--

(क) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करना;

(ख) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी स्कीमों को, जो उन्हें सौंपी जाएँ, जिनके अंतर्गत वे स्कीमें भी हैं, जो ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में हैं, कार्यान्वित करना।

8. पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ (अनुच्छेद 243 ज)

(क) ऐसे कर, शुल्क, पथ कर और फीसें उद्गृहीत, संगृहीत और विनियोजित करने के लिए किसी पंचायत को प्राधिकृत कर सकेगा;

(ख) राज्य सरकार द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत ऐसे कर, शुल्क, पथ कर और फीसें किसी पंचायत को समनुदिष्ट कर सकेगा;

(ग) राज्य की संचित निधि में से पंचायतों के लिए ऐसे सहायता-अनुदान देने के लिए उपबंध कर सकेगा; और

(घ) पंचायतों द्वारा या उनकी ओर से क्रमशः प्राप्त किए गए सभी धनों को जमा करने के लिए ऐसी निधियों का गठन करने और उन निधियों में से ऐसे धनों को निकालने के लिए भी उपबंध कर सकेगा,

जो विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएँ।

9. वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन (अनुच्छेद 243 झ)

(i) राज्य का राज्यपाल, संविधान (तिहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर यथाशीघ्र, और तत्पश्चात्, प्रत्येक पाँचवें वर्ष की समाप्ति पर, वित्त आयोग का गठन करेगा जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा, और जो-

(क) (i) राज्य द्वारा उद्गृहीत करों, शुल्कों, पथ करों और फीसों के ऐसे शुद्ध आगमों के राज्य और पंचायतों के बीच वितरण;

(ii) ऐसे करों, शुल्कों, पथ करों और फीसों के अवधारण को, जो पंचायतों को समनुदिष्ट की जा सकेंगी या उनके द्वारा विनियोजित की जा सकेंगी;

(iii) राज्य की संचित निधि में से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान को,

शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में;

(ख) पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक अध्युपायों के बारे में;

(ग) पंचायतों के सुदृढ़ वित्त के हित में राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य विषय के बारे में,

राज्यपाल को सिफारिश करेगा।

(ii) राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, आयोग की संरचना का, उन अर्हताओं का, जो आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित होंगी, और उस रीति का, जिससे उनका चयन किया जाएगा, उपबंध कर सकेगा।

(iii) राज्यपाल इस अनुच्छेद के अधीन आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को, उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित, राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा।

10. पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा (अनुच्छेद 243 ञ)

किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, पंचायतों द्वारा लेखे रखे जाने और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा करने के बारे में उपबंध कर सकेगा।

11. पंचायतों के लिए निवार्चन (अनुच्छेद 243 ट)

(i) पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा, जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(ii) राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी जो राज्यपाल नियम द्वारा अवधारित करे:

परंतु राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा, जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं और राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(iii) जब राज्य निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे तब किसी राज्य का राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग को उतने कर्मचारिवृंद उपलब्ध कराएगा जितने राज्य निर्वाचन आयोग को उसे सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों।

(iv) किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, पंचायतों के निर्वाचनों से संबंधित या संसक्त सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेगा।

12. संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होना (अनुच्छेद 243 ठ)

राष्ट्रपति, लोक अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगा कि इस भाग के उपबंध किसी संघ राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए, लागू होंगे, जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे।

13. निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन (अनुच्छेद 243 ण)

(क) ऐसी विधि की विधिमान्यता, जो निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों को स्थानों के आबंटन से संबंधित है, किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी;

(ख) किसी पंचायत के लिए कोई निर्वाचन, ऐसी निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत किया जाएगा जो ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गई है, जिसका किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंध किया जाए, अन्यथा नहीं।

1996 का पेसा अधिनियम

संविधान का अनुच्छेनद 243 ड, संविधान के भाग IX से पांचवीं अनुसूची में छूट देते हुए, प्रावधान करता है कि संसद कानून द्वारा ऐसे कानूनों में निर्दिष्ट किए गए अनुसार, ऐसी छूट और आशोधनों के अधीन, अनूसूचित और आदिवासी क्षेत्रों तक अपने प्रावधानों को विस्तृत कर सकती है और ऐसा कोई कानून संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। 1995 में भूरिया समिति द्वारा प्रस्तुसत की गई रिपोर्ट के आधार पर, संसद ने पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्ताीर) अधिनियम, 1996 (पेसा) को 10 राज्यों अर्थात्, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना में अधिसूचित अनुसूची V क्षेत्रों में कतिपय आशोधनों और छूट के साथ संविधान के भाग IX को विस्त्र देने के लिए लागू किया है। राज्योंट में पेसा के प्रावधानों के कार्यान्व यन के लिए पंचायती राज मंत्रालय नोडल मंत्रालय है।

अधिनियम की विशेषताएँ

पेसा अधिनियम की विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

1. अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों पर राज्य विधायन वहाँ के प्रथागत कानूनों, सामाजिक एवं धार्मिक प्रचलनों तथा सामुदायिक संसाधनों के पारंपरिक प्रबंधन परिपाटियों के अनुरूप होगा।

2. एक गाँव के अंतर्गत एक समुदाय का वास स्थल अथवा वास स्थलों का एक समूह अथवा एक टोला अथवा टोलों का समूह होगा, जहाँ वह समुदाय अपनी परंपराओं एवं रिवाजों के अनुसार अपना जीवनयापन कर रहा हो।

3. प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी जिसमें ऐसे लोग होंगे जिनके नाम ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए निर्वाचक सूची में दर्ज हों।

4. प्रत्येक ग्राम सभा अपने लोगों की परंपराओं एवं प्रथाओं, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधन तथा विवाद निवारण के परंपरागत तरीकों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए सक्षम होगी।

5. प्रत्येक ग्राम सभा:

   (i) सामाजिक एवं आर्थिक विकास के कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं को स्वीकृति देगी, इसके पहले कि वे ग्राम स्तरीय पंचायत द्वारा कार्यन्वयन के लिए हाथ में लिए जाएँ।

   (ii) गरीबी उन्मूलन एवं अन्य कार्यक्रमों के लाभर्थियों की पहचान के लिए जिम्मेदार होगी।

6. प्रत्येक पंचायत उपरोक्त योजनाओं, कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के लिए निधि में उपयोग संबंधी प्रमाण पत्र ग्राम सभा से प्राप्त करेगी।

7. प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित क्षेत्रों में सीटों का आरक्षण उन समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में होगा, जिनके लिए संविधान में भाग 9 में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। हालाँकि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण कुल सीटों के आधे से कम नहीं होगा। इसके अतिरिक्त पंचायतों के हर स्तर पर अध्यक्षों की सभी सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगी।

8. जिन अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व मध्यवर्ती स्तर की पंचायत या जिला स्तर की पंचायत में नहीं है उन्हें सरकार द्वारा नामित किया जाएगा। किंतु नामित सदस्यों की संख्या पंचायत में निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या के 1/10वें भाग से अधिक नहीं होगा।

9. अनुसूचित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के पहले अथवा अनुसूचित क्षेत्रों में इन परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्स्थापन अथवा पुनर्वास के पहले ग्राम सभा अथवा उपयुक्त स्तर की पंचायत से सलाह की जाएगी। हालाँकि परियोजनाओं की आयोजना एवं कार्यान्वयन अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य स्तर पर समन्वयीकृत किया जाएगा।

10. अधिसूचित क्षेत्रों में लघु जल स्रोतो के लिए आयोजना एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी उपयुक्त स्तर पर पंचायत को दी जाएगी।

11. अधिसूचित क्षेत्रो में छोटे स्तर पर खनिजों का खनन संबंधी लाइंसेस अथवा खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए ग्राम सभा अथवा उपयुक्त स्तर की पंचायत की अनुशंसा प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

12. छोटे स्तर पर खनिजों की नीलामी द्वारा दोहन के लिए रियायत प्राप्त करने के लिए ग्राम सभा अथवा उपयुक्त स्तर की पंचायत की पूर्व अनुशंसा अनिवार्य होगी।

13. जबकि अनुसूचित क्षेत्रों मे पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए अधिभार सम्पन्न बनाया जा रहा है, राज्य विधायिका यह सुनिचित करेगी कि उपयुक्त स्तर पर पंचायत तथा ग्राम सभा को:

    (i) किसी नशीले पदार्थ की बिक्री अथवा उपयोग को रोकने अथवा नियमित करने अथवा प्रतिबंधित करने का अधिकार होगा।

    (ii) छोटे स्तर पर वन उपज पर स्वामित्व होगा।

    (iii) अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि से अलगाव को रोकने की शक्ति होगी। साथ ही किसी अनुसूचित जनजाति की गैर-कानूनी ढांग से बेदखली के पश्चात् वापस भूमि प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यवाई का अधिकार होगा।

    (iv) ग्रामीण हाट-बाजारों के प्रबंधन की शक्ति होगी।

    (v) अनुसूचित जनजातियों को पैसा उधार देने के मामले मे नियंत्रण रखने की शक्ति होगी।

    (vi) सभी सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत संस्थाओं एवं पदाधिकारियों पर नियंत्रण रखने की शक्ति होगी, तथा

    (vii) स्थानीय आयोजनाओं तथा ऐसी आयोजनाओं, जिनमें जनजातीय उप-आयोजनाएं शामिल हैं, पर नियंत्रण की शक्ति होगी।

14. राज्य विधायन के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था होगी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उच्च स्तर की पंचायतें निचले स्तर की किसी पंचायत या ग्राम सभा के अधिकारों का हनन अथवा उपयोग नहीं कर रही है।

संविधान का निर्माण

कैबिनेट मिशन योजना (1946)

- कैबिनेट मिशन के सदस्य थे:

  (क) लॉर्ड पेथिक लॉरेंस (भारत सचिव)

  (ख) सर स्टैफर्ड क्रिप्स (बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष)

  (ग) ए.वी. अलेक्जेंडर (नौसेना मंत्री या एडमिरैलिटी के प्रथम लॉर्ड)

- 24 मार्च, 1946 को भारत (नई दिल्ली) पहुँचा कैबिनेट मिशन।
- इसने अपनी योजना को 16 मई, 1946 को प्रकशित किया।
- कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत संविधान सभा का गठन हुआ।
- योजना की विशेषताएं थी:
- संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या- 389

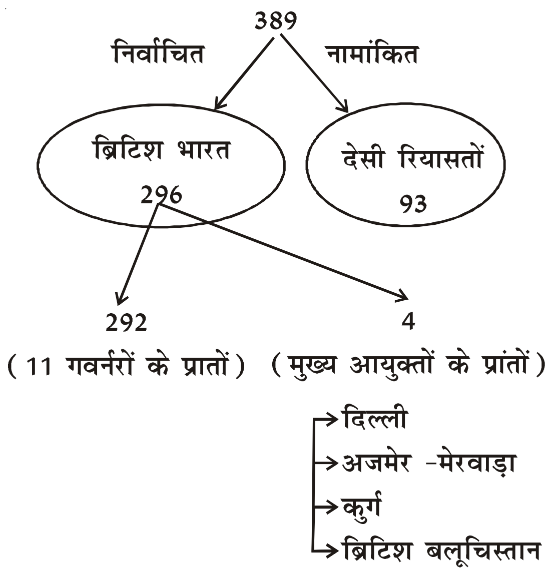

नोट:
- प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा 292 सदस्य चुने गए।
- 93 सदस्यों ने भारतीय देसी रियासतों का प्रतिनितधत्व किया।
- 4 सदस्यों ने मुख्य आयुक्तों प्रांतों का प्रतिनिधित्व किया।

- हर प्रांत व देसी रिसायतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की थी। प्रत्येक दस लाख लोगों पर एक सीट आंवटित की जानी थी।
- प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण तीन प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था-

  (क) मुस्लिम

  (ख) सिख

  (ग) सामान्य (मुस्लिम और सिख को छोड़कर)

नोट: संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई ओर आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी।

- संविधान सभा के लिए चुनाव (296 सीटों हेतु) जुलाई - अगस्त 1946 में हुआ-

296

208 (कांग्रेस)	**73 (मुस्लिम लीग)**	**15 (छोटे समूह व स्वंतत्र)**

- कांग्रेस को 208 सीटें मिलीं।
- मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलीं।
- छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिलीं।

नोट: संविधान सभा में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व (1946)

हिंदू - 163	मुस्लिम - 80
अनुसूचित जाती - 31	भारतीय ईसाई - 6
पिछड़ी जनजातियाँ - 6	सिख - 4
एंग्लों इंडियन -3	पारसी - 3

घटनाक्रम:

9 दिसंबर 1946

- संविधान सभा की प्रथम बैठक
- 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया
- संविधान सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति जे.बी. कृपलानी थे।
- डॉक्टर सच्चिदानंद सिंहा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया।

11 दिसंबर 1946

- डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद (संविधान सभा के अध्यक्ष)
- एच.सी. मुखर्जी (संविधान सभा के उपाध्यक्ष)
- बी. एन. राऊ (संविधानिक सलाहकार)

13 दिसंबर 1946

- पंडित नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

22 दिसंबर 1946

- इस प्रस्ताव को सर्व सम्मति से स्वीकार कर लिया गया।

22 जनवरी 1947

- संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया।
- इसकी रचना पिंगली वेंकय्या ने की थी।

15 अगस्त 1947

- भारत ने स्वतंत्रता हासिल की।

नोट: 3 जून, 1947 के मांउटबेटन प्लान के तहत विभजन के परिणास्वरूप, पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई और कुछ प्रांतो के प्रतिनिधियों की सभा से सदस्यता समाप्त हो गई। परिणामस्वरूप, सभा की सदस्यता कम होकर 299 हो गई।

29 अगस्त 1947

- प्रारूप समिति का गठन हुआ।
- डॉक्टर बी. आर. अबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।
- प्रारूप समिति में सात सदस्य थे:
  (i) डॉक्टर बी. आर. अंबेडकर (अध्यक्ष)
  (ii) एन. गोपालास्वामी आयंगार
  (iii) अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर
  (iv) डॉक्टर के. एम. मुंशी
  (v) सैय्यद मोहम्मद सादुल्ला
  (vi) एन. माधव राव
  (vii) टी.टी. कृष्णामाचारी

16 जुलाई 1948

- वी.टी. कृष्णामाचारी संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए।

26 नंवबर 1949

- भारत की संविधान सभा ने संविधान को अपनाया।
- इस दिन अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी।
- इस दिन संविधान के कुछ प्रावधान लागू हुए। वे नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधानों और संक्षिप्त नाम से संबंधित है। इन प्रावधानों से संबंधित अनुच्छेद निम्नलिखित है:
  अनुच्छेद:- 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394

नोट: अनुच्छेद 394- प्रारंभ

यह अनुच्छेद और अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 तुरंत प्रवृत्त होंगे और इस संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी, 1950 को प्रवृत्त होंगे जो दिन इस संविधान में इस संविधान के प्रारंभ के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

24 जनवरी 1950

- राष्ट्रीय गान को अपनाया।
- राष्ट्रीय गीत को अपनाया।
- डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना।
- संविधान सभा की अंतिम बैठक।

26 जनवरी 1950

- भारत का संविधान लागू हुआ।
- 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था।

बड़ी समितियाँ

1. संघ शक्ति समिति- जवाहरलाल नेहरू
2. संघीय संविधान समिति- जवाहरलाल नेहरू
3. प्रांतीय संविधान समिति- सरदार पटेल
4. प्रारूप समिति- डॉ. बी.आर. अंबेडकर
5. मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति (परामर्शदाता समित)- सरदार पटेल। इस समिति के अंतर्गत निम्नलिखित पांच उप-समितियाँ थीं:
   (क) मौलिक अधिकार उप-समिति -जे.बी. कृपलानी
   (ख) अल्पसंख्यक उप-समिति - एच. सी. मुखर्जी

(ग) उत्तर-पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप-समिति- गोपीनाथ बरदोई।

(घ) छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों (असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा) के लिए उप-समिति- ए.वी. ठक्कर।

6. प्रक्रिया नियम समिति -डॉ. राजेंद्र प्रसाद
7. राज्यों के लिए समिति (राज्यों ने समझौता करने वाली)- जवाहरलाल नेहरू
8. संचालन समिति-डॉ. राजेंद्र प्रसाद

छोटी समितियाँ

1. वित्त एवं कर्मचारी (स्टाफ) समिति- डॉ. राजेंद्र प्रसाद
2. प्रत्यायक (क्रेडेन्सियल) समिति-अलदि कृष्णास्वामी अय्यर
3. सदन समिति-बी. पट्टाभिसीतारमैय्या
4. कार्य संचालन समिति-डॉ. के.एम. मुंशी
5. राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति-डॉ. राजेंद्र प्रसाद
6. संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति -जी.वी. मावलंकर
7. सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति-एस. वरदाचारी (जो कि सभा के सदस्य नहीं थे)
8. मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति बी. पट्टाभिसीतारमैय्या
9. संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति-नलिनी रंजन सरकार (जो कि सभा के सदस्य नहीं थे)
10. भाषाई प्रांत आयोग-एस. के डार. (जो कि सभा के सदस्य नहीं थे।)
11. प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति-जवाहरलाल नेहरू
12. प्रेस दीर्घा समिति -उषा नाथ सेन
13. नागरिकता पर तदर्थ समिति - एस. वरदाचारी

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- भारत के मूल संविधान को प्रेम बिहारी नायाराण रायज़ादा ने लिखा था।
- मूल संविधान हस्तलिखित है, जिसके प्रत्येक पृष्ठ को शांतिनिकेतन के कलाकारों द्वारा, त्यौहार राममनोहर सिंहा और नंदलाल बोस सहित, विशिष्ट रूप से सजाया गया है।
- मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैध द्वारा किया गया था।
- संविधान सभा के 284 सदस्यों द्वारा 24 जनवरी, 1950 को हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- कुल समय-2 वर्ष, 11 महीने 18 दिन
- कुल खर्च - लगभग 64 लाख रुपए
- कुल सत्र - 11 सत्र (165 दिन)

प्रस्तावना

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सबमें,
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली, बंधुता बढ़ाने के लिए,

दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधानसभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ईस्वी (मिति माघशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत दो हजार छह विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

- प्रस्तावना संविधान के परिचय को कहते हैं।
- प्रस्तावना में संविधान का सारांश है।
- प्रस्तावना एक दस्तावेज में परिचयात्मक विवरण है जो दस्तावेज के सिद्धांत और उद्देश्यों को बताती है। यह आमतौर पर उन आदर्शों और लक्ष्यों को निर्धारित करती है जिन्हें संविधान के निर्माता उस संविधान के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए इसे संविधान के निर्माताओं के दिमाग को खोलने के लिए एक कुंजी के रूप में भी मानी जाती है।
- भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए और प्रस्तुत किए गए एवं संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी, 1947 को अपनाए गए, 'उद्देश्य प्रस्ताव' पर आधारित है।
- एन. ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को 'संविधान का परिचय पत्र' कहा है।
- पंडित ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है।

व्याख्या:

1. संविधान के अधिकार का स्रोत

शब्द, 'हम, भारत के लोग ....' संविधान के अधिकार के स्रोत को स्पष्ट रूप से बताता है। यह लोगों की संप्रभुता पर जोर देता है।

2. भारत की प्रकृति

यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतात्रिंक व गणतांत्रिक देश है।

(क) संप्रभु

- संप्रभुता सर्वोच्च और अतिंम शक्ति को दर्शाता है।
- संप्रभुता का अर्थ राज्य का स्वतंत्र अधिकार है, जो किसी अन्य राज्य या बाहरी शक्ति के नियंत्रण के अधीन नहीं है।
- संप्रभु शब्द का आशय है कि, भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है, बल्कि एक स्वतंत्र राज्य है। भारत संप्रभु है क्योंकि यह किसी भी अन्य देश के हस्ताक्षेप के बिना खुद के संबंध में कोई निर्णय ले सकता है या हटा सकता है।
- संप्रभुता के प्रकार: बाहरी और आंतरिक

बाहरी संप्रभुता

- यह राज्य की क्षमता को दर्शाता है कि वह विश्व मंच पर स्वतंत्र और स्वायत्त रूप से कार्य करे।
- इसके अलावा, एक संप्रभु राज्य होन के नाते भारत किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर से दावा छोड़ सकता है।

आंतरिक संप्रभुता

- यह एक संप्रभु शक्ति और उसके विषयों के बीच संबंध को संदर्भित करता है या बताता है। दूसरे शब्दों में, राज्य और उसके क्षेत्र के व्यक्तियों के बीच का संबंध। यह दिखाता है कि राज्य के पास यह तय करने की अंतिम शक्ति है कि कानून क्या है।

(ख) समाजवादी

- समाजवादी शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया।
- डी. एस. नकारा बनाम भारत संघ, 1983 में न्यायालय के अनुसार समाजवाद का उद्देश्य आय और प्रतिष्ठा और जीवन के मानकों में असमानता को समाप्त करना हैं।
- एक्सेल वियर बनाम भारत संघ 1978 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 'समाजवादी' शब्द को जोड़ने से न्यायालयों को राष्ट्रीयकरण और उद्योग के राज्य के स्वामित्व के पक्ष में और अधिक झुकना पड़ सकता है।
- 2000 में, जी.बी. पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बनाम उत्तर प्रदेश के मामले मे, उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि 'लोकतांत्रिक समाजवाद' का उद्देश्य गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना है।
- भारत ने 'लोकतांत्रिक समाजवाद' को अपनाया है। लोकतंत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, जहाँ सार्वजनिक व निजी क्षेत्र साथ-साथ मौजूद रहते हैं।

(ग) धर्मनिरपेक्ष

- धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया।
- एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, भारतीय संदर्भ में, का अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करता है और किसी भी धर्म को राज्य धर्म नहीं मानता है।
- सेंट जेवियर्स कॉलेज बनाम गुजरात राज्य के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि "धर्मनिरपेक्षता न तो ईश्वर विरोधी है और न ही ईश्वर समर्थक है, यह धर्मनिष्ठ (धार्मिक), अज्ञेयवादी (संशयवादी) और नास्तिक को समान मानती है। यह भगवान को राज्य के मामलों से दूर करता है और यह सुनिश्चित करता है कि धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा।"
- एस. आर. बोम्मई केस, 1994 में उच्चतम न्यायालय ने माना कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है।
- अरूणा रॉय बनाम भारत संघ, 2002 में उच्चतम न्यायालय ने माना कि धर्मनिरपेक्षता का एक सकारात्मक अर्थ है, अर्थात विभिन्न धर्मों के प्रति समझ और सम्मान विकसित करना।

(घ) लोकतांत्रिक

- 'डेमोक्रेसी' शब्द को दो ग्रीक शब्दों को मिलाकर बनाया गया है, 'डेमोस' एव 'क्रेटोस'। डेमोस का अर्थ लोग और क्रेटोस का अर्थ शासन है। अर्थात् एक लोकतंत्र में लोगों का शासन होता है या दूसरे शब्दों में, एक लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति लोगो में निहित है।
- भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें कार्यकारिणी अपनी नितियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह है।
- संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्रिक शब्द का प्रयोग व्यापक रूप में किया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है।

(ङ) गणतंत्र

- प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ है कि भारत का एक निर्वाचित प्रमुख है जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है। दूसरे शब्दों में भारत का प्रमुख अर्थात् राष्ट्रपति चुनाव के द्वारा सत्ता में आता है।
- भारत एक गणतंत्र है क्योंकि राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है और वंशानुगत राजशाही (सम्राट) नहीं होता है।
- इसके अलावा, एक गणराज्य में, राजनीतिक संप्रभुता लोगों में निहित है।

3. संविधान के उद्देश्य

इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता, व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं।

(क) न्याय – प्रस्तावना में न्याय तीन भिन्न रूपों में शामिल है- सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक।

(i) **सामाजिक न्याय**- यह बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार को दर्शाता है।

(ii) **आर्थिक न्याय**- इसका अर्थ है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें संपदा, आय व संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है।

(iii) **राजनीतिक न्याय**- इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे।

(ख) स्वतंत्रता- इसका अर्थ है कि लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोकटोक की अनुपस्थिति। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि एक व्यक्ति जो कुछ भी महसूस करता है उसे करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता है।

(ग) समता- इसका अर्थ है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध।

(घ) बंधुत्व- इसका अर्थ है भाईचारे की भावना। यह भावना है कि सभी लोग एक ही मिट्‌टी, एक ही मातृभूमि के बच्चे हैं।

4. संविधान लागू होने की तिथि

संविधान लागू होने की तिथि 26 नवंबर, 1949 है।

संविधान के भाग के रूप में प्रस्तावना

बेरूबरी यूनियन केस, 1960-

- इस मामले में, उच्चतम न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है।

केसवानंद भारती केस, 1973

- इस मामले में, उच्चतम न्यायालय ने अपने पहले के फैसले को खारिज कर दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है।

एल.आई.सी. ऑफ इंडिया केस, 1995

- इस मामले में भी, उच्चतम न्यायालय ने फिर से कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है।

प्रस्तावना में संशोधन की संभावना

- केसवानंद भारती मामले (1973) में उच्चतम न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है।
- अब तक प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के द्वारा संशोधित किया गया है। इसके जरिए प्रस्तावना में तीन नए शब्दों को जोड़ा गया:

(i) समाजवादी (ii) धर्मनिरपेक्ष (iii) अखंडता

मूल कर्तव्य

- भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व रूसी संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है।
- 1976 में कांग्रेस पार्टी ने मूल कर्तव्यों के बारे में सिफारिशें करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया।
- समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग पाठ होना चाहिए।
- सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 को लागू किया।
- इस संशोधन से संविधान में एक नए भाग IVक को जोड़ा गया।
- इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद है और वह अनुच्छेद 51क है, जिसमें नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है।
- यद्यपि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोडे जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया।
- 2002 में एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया।
- वर्तमान में, 11 मूल कर्तव्य हैं।

- **मूल कर्तव्यों की सूची**

  भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह--

  (क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;

  (ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;

  (ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे;

  (घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;

  (ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है;

  (च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे;

  (छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखे;

  (ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;

  (झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;

  (ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले;

  (ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

नोटः 11वाँ कत्तर्व्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है।

संसदीय व्यवस्था

- भारत का संविधान, केंद्र और राज्य दोनों में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है।
- अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र में संसदीय व्यवस्था का उपबंध करते हैं और अनुच्छेद 163 और 164 राज्यों में।
- आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारों को सरकार के कार्यकारी और विधायी अंगों के बीच संबंधों की प्रकृति के आधार पर संसदीय और राष्ट्रपति में वर्गीकृत किया जाता है।
- सरकार की संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है।
- सरकार की राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है।
- संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहा जाता है तथा यह ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत आदि में प्रचलित है।

नोट:

- आइवर जेनिंग्स ने संसदीय व्यवस्था को "कैबिनेट व्यवस्था" कहा है क्योंकि इसमें शक्ति का केंद्र बिंदु कैबिनेट होता है।
- संसदीय सरकार को 'उत्तरदायी सरकार' के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें कैनिबेट (वास्तविक कार्यकारिणी) संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और इनका कार्यकाल तब तक चलता है, जब तक उन्हें संसद का विश्वास प्राप्त है।
- राष्ट्रपति सरकार को गैर-उत्तरदायी या गैर-संसदीय या निश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी कहा जाता है और यह अमेरिका, ब्राजील, रूस, श्रीलंका आदि में प्रचलित है।

संसदीय सरकार की विशेषताएं-

भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

1. नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका

राष्ट्रपति नामिक कार्यपालिका है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है। इस तरह, राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है।

2. बहुमत प्राप्त दल का शासन

जिस राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत में सीटें प्राप्त होती हैं, वह सरकार बनाती है। उस दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है।

3. सामूहिक उत्तरदायित्व

- यह संसदीय सरकार का विशिष्ट सिद्धांत है।
- मंत्री सामान्य रूप से संसद और विशेष रूप से लोकसभा के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं।

4. दोहरी सदस्यता

मंत्री, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। इसका तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने मंत्री नहीं बन सकता।

5. प्रधानमंत्री का नेतृत्व

सरकार की व्यवस्था में प्रधानमंत्री नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाता है।

6. निचले सदन का विघटन

संसद के निचले सदन को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा विघटन किया जा सकता है।

संघीय व्यवस्था

- राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के बीच संबंधों की प्रकृति के आधार पर सरकारों को एकात्मक और संघीय में वर्गीकृत किया जा सकता है।
- **एकात्मक सरकार**- सभी शक्तियाँ राष्ट्रीय सरकार में निहित है और क्षेत्रीय सरकार, यदि मौजूद हैं, को अधिकार राष्ट्रीय सरकार से प्राप्त होते हैं।
- **संघीय सरकार**- संविधान द्वारा ही शक्तियों को राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के बीच विभाजित किया जाता है और दोनों अपने-अपने क्षेत्राधिकार में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं।

संविधान की संघीय विशेषताएं

भारतीय संविधान की विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

1. लिखित संविधान
- मूल रूप से, भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद (22 भागों में विभाजित) और 8 अनुसूचियाँ थी।
- यह केंद्र और राज्य सरकारों दोनों की संरचना, संगठन, शक्तियों और कार्यों को निर्दिष्ट करता है और उन सीमाओं को निर्धारित करता है जिनके भीतर उन्हें काम करना चाहिए।

2. शक्तियों का विभाजन
- सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के संदर्भ में शक्तियों को केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित किया गया है।

  नोट:
  - संघ सूची - 100 विषय
  - राज्य सूची - 61 विषय
  - समवर्ती सूची - 52 विषय
- केंद्र और राज्य दोनों समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्रीय कानून प्रभावी होता है।
- अवशिष्ट विषय (अर्थात्, जिनका किसी भी सूची में उल्लेख नहीं है) केंद्र को दिए गए हैं।

3. संविधान की सर्वोच्चता

संविधान सर्वोच्च (या उच्चतम) कानून है। केंद्र और राज्यों द्वारा बनाए गए कानून संविधान के प्रावधानों की पुष्टि करते है।

4. कठोर संविधान

संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन एवं संविधान की सर्वोच्चता तभी बनाए रखी जा सकती है, जब संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठोर हो।

5. स्वतंत्र न्यायपालिका

संविधान ने दो उद्देश्यों के लिए उच्चतम न्यायालय की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की है:

1. न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करके संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करना; तथा
2. केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों के बीच विवादों को निपटाने के लिए।

6. द्विसदनीय
- संविधान ने द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की है- उच्च सदन (राज्य सभा) और निम्न सदन (लोकसभा)।
- राज्यसभा, भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि लोकसभा भारत के लोगों का।

नगर निगम

- 1687-88 में भारत का पहला नगर निमग मद्रास में स्थापित हुआ और 1726 में बम्बई तथा कलकत्ता में नगर निगम की स्थापना हुई।
- लॉर्ड रिपन का 1882 का संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए "मेम्नाकर्टा" की हैसियत रखता है। उन्हें भारत में 'स्थानीय स्वाशसन का पिता' कहा जाता है।
- भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा लागू प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत स्थानीय स्वाशसन को प्रांतीय विषय घोषित किया गया।

74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992

- इस अधिनियम ने नगर निगम को संवैधनिक दर्जा दिया।
- इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग-IXक जोड़ा जो कि नगर निगम से संबंधित है।
- संविधान के भाग-IXक में अनुच्छेद 243त से 243यछ शामिल हैं।
- इस अधिनियम ने संविधान में एक नई 12वीं अनुसूची जोड़ी। इस अनुसूचि में 18 कार्यकारी विषय-वस्तु है।

इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताएं:

1. अनुच्छेद 243 थ- नगरपालिकाओं का गठन

(1) प्रत्येक राज्य में,

(क) किसी संक्रमणशील क्षेत्र (परिवर्तित क्षेत्र) के लिए, अर्थात, ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में संक्रमणगत क्षेत्र के लिए कोई नगर पंचायत का (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो);

(ख) किसी लघुतर नगरीय क्षेत्र (छोटे शहरी क्षेत्र) के लिए नगरपालिका परिषद् का; और

(ग) किसी वृहत्तर नगरीय क्षेत्र (बड़े शहरी क्षेत्र) के लिए नगर निगम का, गठन किया जाएगा:

2. अनुच्छेद 243 द- नगरपालिकाओं की सरंचना

(1) किसी नगरपालिका के सभी स्थान, नगरपालिका क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों द्वारा भरे जाएँगे और इस प्रयोजन के लिए, प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा जो वार्ड के नाम से ज्ञात होंगे।

(2) किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, --

(क) नगरपालिका में,--

(i) नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों का (लेकिन उसे नगरपालिका की सभा में मत देने का अधिकार नहीं होगा।);

(ii) लोकसभा के ऐसे सदस्यों का और राज्य की विधान सभा के ऐसे सदस्यों का, जो उन निर्वाचन-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें कोई नगरपालिका क्षेत्र पूर्णत: या भागत: समाविष्ट हैं;

(iii) राज्य सभा के ऐसे सदस्यों का और राज्य की विधान परिषद् के ऐसे सदस्यों का, जो नगरपालिका क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं;

(iv) समिति के अध्यक्ष (वार्ड समितियाँक के अतिरिक्त)

प्रतिनिधित्व करने के लिए उपबंध कर सकेगा।

(ख) किसी नगरपालिका के अध्यक्ष के निर्वाचन की रीति का उपबंध कर सकेगा।

3. अनुच्छेद 243 ध- वार्ड समितियों, आदि का गठन और संरचना

(1) ऐसी नगरपालिका के, जिसकी जनसंख्या तीन लाख या उससे अधिक है, प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा, जो एक या अधिक वार्डों से मिलकर बनेगी।

(2) राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा,--

(क) वार्ड समिति की संरचना और उसके प्रादेशिक क्षेत्र की बाबत;

(ख) उस रीति की बाबत जिससे किसी वार्ड समिति में स्थान भरे जाएँगे,

उपबंध कर सकेगा।

(3) वार्ड समिति के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर किसी वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला किसी नगरपालिका का सदस्य उस समिति का सदस्य होगा।

(4) इस अनुच्छेद की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी राज्य के विधान-मंडल को वार्ड समितियों के ओंतरिक्त समितियों का गठन करने के लिए कोई उपबंध करने से निवारित करती है।

4. अनुच्छेद 243 न- स्थानों का आरक्षण

(1) प्रत्येक नागरपालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उनकी जनसंख्या और कुल नागरपालिका क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक नगरपालिका में आरक्षण रहेगा और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका के भिन्न-भिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आंबटित किए जा सकेंगे।

(2) प्रत्येक नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका के भिन्न-भिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे।

(3) नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेंगे, जो राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उपबंधित करे।

(4) इस भाग की कोई बात किसी राज्य के विधान-मंडल को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में किसी नगरपालिका में स्थानों के या नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद के आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।

5. अनुच्छेद 243 प- नगरपालिकाओं की अवधि, आदि

(1) प्रत्येक नगरपालिका, यदि किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक रहेगी, इससे अधिक नहीं:
परंतु किसी नगरपालिका का विघटन करने के पूर्व उसे सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।

(2) किसी नगरपालिका का गठन करने के लिए निर्वाचन,--
(क) इसकी 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व या
(ख) उसके विघटन की तारीख से छः महीने की अवधि की समाप्ति के पूर्व,
पूरा किया जाएगा:

परंतु जहाँ वह शेष अवधि, जिसके लिए कोई विघटित नगरपालिका बनी रहती, छः महीने से कम है वहां ऐसी अवधि के लिए उस नगरपालिका का गठन करने के लिए कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा।

(3) किसी नगरपालिका की अवधि की समाप्ति के पूर्व उस नगरपालिका के विघटन पर गठित की गई कोई नगरपालिका, उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए बनी रहेगी जिसके लिए विघटित नगरपालिका बनी रहती, यदि वह इस प्रकार विघटित नहीं की जाती।

6. अनुच्छेद 243 फ- सदस्यता के लिए निर्हरताएँ

(1) कोई व्यक्ति किसी नगरपालिका का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा,--
(क) यदि वह संबंधित राज्य के विधान-मंडल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है:
परंतु कोई व्यक्ति इस आधार पर निरर्हित नहीं होगा कि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है, यदि उसने 21वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है;
(ख) यदि वह राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है।

(2) यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी नगरपालिका का कोई सदस्य किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न ऐसे प्राधिकारी को, और ऐसी रीति से, जो राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उपबंधित करे, विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा।

7. अनुच्छेद 243 ब- नगरपालिकाओं, आदि की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व

राज्य विधानमंडल नगरपालिकाओं को आवश्यकतानुसार ऐसी शक्तियाँ और अधिकार दे सकता है जिसमें कि वे स्वायत्त सरकारी संस्था के रूप में कार्य करने में सक्षम हो। इस तरह की योजना में उपयुक्त स्तर पर नगरपालिकाओं के अंतर्गत शक्तियाँ और जिम्मेदारी आती है, जो निम्न है:

(i) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करना;

(ii) ऐसे कृत्यों का पालन करना और ऐसी स्कीमों को, जो उन्हें सौंपी जाएँ, जिनके अंतर्गत वे स्कीमें भी हैं, जो बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में हैं, कार्यान्वित करना;

8. अनुच्छेद 243 भ- नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियाँ

किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा,--

(क) ऐसे कर, शुल्क, पथ कर और फीसें उद्‌गृहीत, संगृहीत और विनियोजित करने के लिए किसी नगरपालिका को प्राधिकृत कर सकेगा;

(ख) राज्य सरकार द्वारा उद्‌गृहीत और संगृहीत ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें किसी नगरपालिका को समनुदिष्ट कर सकेगा;

(ग) राज्य की संचित निधि में से नगरपालिकाओं के लिए ऐसे सहायता-अनुदान देने के लिए उपबंध कर सकेगा; और

(घ) नगरपालिकाओं द्वारा या उनकी ओर से क्रमशः प्राप्त किए गए सभी धनों को जमा करने के लिए ऐसी निधियों का गठन करने और उन निधियों में से ऐसे धनों को निकालने के लिए भी उपबंध कर सकेगा, जो विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएँ।

9. अनुच्छेद 243 म- वित्त आयोग

(1) अनुच्छेद 243झ के अधीन गठित वित्त आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्विलोकन करेगा और जो--

(क)

(i) राज्य द्वारा उद्‌गृहणीय ऐसे करों, शुल्कों, पथ करों और फीसों के ऐसे शुद्ध आगमों के राज्य और नगरपालिकाओं के बीच आबंटन;

(ii) ऐसे करों, शुल्कों, पथ करों और फीसों के अवधारण को, जो नगरपालिकाओं को समनुदिष्ट की जा सकेंगी या उनके द्वारा विनियोजित की जा सकेंगी;

(iii) राज्य की संचित निधि में से नगरपालिकाओं के लिए सहायता अनुदान को;

(ख) नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक उपाए के बारे में;

(ग) नगरपालिकाओं के सुदृढ़ वित्त के हित में राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य विषय के बारे में, राज्यपाल को सिफारिश करेगा।

(2) राज्यपाल आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को, उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित, राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा।

10. अनुच्छेद 243 य - नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा

किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, नगरपालिकाओं द्वारा लेखे रखे जाने और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा करने के बारे में उपबंध कर सकेगा।

11. अनुच्छेद 243 यक- नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन

(1) नगरपालिकाओं के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा।

(2) किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, नगरपालिकाओं के निर्वाचनों से संबंधित या संसक्त सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेगा।

12. अनुच्छेद 243 यख - संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होना

राष्ट्रपति, लोक अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगा कि इस भाग के उपबंध किसी संघ राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए, लागू होंगे, जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे।

13. अनुच्छेद 243 यछ – निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन

इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, --

(क) अनुच्छेद 243यक के अधीन बनाई गई या बनाई जाने के लिए तात्पर्यित किसी ऐसी विधि की विधिमान्यता, जो निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों को स्थानों के आबंटन से संबंधित है, किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी;

(ख) किसी नगरपालिका के लिए कोई निर्वाचन, ऐसी निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत किया जाएगा जो ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गई है, जिसका किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंध किया जाए, अन्यथा नहीं।